

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED



स्वर्ण जयंती वर्ष
सशस्त्र सेना बल की सेवा में
GOLDEN JUBILEE YEAR
IN SERVICE OF THE SERVICES
1970 - 2020



आकाश अस्त्र-प्रणाली



प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली



कांकूर्स-एम



हल्के भार वाला टॉरपिडो

समर्पण. प्रतिबद्धता. दृढ़ता.

50वाँ वार्षिक विवरण 2019-20

सशस्त्र सेना बल की सेवा में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपनी स्थापना के 50 वर्षों से अब तक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से संचालित प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण करता आ रहा है। आज बी डी एल, विश्व के तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल विनिर्माताओं में से एक होने के साथ-साथ भारतीय रक्षा क्षेत्र सहित मित्र देशों को मिसाइल व संबद्ध उपकरण का एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता भी है।

अनुक्रमणिका

परिदृश्य

हमारा परिचय	01
निगम संबंधी सूचना	02
निदेशक मंडल	03
अध्यक्ष की कलम से	06
हमारे उत्पाद	10
हमारी रणनीति	12
वित्तीय विशेषताएँ	13
दस वर्षों पर दृष्टिपात	14

अभिशासन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	15
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	47
नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट	56
संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	71

वित्तीय विवरणिकाएँ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	77
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	96
तुलन-पत्र	100
लाभ-हानि लेखा	101
ईक्रीटी में परिवर्तन का विवरण	102
नकद प्रवाह विवरण	103
लेखा नीतियाँ	104
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	114
वार्षिक आमसभा की सूचना	142

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 50वाँ वार्षिक विवरण 2019-20
लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्य मंत्री

**Bharat Dynamics Limited, 50th Annual Report 2019-20
Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha**

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI



हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल), वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाता है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित हैं। बी डी एल, महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी एक और सुविधा के विनिर्माण की योजना बना रहा है। साथ ही, बी डी एल ने इब्राहीमपट्टणम, तेलंगाना की अपनी इकाई में स्टैटिक परीक्षण सुविधा और सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की। पिछले चंद वर्षों में कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2020 तक कुल 2950 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 3095 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

उद्देश्य

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।

मिशन

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।





निगम संबंधी सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अश्वनी कुमार महाजन

सरकारी निदेशक

श्री एम एस आर प्रसाद

सरकारी निदेशक

श्री एस पिरमनायगम

निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ (दि. 30 जून, 2020 तक)

श्री वी गुरुदत्त प्रसाद

निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 मई, 2019 तक)

श्री एन पी दिवाकर

निदेशक (तकनीकी)

श्री पी राधाकृष्ण

निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 जून, 2019 से)

श्री एन श्रीनिवासुलू

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (दि. 01 जुलाई, 2020 से)

श्रीमती सुषमा वी दबक

स्वतंत्र निदेशक (दि. 30 नवंबर, 2019 तक)

प्रो. अजय पाण्डेय

स्वतंत्र निदेशक (दि. 30 नवंबर, 2019 तक)

श्री के एस संपत

स्वतंत्र निदेशक

श्री अजय नाथ

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति

स्वतंत्र निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. उपेन्द्र वेन्नम, आई पी ओ एस

कंपनी सचिव

श्री एन नागराजा

प्रधान कार्यपालक

(दि. 31 मार्च, 2020 तक)

कमोडोर त्रिलोक नाथ कौल (से.नि.)

अधिशासी निदेशक (विपणन)

श्री शिवानंद खानापेट

अधिशासी निदेशक (प्रधान - भानूर इकाई)

कमोडोर ए माधव राव (से.नि.)

अधिशासी निदेशक (प्रधान - कंचनबाग इकाई एवं पी एस सी)

श्री अरूप कुमार माइती

महाप्रबंधक (नि.से.)

श्री एन संपत कुमार

महाप्रबंधक (प्रधान - इब्राहीमपट्टणम इकाई)

श्रीमती वी लता

महाप्रबंधक (ओ पी जी एवं डी अण्ड ई)

श्री के जे जोसेफ

महाप्रबंधक (वित्त)

श्री एस नारायणन

महाप्रबंधक (मा.सं.) निगम

श्री सी एच रमेश बाबू

महाप्रबंधक (मिलान अण्ड सीपी-केबीयू)

श्री एस वी कामेश्वर

महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)

श्री पी वी राजाराम

महाप्रबंधक (सैम)

श्री एस मुरली मोहन

महाप्रबंधक (पुनर्संजीकरण एवं टीएसडी)

श्री एम श्रीधर राव

महाप्रबंधक (नई परियोजनाएँ)

श्री एल किशन

महाप्रबंधक (के एम अण्ड सी पी)

श्री आर विजय राम राजू

महाप्रबंधक (1एस अण्ड पीएमजी- आकाश)

श्री सय्यद रफी

महाप्रबंधक (मा.सं.)

श्री एम रवि

महाप्रबंधक (सं.वि. एवं विपणन)

लेखापरीक्षक

मेसर्स जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स तेजराज अण्ड पाल

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स एम भारकर राव अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स कोमांडूर अण्ड कंपनी एल एल पी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स निमित कलसी अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिंह मूर्ति अण्ड अण्ड कंपनी

लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे,

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

विधि सलाहकार

श्रीमती वी उमा देवी

श्री डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

आंध्रा बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

ऐक्सिस बैंक

आई सी आई सी आई बैंक

एच डी एफ सी बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग डाक

हैदराबाद-500058

तेलंगाना, भारत

ई पी ए बी एक्स: 040-24587466 / 40-24587777

फैक्स : 040-24340464

ई-मेल : bdlitd@ap.nic.in

वेबसाइट : www.bdl-india.in

निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास)

गच्ची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट

हैदराबाद-500032.

दूरभाष : 040-23456101

फैक्स : 040-23456110

ई-मेल : investors@bdl-india.in

वेबसाइट : www.bdl-india.in



निदेशक मंडल (दि. 01 जुलाई, 2020 तक)



कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दि. 01 मार्च, 2019 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया। कमोडोर मिश्र वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रैंच में कमीशन हुए थे। सितंबर, 2016 में नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद कमोडोर मिश्र ने अनुसूची 'ए' के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ई सी आई एल, हैदराबाद में महाप्रबंधक (रक्षा) के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।

कमोडोर मिश्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक, डिफेंस स्टडीज में एम एस सी और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस की उपाधि प्राप्त हैं। ये प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी और नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोणावाला के पूर्व छात्र भी हैं।

अपने 33 साल के विशिष्ट सेवाकाल के दौरान कमोडोर मिश्र ने विभिन्न परिचालनीय व स्टॉफ संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ ई सी आई एल में चार प्रमुख समूहों के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभायी।

नौसेना मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी शामिल करने और इसके प्रबंधन कार्य के अलावा नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही, इन्होंने नौसेना की कोर समिति के सदस्य के रूप में एयर क्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने संबंधी कार्य में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

नेवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने पोत और पनडुब्बियों को पुनःकार्यक्षम बनाकर आधुनिक बनाने के कार्य की देखभाल का जिम्मा संभाला। इन कार्यों के अलावा इन्होंने डॉकयार्ड के निर्बाध संचालन / रखरखाव / परिसंपत्ति प्रबंधन / अवसंरचना विकास और संसाधन नियोजन के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य भी किया। ई सी आई एल के शीर्ष प्रबंधन के एक सदस्य के रूप में इन्होंने रक्षा व अन्य क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जिससे देश को बहुत लाभ हुआ।

श्री अश्वनी कुमार महाजन



श्री अश्वनी कुमार महाजन 1988 बैच के आई आर एस अधिकारी हैं। शैक्षणिक स्तर पर ये एम बी बी एस, एल एल बी, एल एल एम (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) की उपाधियाँ रखते हैं। दि. 08 जनवरी, 2016 से इन्हें रक्षा मंत्रालय (वित्त) में अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था तथा दि. 9 मार्च, 2016 से ये बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।



श्री एम एस आर प्रसाद

श्री एम एस आर प्रसाद, विशिष्ट वैज्ञानिक, दि. 28 सितंबर, 2018 से महानिदेशक (मिसाइल एवं स्ट्रेटजिक सिस्टम्स) के रूप में नियुक्त किये गये हैं। वर्ष 1961 में जन्मे श्री प्रसाद ने सन् 1983 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी से बी.टेक और आई आई टी, मुंबई से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। पिछले तीस वर्षों से श्री एम एस आर प्रसाद डी आर डी ओ के विभिन्न रक्षा कार्यक्रमों के मिसाइल टेक्नॉलॉजी में उल्लेखनीय योगदान देते आ रहे हैं। विभिन्न मिसाइल परियोजनाओं के एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल डिजाइन, विश्लेषण तथा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स अध्ययन के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल कार्यक्रमों के वरिष्ठ डिजाइनरों में से एक श्री प्रसाद ने डिजाइन संबंधी कई नवोन्मेषी अवधारणाएँ उपलब्ध करायीं। श्री प्रसाद ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली देश की पहली मिसाइल बी-05 के डिजाइन, विकास और उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इन्होंने रक्षा कार्यक्रम के लिए उच्च विश्वसनीयता वाले एयरोस्पेस मेकानिज्म विकसित करने का भी उत्तरदायित्व निभाया है। श्री एम एस आर प्रसाद के इन कार्यों के फलस्वरूप मिसाइल कंप्लेक्स में इन्होंने उप परियोजना निदेशक, बी-05, परियोजना निदेशक-के4, प्रोन्नत नौसेना कार्यक्रम के निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी आर डी एल) के निदेशक के पदभार संभाल अपना कैरियर सँवारा। और, अब महानिदेशक (मिसाइल अण्ड स्ट्रेटजिक सिस्टम्स) बनाये गये।

इनकी प्रतिभा और नवोन्मेषी योगदान की पहचान करते हुए डी आर डी ओ ने इन्हें लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफ दि इयर-2003, डी आर डी ओ परफार्मेंस टीम अवार्ड-2007, साइंटिस्ट ऑफ दि इयर 2011 तथा स्ट्रेटजिक मिसाइल प्रोग्राम-2014 के लिए डी आर डी ओ उत्तम नवोन्मेष टेक्नॉलॉजी विकास अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। श्री एम एस आर प्रसाद दि. 31 दिसंबर, 2018 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।



श्री एन पी दिवाकर



श्री एन पी दिवाकर, दि. 1 सितंबर, 2018 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त हुए। इससे पूर्व वे बी डी एल भानूर इकाई के अधिशासी निदेशक रहे। श्री एन पी दिवाकर उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त हैं। इन्होंने 'पृथ्वी', 'आकाश', 'एटीजीएम' जैसे विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों में लगभग 28 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'पृथ्वी', 'आकाश' मिसाइल प्रणालियों को विकास स्तर से उत्पादन स्तर तक लाने के लिए डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम

किया। श्री दिवाकर ने सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य अनुरूप 'आकाश' और कांक्रूस मिसाइल की उत्पादन श्रृंखला व मानव-शक्ति योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

साथ ही, श्री दिवाकर ने भानूर इकाई में 'अस्त्र' मिसाइल उत्पादन सुविधाएँ भी स्थापित कीं। मार्च, 2017 के दौरान रक्षा मंत्रालय के साथ सफलतापूर्वक बातचीत कर कांक्रूस-एम मिसाइल उत्पादन के आदेश प्राप्त किये।

बी डी एल में नियुक्ति से पूर्व श्री दिवाकर ने ओ एन जी सी में 6 वर्ष तक अपनी सेवाएँ दीं।

श्री एन श्रीनिवासुलू



श्री एन श्रीनिवासुलू ने दि. 01 जुलाई, 2020 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक और वित्त में एम बी ए उपाधि प्राप्त की हैं। श्री श्रीनिवासुलू को वित्त से संबंधित विविध क्षेत्रों में 30 वर्ष का समृद्ध अनुभव प्राप्त है, जिसमें 24 वर्ष बीडीएल में कार्य किये। इस नये पद पर कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने बीडीएल में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में सेवाएँ दीं। बीडीएल में कार्यकाल के दौरान इन्होंने कंपनी के मैडेन

आईपीओ के लिए यांकर्स इनवेस्टर्स के साथ कार्य करने में और भारतीय लेखा मानक, कोशागार प्रबंधन, कराधान, बजट नियंत्रण और पॉलसी फॉर्मूलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री पी राधाकृष्ण



श्री पी राधाकृष्ण ने दि. 01 जून, 2019 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री पी राधाकृष्ण बीडीएल की भानूर इकाई में महाप्रबंधक रहे। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने कांक्रूस, कांक्रूस-एम और इनवार टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र, लॉचर्स और राइफल्स के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने सुरक्षा सन्नहित क्रमानुगत उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, हैदराबाद से

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मैनेजमेंट में एम-टेक., नागार्जुना विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक उपाधि प्राप्त श्री राधाकृष्ण को घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'मल्टी वेंडर बेस' तथा 'आयात प्रतिस्थापन' विकास के ज़रिये टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की भी स्थापना की। इन्होंने उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और संस्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बीडीएल, भानूर इकाई में आई एस ओ 9001:2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली तैयार कर इसे लागू करवाने में सक्रिय भूमिका निभायी जो आज वांतरिक्ष मानक AS9100D नाम से परिचालन में है।

इन्हें भारतीय नौसेना के लिए मॉड्यूलर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की खरीद और दीर्घकालिक आदेश की दृष्टि से देशीकरण नीति का मसौदा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा तकनीकी ओवरसाइट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।



श्री के एस संपत



श्री के एस संपत, कार्यरत चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हैं जिन्हें आयकर, कारपोरेट कानून, बैंकिंग (ट्रेजरी, फोरेक्स, विदेशी बैंक के ड्यू डिलिजेंस सहित) तथा बीमा क्षेत्र सहित नैगमिक अभिशासन विकास में विशेषज्ञता का 32 वर्ष का विस्तृत व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने देश के कुछ उच्च संस्थान जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में सेवाएँ देकर तथा हाल ही में नाबार्ड के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डी सी सी बी तथा आर आर बी जैसी

कुछ विशिष्ट सार्वजनिक संस्थाओं के पर्यवेक्षक बोर्ड के सलाहकार सदस्य के रूप में बोर्ड स्तर का अनुभव अर्जित किया है। लेखापरीक्षा समिति, प्रबंधन समिति, आई टी समिति, जोखिम प्रबंधन समिति तथा शेयर अंतरण समितियों में अध्यक्ष / सदस्य के रूप में रहते हुए इन्होंने नैगमिक अभिशासन बेहतर बनाने का कार्य किया है। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।



श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति

श्रीमती के लता नरसिम्ह मूर्ति, संप्रति मेलंगे प्राइम प्रापर्टीज और टॉय पटनम में प्रबंधन भागीदार हैं। इन्होंने एम आई टी ग्लोबल इंटरप्रेन्यूरशिप बूटकैम्प पूर्ण कर मेसाश्यूटूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 'न्यू वेंचर्स लीडरशिप' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति ने तक्षशिला संस्थान से लोक-नीति में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरू से इंडिया-युमेन इन लीडरशिप (I-WIL) पूर्ण किया है। इन्होंने वर्ष 2010 से 2015 तक वृहत् बेंगलूरू महानगरपालिका के कॉर्पो

रेटर के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। राजनीति के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए इन्हें वर्ष 2014 के 'बेंगलूरू युवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया तथा यू एल और अशोका चेंज मेकर द्वारा आयोजित 'सुरक्षित सड़क, सुरक्षित भारत अभियान' की ये विजेता भी रही हैं। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री अजय नाथ



श्री अजय नाथ, मध्यप्रदेश कैडर के 1982 बैच के आई ए एस अधिकारी हैं। श्री अजय नाथ दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं और सितंबर, 2011 से सितंबर, 2015 तक मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग में पहले प्रधान सचिव और फिर बाद में अपर मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ देकर सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। इससे पूर्व इन्होंने भारत सरकार के निगम मामले मंत्रालय में निरीक्षण एवं पंजीकरण महानिदेशक के रूप में, तदुपरांत भारत

सरकार के निगम मामले मंत्रालय के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। ये भारत सरकार के वित्त मामले विभाग के उप सचिव भी रहे और एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलिप्पाइन्स में कार्यपालक निदेशक (भारत) के तकनीकी सहायक भी। इन्होंने मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक और सेक्यूरिटी प्रिंटिंग अण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। ये दि. 13 सितंबर, 2017 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।



अध्यक्ष की कलम से



कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

कंपनी की 50वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। पिछले पाँच दशकों से कंपनी के साथ जुड़े सभी साथियों के समर्पण, प्रतिबद्धता एवं लगन से निर्मित इस प्रसिद्ध कंपनी की स्वर्ण जयंती वर्ष संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए खुशी एवं सम्मान की बात है।

आपके निरंतर सहयोग और बीडीएल में निवेश करने के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष हम सबने मिलकर जो हासिल किया है उससे मुझे गौरव की प्रतीति होती है तथा आगे के उपलब्ध अवसर देख आने वाले कारोबार के प्रति आशावान हूँ।

इस अवसर पर मैं वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें तथा कंपनी की भविष्य-दृष्टि आपके सामने रखना चाहूँगा।

वित्तीय एवं कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें :

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन कई परिचालनीय एवं तकनीकी चुनौतियों के बावजूद अच्छा रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने रु. 3095 करोड़ का परिचालन राजस्व प्राप्त किया जो कि पिछले वर्ष रु. 3069 करोड़ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में सामान्य वृद्धि दर्ज हुई है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 423 करोड़ के कराधान बाद लाभ के मुकाबले इस रिपोर्टाधीन वर्ष में रु. 535 करोड़ कराधान बाद लाभ प्राप्त किया है। फलस्वरूप, कंपनी की परिचालन अभिसूचक में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है।

आपकी कंपनी के पास 01 अप्रैल, 2020 तक लगभग रु. 7413 करोड़ के कार्य-आदेश हैं जिसमें प्रमुखतः आकाश, एम आर सैम, ए टी जी एम, एल डब्ल्यू टी-एक्स पी, वरुणास्र व अन्य उत्पाद शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने निरंतर देय लाभांश भुगतान की स्थिति को बनाए रखा है। आपके निदेशक मंडल ने रु. 10/- के प्रत्येक ईक्रीटी शेयर के प्रति रु. 2.25/- के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है जो कुल मिलाकर 46.74 करोड़ मूल्य का पड़ता है।

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने मार्च, 2020 में प्रत्येक शेयर के प्रति रु. 6.25 के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के सापेक्ष में कार्यनिष्पादन

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी को "अच्छा (Good)" रेटिंग प्राप्त हुआ है। जबकि वर्ष 2019-20 के लिए मूल्यांकन किया जाना है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1) मुख्य बातें

- स्वर्ण जयंती समारोह : आपकी कंपनी इस वर्ष स्वर्ण जयंती मना रही है। 03 अगस्त, 2019 को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
- दौरे के दौरान माननीय रक्षा मंत्री ने कंचनबाग परिसर में डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का अनावरण किया, स्वर्ण जयंती स्टैंप का विमोचन किया तथा भारतीय वायु सेना को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल (एम आर सैम) सौंपी।
- आपकी कंपनी ने फरवरी 2020 के डेफेक्स्पो में 'बंधन' कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना संबंधी उत्पादन आदेश की आपूर्ति के अंग के रूप में भारी टॉरपिडो सौंपा।



- डेफेक्स्पों के दौरान आपकी कंपनी ने माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तीसरी पीढ़ी के ए टी जी एम अमोघा - III को लॉच किया।
- आपकी कंपनी ने मार्च, 2020 में कोविड - 19 की रोकथाम के लिए पीएम - केयर्स फंड के लिए रु. 9.02 करोड़ का अंशदान दिया। इसमें कर्मचारियों के एक दिन के वेतन सहित बीडीएल सी एस आर निधि से भी यह सहायता राशि शामिल की गई।

2) नये आदेश:

प्रसन्नता की बात है कि आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कार्य-आदेश की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए रु. 3096 करोड़ के नए आदेश प्राप्त किए। प्राप्त महत्वपूर्ण आदेश इस प्रकार हैं :

- 'आकाश' मिसाइल की आपूर्ति के लिए संबद्ध कुल पुर्जों सहित रु. 1700 करोड़ के निवल मूल्य के आकाश सैम के आदेश मार्च, 2020 में प्राप्त हुए।
- भारतीय नौसेना को भारी टॉरपिडो (वरुणास्र) की आपूर्ति के लिए रु. 1187.82 करोड़ मूल्य की संविदा पर हस्ताक्षर किये गए। डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी अंतरण के आधार पर इस अस्त्र का विनिर्माण बीडीएल, विशाखापट्टणम इकाई में किया जाएगा। सुपुर्दगी अवधि, संविदा हस्ताक्षरित करने की तारीख से लेकर 42 महीने की होगी।
- बीडीएल ने हल्के भारी टॉरपिडो के एक शिपसेट एवं संबद्ध उपकरण की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्यात संविदा पर हस्ताक्षर किए। इस संविदा का कुल मूल्य 6,240,000 यूएसडी है जिसे 2020-21 में कार्यान्वित किया जाना है।
- दो शिपसेट के हल्के भारी टॉरपिडो एवं संबद्ध उपकरण की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से चौथी निर्यात संविदा पर हस्ताक्षर किये गए। इस संविदा का कुल मूल्य 14,330,000 यूएसडी है। इसे भी 2020-21 में कार्यान्वित किया जाना है।

3) प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ

सहर्ष सूचित किया जाता है कि नए आदेशों के अलावा कुछ माँग की आवश्यकताएँ बीडीएल को कार्य-आदेश के रूप में जारी किए जाने के स्तर पर हैं और शीर्ष प्रबंधन इन्हें प्राप्त करने निरंतर प्रयासरत है। कुछ उच्च मूल्य के आदेश जो प्राप्त होने की अग्रिम अवस्था में हैं उनमें आकाश (तीसरी और चौथी रजमेंट), आकाश (भारतीय वायु सेना के 103), एम आर सैम (भारतीय वायु सेना), मिलान-2टी, विश्रॉड एवं पुनर्संजीकरण के कार्य-आदेश शामिल हैं।

4) प्रौद्योगिकी उन्नयन की खोज में नए भागीदार

वैश्विक रक्षा उद्योग की वर्तमान प्रवृत्ति के साथ कदम मिलाते हुए आपकी कंपनी निरंतर नई प्रौद्योगिकी की खोज में लगी रहती है तथा विश्वस्तरीय प्रमुख अस्त्र अभिकल्पन एवं विनिर्माताओं के साथ साझेदारी के लिए निरंतर प्रयासरत भी। इन प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्यमियों के साथ एम ओ यू / एन डी ए / एल ए टी ओ टी किये गये हैं।

आपकी कंपनी ने 5 से 9 फरवरी, 2020 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित डेफेक्स्पों 2020 में भाग लिया जिसमें इनडोर एवं आउट डोर स्टाल लगाये गए। साथ ही, इस दौरान विश्व भर के प्रख्यात ओ ई एम के साथ अनेक अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये गये। जिनमें शामिल हैं -

- भारत में प्रणोदन प्रणाली की स्थापना के लिए मेसर्स रॉक्सेल, फ्रांस के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।
- भारत में जैवलिन मिसाइल के संयुक्त विपणन एवं उत्पादन के लिए मेसर्स जैवलिन ज्वाइंट वेंचर, यू एस ए के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।
- भारतीय सशस्त्र सेना के पास उपलब्ध रूसी मूल की सभी मिसाइलों के पुनर्संजीकरण की परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के साथ-साथ भारत में उप-प्रणाली के लिए संयुक्त साझेदारी बनाने के लिए मेसर्स अल्माज़एटी, रूस के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।

इनके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने यू ए वी के संयुक्त रूपी विकास एवं विनिर्माण के लिए आई आई टी, कानपुर के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किया तथा सी एम डी एस के आई आर फ्लेयर्स की प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए मेसर्स एच ई एम आर एल, पुणे के साथ एल ए टी ओ टी पर हस्ताक्षर किए।

इन सबसे परे आपकी कंपनी ने कोविड - 19 की रोकथाम में भारत सरकार को सहयोग देने के उद्देश्य से आई आई टी, कानपुर एवं स्टार्ट अप कंपनी मेसर्स नोक्रा रोबोटिक्स के साथ उच्च स्तरीय लेकिन किफायती देशीकृत, माइक्रो कंट्रोलर आधारित त्वरित व गैर-त्वरित प्रयोगी वेंटीलेटर के विनिर्माण के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए।

5) नई अवसंरचना :

बदलती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाने रहने की दृष्टि से आपकी कंपनी नवीन अस्त्र प्रणालियों के विनिर्माण एवं परीक्षण के लिए नई अवसंरचना की स्थापना पर ध्यान दे रही है। आपकी कंपनी ने आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना विकास के लिए पूँजीगत व्यय कार्यक्रम के तहत रु. 57 करोड़ की राशि खर्च की है। इसी के अंतर्गत आपकी कंपनी ने टेलीमेट्री ग्राउण्ड स्टेशन, 512 कोर एच पी सी सिस्टम, हैंड हेल्ड आर एफ सिग्नल जेनरेटर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैबिनेट, फ्रिजेंसी रेस्पान्स एनलाइजर, लैन सेटअप जैसी उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के साथ चैंबर्स, शॉक मशीन इत्यादि जैसी पर्यावरण परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने भानूर इकाई में वार हेड भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया है।

6) तकनीकी उपलब्धियाँ :

आपके कर्मचारियों के समर्पण एवं कड़ी मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त महत्वपूर्ण सफलताओं से तकनीकी उपलब्धियाँ हासिल करने में बहुत मदद मिली है। इनमें शामिल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं :

- पूरे विन्यास वाली क्यू आर सैम का उड़ान परीक्षण और मिशन उद्देश्य की प्राप्ति की गयी। तैनाती मोड में हवाई क्षेत्र के बीच लक्ष्य का अंतर्गहन करते हुए सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षण चाँदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से दि. 23 दिसंबर, 2019 को घूर्णी ट्रक आधारित लॉच प्लाटफार्म से मिसाइल को फायर कर किया गया। बीडीएल टीम ने इस प्रणाली और इनकी उप-प्रणालियों के एकीकरण व परीक्षण में सहभागिता निभायी। बीडीएल द्वारा विनिर्मित उप प्रणालियों का प्रयोग इस मिसाइल फायरिंग के दौरान किया गया।
- 'अस्त्र', हर मौसम में प्रयुक्त दृश्य सीमा पार विशेषता से लैस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका विकास डीआरडीओ ने बीडीएल के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभियान होने के नाते (एल ए टी ओ टी) किया है। चार मिसाइलों वाला तीसरा उड़ान परीक्षण अभियान बालासोर में दि. 19 सितंबर 2019 को आर एफ सीकर के साथ सफलतापूर्वक किया गया। इस मिसाइल के संयोजन एवं एकीकरण में बीडीएल भागीदार रहा।
- एम पी ए टी जी एम व्यक्तिवाह्य 2.5 कि.मी रेंज की एक टैंकरोधी मिसाइल है जिसका विकास डी आर डी ओ बीडीएल के साथ सह-विकास अभिकरण के रूप में किया है। मिसाइल का फायरिंग परीक्षण दि. 11 सितंबर 2019 को उर्वॉकल में सफलतापूर्वक किया गया है। इस मिसाइल के संयोजन एवं एकीकरण में भी बीडीएल भागीदार रहा।



- 'नाग' तीसरी पीढ़ी की 'फायर अण्ड फारगेट' टैंक रोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र है। यह हर मौसम में ऊपर से हमला करने वाली 4 कि.मी. रेंज की मिसाइल है। यह परियोजना डी आर डी ओ के साथ विकासधीन है। 2019-20 में गर्मी और सर्दी के दौरान किये जाने वाले प्रयोक्ता ट्रॉयल सफलतापूर्वक किए गए। इसके प्रयोक्ता ट्रॉयल कर लिये हैं। बीडीएल ने इसके लिए डी आर डी ओ को आई आई आर सीकर का एकीकरण आपूर्ति पहले ही कर दी है। 'नामिका', इस मिसाइल का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। बीडीएल इस मिसाइल के लिए प्रमुख उत्पादन अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- आकाश 1-एस का उड़ान परीक्षण : इस मिसाइल में कमांड निर्देशन कर सक्रिय टर्मिनल निर्देशन सीकर दोनों ही शामिल है। डी आर डी ओ के निर्देशन में बीडीएल द्वारा बनायी गयी इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण आई टी आर, बालसोर में दि. 25 से 27 मई, 2019 के दौरान सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान बंशी लक्ष्य के प्रति निर्धारित मिशन के सभी उद्देश्य प्राप्त किये गये। उन्नयन की गयी यह आकाश मिसाइल प्रणाली जो सीकर युक्त है तथा सुगठित विन्यास सहित 360 डिग्री की इसकी व्याप्ति है।

7) गुणता प्रणालियाँ :

एकल प्रयुक्त उत्पाद बनाने वाली मिसाइल विनिर्माण कंपनी होने के नाते आपके कंपनी के उत्पाद की गुणता सर्वोपरी होती है तथा आपके उत्पादों से अपेक्षा की जाती है कि पहली बार और हर बार वह सटीक काम करे। अतः ये उत्पाद कड़े गुणता मानक तथा उच्च विश्वसनीयता की माँग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित गुणता मानक प्राप्त करने में लगी रहती है। परिणामस्वरूप कंपनी की कंचनबाग एवं भानूर इकाई अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणता प्रबंधन मानक एस 9100डी द्वारा प्रमाणित हैं।

इसी प्रकार आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग आर एस ओ - आई ई सी 27001-2013, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एस एम एस) से अधिप्रमाणित है। इनके अतिरिक्त तीनों इकाइयों को आई एस ओ 14001-2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) से प्रोन्नत किया गया है।

गुणता मानक में उत्कृष्टता प्राप्त करने की चाह में प्रवृत्त आपकी कंपनी ने निम्नलिखित कुछ गुणता मानक अपने भण्डारगार में शामिल किये हैं।

- आई एस ओ / आई ई सी 17025:201 के अनुसार भानूर इकाई के इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को अंशाकन (Calibration) (इलेक्ट्रो टेक्निकल) के क्षेत्र में एन ए बी एल से अधिप्रमाणित किया गया है।
- निगम कार्यालय को फरवरी 2020 में प्रमाणन निकाय मेसर्स नोवो स्टार मैनेजमेंट सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लि., बेंगलूरु द्वारा आई एस ओ 9001: 2015 से अधिप्रमाणित किया गया है।
- सी एस आर में उत्तम प्रयोगों के लिए पुरस्कार : दिव्यांगता की समस्याओं के निदान के लिए किये गये विशेष कार्यों के लिए जनवरी, 2020 को आई पी ई, हैदराबाद द्वारा सी एस आर के क्षेत्र में उत्तम प्रयोगों के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सी एम डी एस परियोजना के लिए ए एफ क्यू एम एस प्रमाण-पत्र की प्राप्ति हुई है।
- कंचनबाग इकाई के आकाश प्रभाग ने एयरोस्पेस मानक ए एस 9100 डी गुणता प्रबंधन प्रमाणन का पुनः प्रमाणन प्राप्त किया है।

8) नयी पहल :

नयी पहल करना हमेशा हमारी कोशिशों का हिस्सा रहा है और इस साल भी हमने कई नयी पहल की हैं।

- बीडीएल, इब्राहीमपट्टणम में माननीय रक्षा मंत्री ने 5 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
- भारत सरकार के जलशक्ति अभियान के तहत माननीय रक्षा मंत्री ने बीडीएल की इब्राहीमपट्टणम इकाई में 'जल निधि' नामक वर्षा जल संचयन सुविधा का उद्घाटन किया।
- आपकी कंपनी ने मिसाइल विनिर्माण, निरीक्षण एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संबंधी गतिविधियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किये हैं। आई आई आई टी के अनुसंधान ग्रुप के बीच यह सेंटर ऑफ एक्सलेंस बीडीएल के उत्पाद एवं संयंत्रों को समझने के लिए एक ए आई प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा। परस्परिक समझौते के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सलेंस में सालाना पाँच परियोजनाओं पर कार्य होगा।
- डिफेंस स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाना : बीडीएल ने तेलंगाना हब के साथ पहल करते हुए रक्षा संबंधी उत्पाद के लिए स्टार्ट-अप कंपनियों का विकास करने का काम शुरू किया है। तेलंगाना सरकार के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- श्री के सतीश बाबू, आई डी ए एस, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, बेंगलूरु ने दि. 12 अप्रैल 2019 को बीडीएल, कंचनबाग इकाई में एओ के डीएडी सेल का उद्घाटन किया।

9) अनुसंधान एवं विकास:

आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए उत्पाद के विकास और वर्तमान उत्पादों के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में आपकी कंपनी का अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी विभाग निम्न परियोजनाओं पर बल दे रहा है :

a) अमोघ:

बीडीएल ने अमोघ - III, तीसरी पीढ़ी के व्यक्तिवाह्य फायर अण्ड फारगेट टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र का अभिकल्पन एवं विकास किया है। मिसाइल का फील्ड फायरिंग परीक्षण के रेंजेस, अहमदनगर में दि 1 से 3 फरवरी, 2020 के दौरान किया गया।

डेफेक्सपो 2020 में इस मिसाइल को लॉच किया गया तथा कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.) सीएमडी ने इसके पहले मॉडल को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौंपा।

- b) निर्धारित जगहों पर पहले से ज्ञात मिसाइल के खतरे से एयरक्राफ्ट को स्वसुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता फीचर युक्त सी एम डी एस एमके - II पर कार्य।
- c) फ्लेयर्स एवं चेफ्स को छोड़ने के लिए एएन - 32 के लिए डिस्पेंसर
- d) एसयू - 30 एम के आई एअर क्राफ्ट की Φ50एमएम डिस्पेंसर यूनिट के लिए टेस्टर
- e) कांकूरस लॉचर परीक्षण उपकरण (के एल टी ई) वर्शन - II एवं कांकूरस मिसाइल परीक्षण उपकरण (के एल टी ई) वर्शन - II
- f) के एल टी ई वर्शन - II माइक्रो कंट्रोलर आधारित परीक्षण उपकरण है जिसका प्रयोग कांकूरस ए टी जी एम लॉचर की कार्यशीलता की जाँच करने के लिए किया जाता है जबकि के एल टी ई वर्शन - II का प्रयोग कांकूरस-एम ए टी जी एम की कार्यशीलता की जाँच करने के लिए किया जाता है। 17 फील्ड एम्युनिशन डिपो (एफ ए डी), लुधियाना एवं 510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ में फरवरी 2020 के दौरान प्रयोक्ता जाँच सफलतापूर्वक आयोजित की गई।



10) नैगमिक अभिशासन:

आपकी कंपनी में कंपनी के प्रबंधन, इसके निदेशक मंडल, इसके शेयरधारक एवं अन्य हितधारकों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके सुव्यस्थित सिद्धांत, नीतियाँ, पद्धतियाँ, स्पष्ट निर्धारित दायित्व एवं जवाबदेही के होने से आपकी कंपनी के पास अपनी उद्देश्य-प्राप्ति के प्रावधान सटीक माध्यम तथा कार्यनिष्पादन के अनुवीक्षण की प्रणाली मौजूद है।

आपकी कंपनी एसईबीआई तथा अन्य सरकारी सांविधिक निकाय के सभी अनिवार्य प्रावधानों निदेशक मंडल का गठन, लेखापरीक्षा समिति, निदेशक मंडल की प्रक्रियाएँ, प्रबंधन चर्चा एवं वार्षिक रिपोर्ट मूल्यांकन, वित्तीय विवरणिकाओं का प्रमाणन, आंतरिक नियंत्रण एवं नैगमिक अभिशासन की रिपोर्टिंग का अनुपालन कर रही है। नैगमिक अभिशासन संबंधी त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है।

कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय जैसी विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

सहर्ष सूचित किया जाता है कि नैगमिक अभिशासन श्रेणी में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट' (Excellent) रेटिंग दिया गया है। जिस सुव्यस्थित पद्धति, संबंध, विनियमन एवं प्रक्रियाओं के अधीन आपकी कंपनी कार्यरत है उसके लिए यह शंसा पत्र है।

11) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास

हमेशा की तरह आपकी कंपनी सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है। सामाजिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य को एकीकृत करते हुए हमने कई कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को सतत रूप से अपनाया है। वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर लिए रु. 16 करोड़ खर्च किये गए। सीएसआर गतिविधियों के तहत आपकी कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के अंतर्गत गाँवों को अपनाया। विकासात्मक महत्वाकांक्षी जिले, स्वच्छ भारत, कौशल विकास जैसे कई कार्यक्रमों को चलाया है। आपकी कंपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही है।

भविष्य-दृष्टि:

भारत का रक्षा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। सशस्त्र सेना बल के आधुनिकीकरण एवं विनिर्माण का देशीकरण मुख्य कार्य क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में ही प्रौद्योगिकीय प्रोन्नत उपकरणों का विनिर्माण कर इस क्षेत्र में स्वावलंबी बनने के लिए यह एक अच्छा अवसर है।

संविदा संबंधी बातचीत बेहतर ढंग से हो और संविदाओं के आबंटन में तेजी लाने के उद्देश्य से उद्योग-हितैषी संरचना स्थापित करने डी पी पी 2016 का कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत मेक प्रोसीजर (Make Procedure), रणनीतिक भागीदारी मॉडल, एफ डी आई मानदण्डों में छूट और निजी उद्योगों को अवसर प्रदान करना आदि कदम उठाये गये।

वर्तमान प्रवृत्तियों के साथ चलते हुए आपकी कंपनी नयी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंतरिक आर अण्ड डी को सुदृढ़ बनाने, अपने-अपने क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी ओईएम के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख / संयुक्त साझेदारी पर हस्ताक्षर करने पर ध्यान दे रही है। इनके अलावा, आपकी कंपनी नाग, अस्त्र, एमपीएटीजीएम, एसएएस, क्यू आर सैम, आकाश-एनजी इत्यादि परियोजनाओं के लिए डी आर डी ओ के साथ सह-विकास भागीदार के रूप में भी संलग्न है।

आभार प्रदर्शन:

हम वैश्विक स्तर की मंजिल हासिल करने में लगे हैं और लगे रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हितधारकों के निरंतर सहयोग व निर्देशन में कंपनी नयी उपलब्धियाँ हासिल करेगी सर्वतोमुखी सफलता प्राप्त करेगी।

मैं, भारत सरकार, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, डी आई पी ए एम, राज्य सरकार, हमारे ग्राहक, निरीक्षण अभिकरण, लेखापरीक्षक, विक्रेता, अन्य प्राधिकरण एवं अभिकरण द्वारा दिये गये निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

कंपनी को सुदृढ़ बनाने में अपने अमूल्य सहयोग के लिए निदेशक मंडल के मेरे सहकर्मियों की भी प्रशंसा करता हूँ। अपने विश्वास, भरोसा एवं कंपनी को सतत सहयोग प्रदान करने के लिए निवेशक एवं शेयरधारक के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, पूरे बीडीएल परिवार की ओर से आश्चर्य करना चाहूँगा कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अथक प्रयास एवं प्रतिबद्धता के साथ आपकी कंपनी कार्य करती रहेगी।

जय हिंद!!!

कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन : 08367035

तारीख : 29 जून, 2020

स्थान : हैदराबाद



हमारे उत्पाद

बी डी एल, संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विनिर्माण करने वाला भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। कंपनी की उत्पाद-सूची में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), अंतर्जल-अस्त्र, लॉचर, प्रतिमारक तथा परीक्षण उपकरण शामिल हैं। कंपनी मिसाइल के कार्य-काल का विस्तार और इनके पुनर्संजीकरण का कार्य भी करती है। बी डी एल, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सैम (एस ए एम) व ए टी जी एम आपूर्त करने वाला अकेला आपूर्तिकर्ता है।



आकाश सैम (एस ए एम)

ज़मीन से हवा में मार करने वाली आकाश अस्त्र-प्रणाली (सैम) हर तरह के मौसमी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को साध सकती है। यह हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मानव रहित वायु वाहनों को लक्ष्य बना सकती है। हम आकाश - एस ए एम के अतिरिक्त इसके लिए आवश्यक भू-आधार प्रणाली और निर्माण संरचनात्मक सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को आकाश सैम के लिए अवसंरचना सुविधाएँ मुहैया कराते हैं।



लंबी दूरी की सैम (एल आर सैम) और मध्यम दूरी की सैम (एम आर सैम)

यह उच्च और त्वरित प्रतिक्रियावादी लंब रूप प्रमोचित सुपरसॉनिक मिसाइल है जो शत्रु के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, वायुयान, संचलित बम और हेलिकॉप्टर आदि को ध्वस्त करती है।



मिलान 2टी ए टी जी एम

मिलान 2टी दूसरी पीढ़ी की द्वि-युद्धास्त्र युक्त एक व्यक्तिवाह्य टैंकभेदी मिसाइल है जो चल और अचल दोनों तरह के लक्ष्य भेद सकती है।

10



कांकूर्स-एम ए टी जी एम

कांकूर्स-एम दूसरी पीढ़ी की अर्द्ध-स्वचालित ट्यूब प्रमोचित प्रकाशिकीय नियंत्रित टैंकभेदी मिसाइल है जो चल एवं अचल कवचित लक्ष्य भेदने तैयार की गई है। इसे वाहन और लॉचर दोनों से चलाया जा सकता है।




इनवार (3 यू बी के) ए टी जी एम

इनवार (3यूबीके 20) ए टी जी एम मेकनाइज्ड इंफैंट्री द्वारा प्रयुक्त दूसरी पीढ़ी से आगे का अस्त्र है जिसे टी-90 टैंक गन बैरल से फायर कर कवचित वाहनों को ध्वस्त करने बनाया गया है।



सी एम डीएस

सी एम डी एस एक माइक्रो कंट्रोलर शाफ़ और फ्लेएर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पायलेट या फिर वायुयान के राडार चेतावनी रिसीवर से सक्रिय किया जा सकता है। सी एम डी एस हीट सीकिंग व राडार संचलित मिसाइल से वायुयान को शाफ़ और फ्लेएर, पे-लोड अवसर्जित कर सुरक्षा प्रदान करता है।



टॉरपिडो रोधी डिकॉय प्रक्षेपण प्रणाली ('टॉरपिडो रोधी प्रणाली')

टॉरपिडो रोधी प्रणाली किसी सक्रिय और / या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से पनडुब्बी को होने वाले खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है।

पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला डिकॉय ('एस एफ डी')

एस एफ डी सक्रिय या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से स्वयं की पनडुब्बी के समक्ष वांछित लक्ष्य के रूप में कार्य करता है।




भारी टॉरपिडो

भारी टॉरपिडो युद्धपोत से छोड़े जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणोदित और उन्नत स्वयंचलन प्रणाली युक्त एक अंतर्जलास्र है। यह अस्र-प्रणाली लक्ष्य का पीछा करने में अस्र युक्त बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है।

हल्के भार वाला टॉरपिडो

यह हल्के भार वाला टॉरपिडो युद्धपोत हेलिकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी को खत्म करने किया जाता है।



कांक्रूस एम और मिलान 2टी ए टी जी एम के लिए लॉचर

परीक्षण उपकरण



हमारी रणनीति



12

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत एवं वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियों से युक्त वातावरण बी डी एल के संव्यवहार का प्रमुख वाहक तत्व है। इस माहोल को बढ़ती टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र में हो रहे देशीकरण तथा बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा से और बढ़ावा मिलता है।

इस तरह के माहोल में हमारी संव्यवहार-दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है क्रियान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय थल-सेना को हमारे उत्पादों की सुपुर्दगी तय करने पूर्वानुमयता कर पाना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा तथा हमारे अपनों पर निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

ऐसी पृष्ठभूमि में रणनीतिक दृष्टि से बी डी एल के उद्देश्य रहे कि बाजार में कंपनी की स्थिति दृढ़ करने अपनी क्षमताओं का विस्तार करें, देशी एवं विदेशी बाजार में उपलब्ध अवसरों को भुनाए और देशीकरण पर अधिक ध्यान देते हुए कंपनी की प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ की स्थिति को और बढ़ाए।



वित्तीय विशेषताएँ

टर्नओवर	(करोड़ रुपये में)	कर पूर्व लाभ	(करोड़ रुपये में)
वित्तीय वर्ष 15-16	4159.97	वित्तीय वर्ष 15-16	847.31
वित्तीय वर्ष 16-17	4886.62	वित्तीय वर्ष 16-17	802.81
वित्तीय वर्ष 17-18	4587.60	वित्तीय वर्ष 17-18	773.82
वित्तीय वर्ष 18-19	3069.35	वित्तीय वर्ष 18-19	671.36
वित्तीय वर्ष 19-20	3095.20	वित्तीय वर्ष 19-20	742.45

कराधान के बाद लाभ	(करोड़ रुपये में)	निवल मालियत	(करोड़ रुपये में)
वित्तीय वर्ष 15-16	564.88	वित्तीय वर्ष 15-16	1800.02
वित्तीय वर्ष 16-17	524.06	वित्तीय वर्ष 16-17	2194.98
वित्तीय वर्ष 17-18	528.15	वित्तीय वर्ष 17-18	1956.38
वित्तीय वर्ष 18-19	422.59	वित्तीय वर्ष 18-19	2268.55
वित्तीय वर्ष 19-20	534.90	वित्तीय वर्ष 19-20	2606.83

ईक्रीटी	(करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष	(करोड़ रुपये में)
वित्तीय वर्ष 15-16	4297.83	वित्तीय वर्ष 15-16	97.75
वित्तीय वर्ष 16-17	5011.00	वित्तीय वर्ष 16-17	122.19
वित्तीय वर्ष 17-18	4641.30	वित्तीय वर्ष 17-18	183.28
वित्तीय वर्ष 18-19	3235.22	वित्तीय वर्ष 18-19	183.28
वित्तीय वर्ष 19-20	2591.54	वित्तीय वर्ष 19-20	183.28



दस वर्षों पर दृष्टिपात

(₹ करोड़ में - जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	इकाई	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
बिक्री (सकल)	₹ करोड़	3069.35 &	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71	959.12	939.16	627.23
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन कार्य में परिवर्तन	₹ करोड़	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81	33.82	(28.18)	4.38
उत्पादन मूल्य	₹ करोड़	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52	992.94	910.98	631.61
सामग्री की खपत	₹ करोड़	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57	633.53	580.14	438.01
परिवर्द्धित मूल्य	₹ करोड़	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95	359.41	330.84	193.60
कर पूर्व लाभ	₹ करोड़	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06	348.19	79.17	50.63
कराधान के बाद लाभ	₹ करोड़	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40	234.96	51.70	33.77
ईक्रीटी	₹ करोड़	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	₹ करोड़	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30	617.38	437.05	412.08
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर)	₹ करोड़	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55	604.24	488.08	461.20
सामग्री-सूची	₹ करोड़	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53	602.57	502.19	570.26
ग्राह्य व्यापार	₹ करोड़	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55	88.39	45.15	33.58
कार्यगत पूँजी	₹ करोड़	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34 ^	812.68 \$	614.58 \$	458.97	370.66 #	360.44
नियोजित पूँजी	₹ करोड़	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20 ^	1172.29 \$	892.59 \$	670.64	511.79 #	503.66
निवल मालियत	₹ करोड़	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	953.08	732.19	551.85	526.88
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3034	3095	3182	3132	3183	3266	3300	3142 @	2897	2894
कर्मचारियों पर लागत	₹ करोड़	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99	240.32	234.53	178.84
पारिश्रमिक प्रति ₹ पर परिवर्द्धित मूल्य	₹	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53	1.50	1.41	1.08
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी	₹ लाख	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00	11.44 @	11.42	6.69
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस)	₹	23.06	26.65	24.51 !	42.73 !	36.40 !	30.04 !	25.08 !	20.43 !	4.50 !	2.94 !

& वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखा-मानक-115 के अनुसार बिक्री की गणना परिसमापन क्षतियों की कटौतियों के बाद की जाती है।

* वर्ष 2015-16 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गईं।

परिवर्द्धित अनुसूची- VI के अनुरूप लेखा प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुनःसमायोजित।

@ अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्था की गई।

\$ वर्ष 2013-14 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया।

^ वर्ष 2014-15 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-16 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया।

! वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1000/- मूल्य के शेयर को ₹ 10/- में विभाजित करना और तदनु रूप ई पी एस को ₹ 10/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुनःसमायोजित।



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकगण की ओर से प्रस्तुत है दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 50वें वार्षिक विवरण सहित कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे।

1. परिचालन के मुख्य अंश

- माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आपकी कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दि. 03 अगस्त, 2020 को बीडीएल का दौरा किया। माननीय रक्षा मंत्री ने भारतीय वायु सेना को मध्यम दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एम आर सैम) सौंपा।
- वर्ष के दौरान दो रेजिमेंट के आकाश सैम के आदेश जी एस सी सहित पूरी तरह कार्यान्वित कर दिये गये। आकाश मिसाइल की संबद्ध कुल पुर्जा सहित आपूर्ति के लिए रु. 1700 करोड़ के निवल मूल्य के आकाश सैम के आदेश मार्च, 2020 में प्राप्त हुए।
- आपकी कंपनी ने फरवरी, 2020 में हुए डेफेक्स्पों के 'बंधन' कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना संबंधी उत्पादन आदेश की आपूर्ति के अंग के रूप में भारी टॉरपिडो सौंपा।
- आपकी कंपनी के निगम कार्यालय को फरवरी, 2020 में प्रमाणन निकाय मेसर्स नोवो स्टार मैनेजमेंट सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लि., बंगलूरू द्वारा आई एस ओ 9001: 2015 से अधिप्रमाणित किया गया है।
- वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पी सी एम एम स्तर - II का अधिप्रमाण प्राप्त किया तथा मानव संसाधन प्रक्रिया में पीसीएमएम स्तर कार्यान्वित करने वाला प्रथम रक्षा उपक्रम रहा।

2. वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ

2.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है :

विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का % / (अपवृद्धि)
	2019-20	2018-19	
परिचालन से बिक्री / राजस्व	3095	3069	0.85%
उत्पादन मूल्य	2592	3235	(19.88%)
कर पूर्व लाभ	742	671	10.58%
कराधान बाद लाभ	535	423	26.48%
परिवर्धित मूल्य	1555	1416	9.82%
प्रति शेयर आय# (रुपये में)	29.18	23.06	26.54%

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है।

2.2 निम्नलिखित डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का % / (अपवृद्धि)
	2019-20	2018-19	
सकल ब्लॉक	1011	1008	0.30%
मूल्यहास	258	196	31%
निवल ब्लॉक	753	812	(7.27%)
कार्यगत पूंजी	2260	1390	62.59%
नियोजित पूंजी	3192	2347	36%
निवल मालियत	2607	2269	14.90%

2.3 कोविड - 19 :

कोविड - 19 महामारी तथा लॉकडाउन की वजह से आपकी कंपनी की विनिर्माण सुविधाएँ 23 मार्च, 2020 से बंद रहीं। 04 मई, 2020 से 33% स्टॉफ के साथ तथा 20 मई 2020 से 50% स्टॉफ के साथ कार्य का पुनःप्रारंभ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन करते हुए किया गया। मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन शुरू होने की वजह से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का कारोबार ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तथापि, अप्रैल एवं मई, 2020 के दौरान कंपनी के परिचालन कार्य को लॉकडाउन ने प्रभावित किया है और इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो पाया। चूंकि परिस्थिति परिवर्तनीय बनी हुयी है, आपकी कंपनी ने इस पर नज़र बनाये रखी है। कंपनी आशा करती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार की स्थिति ठीक हो जाएगी। पर, आगे कारोबार के परिचालन में किसी भी प्रकार के अवरोध आने से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व और लाभ प्रभावित होने की संभावना है। भारतीय सशस्त्र सेना आपकी कंपनी की प्रमुख ग्राहक है तथा आपकी कंपनी के अपने उत्पाद / सेवाओं की माँग में किसी प्रकार की गिरावट नहीं दिखायी देती है। भारतीय सशस्त्र सेना ने एक संविदा की सुपुर्दगी तिथि को आगे बढ़ाया है तथा शेष संविदा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पूरे किए जाएँगे। इससे आपकी कंपनी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी कंपनी अपनी सभी अनिवार्यताएँ एवं चालू संविदा / व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए हर तरह से सक्षम है।

2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 3069 करोड़ रुपये की तुलना में रु. 3095 करोड़ का कारोबार किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व में सामान्य बढ़ोत्तरी हुयी है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 671 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 742 करोड़ का कर पूर्व लाभ हासिल किया है। जबकि, कराधान बाद लाभ पिछले वर्ष के 423 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 535 करोड़ रहा। लाभ मार्जिन के संबंध में टर्नओवर में कमी होते हुए भी परिचालन में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष के दौरान आयकर दर में हुए संशोधन को देखते हुए आपकी कंपनी ने नयी आयकर दर को अपनाया है।



- 2.5 इस साल आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 617 करोड़ रुपये की तुलना में 689 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया जो परिचालन कार्यनिष्पादन में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख आदेशों में आकाश अस्त्र प्रणाली, एटीजीएम और अन्य उत्पाद शामिल हैं।
- 2.6 दि. 01 अप्रैल, 2020 तक आपकी कंपनी के पास रु. 7413 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं। इनमें प्रमुख रूप से आकाश, एमआर-एसएएम, एटीजीएम, एलडब्ल्यूटी का निर्यात और अन्य उत्पाद शामिल हैं।

3. सर्वजन से सावधि जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार की सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और न ही वर्ष के शुरुआत / अंत तक कोई बकाया सावधि राशि देना शेष रहा। अतः ऐसे किसी जमा / ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं रही।

4. सामान्य प्रारक्षण में लाभांश और अंतरण

आपकी कंपनी की ओर से लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रेंड रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए रु. 10/- मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 2.55/- रुपये के हिसाब से रु. 46.74 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। साथ ही, आपकी कंपनी ने मार्च, 2020 में प्रति शेयर पर रु. 6.25/- के हिसाब से रु. 114.55 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है। वर्ष 2019-20 के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जा रही है।



माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी, बी डी एल और श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त)। लाभांश चेक सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री राज कुमार और संयुक्त सचिव (पी अण्ड सी) डॉ. अमित सहाय की उपस्थिति में भेंट किया गया।

5. पूँजी संरचना

दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की प्रदत्त पूँजी रु. 183.28 करोड़ रही (10/- रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 18,32,81,250 इक्विटी शेयर)। दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की प्राधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपये (10/- रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) रही।

6. समझौता ज्ञापन के प्रति कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ हर साल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन 'अच्छा' (Good) आँका गया है जबकि वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू रेटिंग मूल्यांकन अधीन है।

7. आधुनिकीकरण, उन्नयन और देशीकरण

- 7.1 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पूँजीगत व्यय कार्यक्रम के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना विकास के लिए रु. 57 करोड़ की राशि खर्च की है। तदनुसार, पूँजीगत व्यय के अंतर्गत प्री-हीटिंग ओवन, पर्यावरणीय चैंबर, शॉक मशीन, परीक्षण उपकरण एवं हाई स्पीड कैमेरा जैसी प्रौद्योगिकी के उन्नयन का कार्य किया है।
- 7.2 आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा खर्च में कमी लाने और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम के निर्माण में देशीकरण बढ़ाने के दृढ़ प्रयास कर रही है। कांकूर-एम, इनवार, आकाश, टी ए एल-एक्स पी और 'वरुणास्त्र' जैसे उत्पादों में देशीकरण क्रमशः 96%; 78.6%; 71%; 96%; 82.9%; और 86.8% तक हासिल कर लिया गया है।

8. अनुसंधान एवं विकास

- 8.1 आपकी कंपनी इस बात को समझती है कि भारतीय सशस्त्र सेना बलों के लिए विभिन्न उत्पादों का अभिकल्पन और विकास करने अनुसंधान और विकास पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान टेलीमेट्री ग्राउंड स्टेशन, 512 कोर एच पी सी सिस्टम, हँड-हेल्ड आर एफ सिगनल जनरेटर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैबिनेट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनलाइजर, डी अण्ड ई प्रभाग के लिए एल ए एन (लैन) स्थापित करने जैसी सुविधाएँ तैयार की गयीं।
- 8.2 आपकी कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान भी की है और वर्तमान में निम्नलिखित मिशन पर अनुसंधान और विकास केंद्रित कर रही है।

- ए) **अमोघ-III:** यह तीसरी पीढ़ी की आई आई आर सीकर आधारित 'फायर अण्ड फारोट' किस्म की टैंकरोधी मिसाइल है। इस मिसाइल के सभी प्रोटोटाइप उप-संयोजन आंतरिक डिजाइन के अनुरूप विकसित किये जा रहे हैं। दि. 01 से 03 फरवरी, 2020 के दौरान इस मिसाइल का फील्ड फाइरिंग परीक्षण भी किया गया था। डेफेक्सपो 2020 में इस मिसाइल को लाँच किया गया तथा कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सीएमडी ने इसके पहले मॉडल को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौंपा।



- बी) निर्धारित जगहों पर पहले से ज्ञात मिसाइल के खतरे से एयरक्राफ्ट को स्वसुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त सी एम डी एस एमके - II पर कार्य।
- सी) फ्लेयर्स एवं शैप्स को छोड़ने के लिए एएन - 32 के लिए डिस्पेंसर।
- डी) एसयू - 30 एम के आई एअर क्राफ्ट की 50एमएम डिस्पेंसर यूनिट के लिए परीक्षण उपकरण।
- ई) कांक्रूस लॉचर परीक्षण उपकरण (के एल टी ई) वर्शन - II एवं कांक्रूस मिसाइल परीक्षण उपकरण (के एम टी ई) वर्शन - II: के एल टी ई वर्शन - II माइक्रो कंट्रोलर आधारित परीक्षण उपकरण है जिसका प्रयोग कांक्रूस ए टी जी एम लॉचर की प्रयोज्यता की जाँच करने के लिए किया जाता है जबकि के एम टी ई वर्शन - II का प्रयोग कांक्रूस-एम ए टी जी एम की प्रयोज्यता की जाँच करने के लिए किया जाता है। 17 फील्ड एम्युनिशन डिपो (एफ ए डी), लुधियाना एवं 510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ में फरवरी, 2020 वर्ष के दौरान प्रयोक्ता इनके जाँच सफलतापूर्वक आयोजित किये गये।

8.3 निम्नलिखित तालिका आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है : (रुपये करोड़)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
बिक्री कारोबार (सकल)	3095	3069	4588
आर अण्ड डी व्यय	73.87	53.45	40.22
आर अण्ड डी व्यय का %	2.39%	1.74%	0.88%

- 8.4 आंतरिक आर अण्ड डी गतिविधियों के अतिरिक्त आपकी कंपनी ने निम्नलिखित संस्थाओं के साथ आर अण्ड डी गतिविधियों के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए :
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) युक्त उत्पाद के विकास के लिए आई आई आई टी, हैदराबाद के साथ।
 - यू ए वी एवं वेंटीलेटर बनाने के लिए आई आई टी, कानपुर के साथ।
 - स्टार्ट-अप के लिए सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य के टी-हब के साथ।

9. एम एस एम ई से खरीद :

- 9.1 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग से खरीदी पर अधिक बल दिया है। अस्त्र-विनिर्माता होने के नाते आपकी कंपनी को दि. 23 मार्च, 2012 की एम एस एम ई अधिसूचना सं. एफ नं. 21 (1)/2011-एमए के तहत छूट प्राप्त है। यद्यपि आपकी कंपनी प्रयास करती है कि कुछ सामान्य प्रकृति की वस्तुएँ एम एस एम ई से खरीदें।
- 9.2 आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एम एस आई सी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ विशेष सुविधाएँ / छूट देती है :
- ए) निविदा दस्तावेज नि:शुल्क जारी करना।
- बी) बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट।
- सी) भारी मात्रात्मक इकाई की निविदाओं पर 15% तक की मूल्य-प्राथमिकता। यदि एसएमई का मूल्य एल-1 रहने वाले गैर-एसएमई के मूल्य से 15 प्रतिशत तक अधिक की सीमा में हो तो उसे एल-1 मूल्य तक कम करने का मौका दिया जाता है। और, एल-1 मूल्य दर की स्वीकृति पर 25% काम के आदेश एसएमई को दिए जाते हैं। एम एस ई से वर्ष में खरीदे जाने वाले 25 प्रतिशत हिस्से में से 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा संचालित उद्यमों के लिए उद्दिष्ट हैं। इसी प्रकार 3% महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले उद्यमों के लिए आरक्षित हैं।
- डी) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई), भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देश युक्त होने पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में स्टार्ट-अप (चाहे एम एस एम ई या अन्य) को योग्यता पूर्व अनुभव में छूट दी जाती है।
- ई) एमएसएमई और स्टार्ट-अप को बैंक गारंटी होने पर कार्य-आदेश की 110% राशि पर ब्याज मुक्त अग्रिम भी दिया जा रहा है।
- एफ) अन्य रक्षा उपकरणों में पंजीकृत विक्रेताओं को यहाँ भी पंजीकृत माना जाता है। ऐसे माने गये पंजीकरण विक्रेताओं को आरएफक्यू में संकेतित अन्य पात्रता मानदंडों की पूर्ति करने पर रक्षा उपकरणों के लिए समान श्रेणी के माल / सेवाओं की सभी भावी निविदाओं में भाग लेने योग्य बनाता है।
- जी) एमएसएमई / स्टार्ट-अप विक्रेताओं को परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करना।



- 9.3 आपकी कंपनी ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) में पंजीकरण किया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के हितों की रक्षा के लिए की गई पहल है। इसमें कई फाइनेंसर्स के माध्यम से कॉर्पोरेट खरीदारों से एम एस एम ई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा है। इसके अंतर्गत एम एस एम ई विक्रेताओं द्वारा बड़े कॉर्पोरेट के प्रति तैयार बिलों में छूट प्रदान की जाती है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम में सभी पंजीकृत एम एस एम ई मुद्रा विनिमयकर्ताओं की एक उद्धरित दर पर TReDS के माध्यम से बिल ऑफ़ एक्सचेंज या चालान में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- 9.4 सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM): आपकी कंपनी ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 149 के अनुसार GeM के साथ पंजीकरण किया है। विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए GeM एक स्टॉप पोर्टल है। GeM का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और डिमांड एक्जीक्यूशन के उपकरण प्रदान करता है ताकि सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सुविधा हो सके।
- 9.5 कंपनी में 'एकता समझौता' लागू है जिस पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ताकि समय-समय पर जारी होने वाली रु. 2 करोड़ से ऊपर के उच्च मूल्य वाली निविदाओं के संबंध में कोई सवाल हो तो उठाये जा सकें। इस 'एकता समझौता' के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए उच्च प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस समझौते में विशेषतः संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वाले और बी डी एल दोनों पक्षों के कार्मिक / अधिकारियों के बीच ठेके के किसी भी पहलू / चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथा न अपनाए इस दृष्टि से एकता समझौते में विचार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर बोली लगाने वाले बिडर को करार के लिए अनर्ह कर दिया जाता है और भावी व्यापार लेनदेन से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

10. प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2019-20 के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने डेफेक्स्पो-2020 में भाग लिया है। इसकी कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं -

11. निर्यात

- 11.1 आपकी कंपनी निर्यात बाजार पर अब अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निर्यात के लिए रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक निर्यात नीति तैयार की है जो विशेष रूप से रक्षा निर्यात के लिए निर्यात के संभावित अवसरों की पहचान करने और भारत सरकार, उपक्रम प्राइवेट सेक्टर जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय से काम कर आदेश प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी का लक्ष्य संगठन के भीतर और विक्रेताओं के बीच एक निर्यात उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
- 11.2 आपकी कंपनी को अपने उत्पाद मित्र देशों को निर्यात करने की भारी संभावनाएँ दिखायी देती हैं। तदनुसार, आपकी कंपनी ने एक मित्र देश को हल्के भारी टॉरपिडो (एल डब्ल्यू टी-एक्स पी) के निर्यात के लिए इंडियन चैनल पार्टनर के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी ने इंडियन चैनल पार्टनर के माध्यम से रु. 174 करोड़ मूल्य के निर्यात आदेश पूरे किये हैं।

12. निदेशक मंडल :

- 12.1 कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, नामित सरकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, कार्यकारी निदेशक और इनमें शामिल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / सर्च कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इस सरकारी सूचना में इन नियुक्तियों के विस्तृत नियम और शर्तों को भी इंगित किया जाता है जिसमें संबंधित कंपनी के नियमों की प्रामाणिकता का प्रावधान शामिल रहता है।
- 12.2 सरकारी निदेशक किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। जबकि, स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) बैठक में भाग लेने शुल्क के हकदार होते हैं जो बोर्ड द्वारा सरकार के निर्देशों, सांविधिक अधिनियम, नियम और विनियम पर विचार कर अनुमोदित किया जाता है।
- 12.3 स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक)
- एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम, 2015 की पूर्ति करते हुए भारत सरकार ने 13 सितंबर, 2017 की अपनी पत्र सं. एच-62011/2/2016-डी (बीडीएल) के माध्यम से तीन नये स्वतंत्र निदेशक श्री अजय नाथ, श्री के एस संपत और श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति को 13 सितंबर, 2017 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए, जो भी पहले हो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, सितंबर, 2020 में इनका कार्य-काल पूरा हो जाने वाला है।
- 12.4 वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक श्रीमती सुषमा वी दबक एवं प्रो. अजय पाण्डेय का कार्यकाल 01 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया। तदनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इनके प्रति अपने कार्यकाल के दौरान दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिये आभार व्यक्त करता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर वक्तव्य :

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने दि. 28 नवंबर, 2018 की अपनी पत्र सं. डीडीपी-एम0001(24)/04/2018-डी(बीडीएल) के तहत स्वतंत्र निदेशक श्रीमती सुषमा वी दबक और प्रो. अजय पाण्डेय के कार्यकाल को अगले एक वर्ष या अगले आदेश तक के भी पहले हो, बढ़ाया है।

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे इस अधिनियम की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड पूरा करते हैं।

- 12.5 अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के तहत श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) आने वाली वार्षिक आम सभा में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होकर खुद को पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे।



बीडीएल (इंडिया पेविलियन) में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधान मंत्री को बीडीएल द्वारा अपनाई गई इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जानकारी देते हुए बीडीएल के सीएमडी कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)।



दि. 7 फरवरी, 2020 को डेफेक्सपो 2020 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बीडीएल द्वारा बनाये गये भारी टॉरपिडो 'वरुणास्त्र' को भारतीय नौसेना को सौंपा।



डेफेक्सपो-2020 में बी डी एल स्टॉल के दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ।



डेफेक्सपो - 2020 के दौरान बीडीएल स्टॉल में प्रदर्शित 'अस्र मिसाइल प्रणाली' के बारे में रुचिपूर्वक जानकारी लेते हुए थल सेना जनरल के प्रमुख।




डेफेक्सपो 2020 के दौरान बी डी एल स्टॉल का दौरा करते हुए श्री श्रीपाद येस्सो नायक, माननीय 'आयुष' (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री एवं रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार।



डेफेक्सपो 2020 के दौरान बीडीएल स्टॉल का दौरा करते हुए विशेष सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।



डेफेक्सपो 2020 के दौरान बीडीएल स्टॉल में महानिदेशक (मिसाइल एवं सामरिक अस्र), भारत सरकार।



डेफेक्सपो 2020 के दौरान बीडीएल स्टॉल में वाइस एडमिरल, चीफ ऑफ मेटेरियल, भारतीय नौसेना।




डेफेक्सपो 2020 के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किए :



बीडीएल एवं जे एस सी अल्माज एंटी एयर एण्ड स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन, रूसी परिसंघ ने वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की विभिन्न उप-प्रणालियों के उत्पादन की संभाव्यता की खोज करने अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए।



बीडीएल एवं रॉकसेल फ्रांस ने मिसाइल एवं रॉकेट परियोजना के लिए आवश्यक कॉंपोसिट प्रोपेलेंट एवं कास्ट डबल वेस प्रोपेलेंट के देशी विनिर्माण में संभाव्य सहभागिता के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए।



बीडीएल एवं रेथियन कंपनी, यू एस ए एवं लॉकहीड मार्टिन, यू एस ए सहित मेसर्स जेवलिन वेंचर ने भारत में जेवलिन मिसाइल प्रणाली के उत्पादन के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए।



डेफेक्सपो - 2020 के दौरान बीडीएल एवं आई आई टी कानपुर ने मानवरहित वायु वाहन के संयुक्त विनिर्माण एवं विकास के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए।



12.6 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वर्ष 2019-20 के दौरान 30 मई, 2019; 10 अगस्त, 2019; 12 नवंबर, 2019; 30 नवंबर, 2019; 09 जनवरी, 2020 और 12 फरवरी, 2020 को निदेशक मंडल की कुल छः (06) बैठकें आयोजित की गईं।

12.7 निष्पादन मूल्यांकन

बोर्ड / निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इसमें आवश्यक छूट प्राप्त है। इसके अलावा, दिनांक 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ डीआईएल1/ओडब्ल्यू/ पी/2018/1679/1 के तहत आपकी कंपनी को इसी तरह की छूट भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ एलओडीआर) विनियम, 2015 'सेबी' के प्रावधान से भी प्राप्त है।

13. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथा संशोधित धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

- वार्षिक लेखा-नीति तैयार करने में सामग्री भेजने संबंधी स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामलों में तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष संबंधी कंपनी के लाभ-हानि सत्य व स्पष्ट परिलक्षित हो सकें इस दृष्टि से चुनिंदा लेखा-नीति निरंतर बनाये रखी गई है तथा बनाये जाने वाले प्राक्कलन भी उचित व सही हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार लेखा-अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गई है ताकि कंपनी की आस्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके।
- वार्षिक लेखा चालू संबद्ध आधाराँ पर किये गये हैं।
- कंपनी ने उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों का सृजन किया है और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

14. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ :

31 मार्च, 2020 से लेकर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं से संबंधित रिपोर्ट - शून्य।

15. मानव-शक्ति तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण :

- कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।
- दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर 2950 रही। इनमें अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 37 है। कुल कार्मिकों में से 91 भूतपूर्व सैनिक, 566 अनुसूचित जाति वर्ग के; 213 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के तथा 811 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमशः 19.17% और 7.22% है।
- दि. 31 मार्च, 2020 तक कुल 37 अस्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जाति वर्ग के और 2 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के हैं।
- दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या							
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
ग्रुप-ए	833	864	155	156	82	83	164	164
ग्रुप-बी	72	78	17	17	4	5	22	22
ग्रुप-सी	1762	1797	324	329	108	107	523	516
ग्रुप-डी	242	258	64	68	17	18	92	98
अस्थायी	37	33	6	7	2	0	10	8
कुल	37	3030*	566	577	213	213	811	808

* कार्यकारी निदेशक छोड़कर।

- वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की भर्ती निम्न प्रकार रही :

पदों का वर्गीकरण (1)	कुल जारी रिक्तियाँ (2)	कुल भर्ती (3)	पदों का आरक्षण (कॉलम 2 में से) (4)			वर्ष 2019-20 के दौरान की गई भर्ती (5)		
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.
ग्रुप-ए	1	1	-	-	-	-	-	-
ग्रुप-बी	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप-सी	6	6	1	-	2	1	-	2
ग्रुप-डी	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	7	7	1	-	2	1	-	2



16. महिला नियोजन :

रक्षा मंत्रालय की दि. 27 अगस्त, 1999 की पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2020 तक महिला नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है :

I. कार्यपालक :

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
I	72	12	16.66
II	168	22	13.09
III	157	25	15.92
IV	197	24	12.18
V	85	10	11.76
VI	169	11	6.50
VII	39	-	-
VIII	15	1	6.66
IX	03	-	-
कार्यकारी निदेशक	03	-	-
सी एम डी	01	-	-
कुल	909	105	11.55

II. कार्यपालकेतर :

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-0	1	-	-
वेज ग्रुप -1	4	-	-
वेज ग्रुप -2	135	20	14.81
वेज ग्रुप -3	61	12	19.67
वेज ग्रुप -4	378	31	8.20
वेज ग्रुप -5	164	31	18.90
वेज ग्रुप -6	209	30	14.35
वेज ग्रुप -7	136	17	12.5
वेज ग्रुप -8	35	3	8.57
वेज ग्रुप -9	114	5	4.38
वेज ग्रुप -10	18	-	-
वेज ग्रुप -11	153	4	2.61
वेज ग्रुप -12	596	50	8.39
कुल	2004	203	10.13

17. दि. 31 मार्च 2020 तक दिव्यांग कर्मचारी (पी डब्ल्यू डी) :

दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी में कुल 108 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत रहे और दिव्यांग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.66% रहा।

	एच आई	एल डी	वी आई	कुल
ग्रुप-ए	6	13	5	24
ग्रुप-बी	0	0	0	0
ग्रुप-सी	18	46	8	72
ग्रुप-डी	4	5	3	12
कुल	28	64	16	108

एच आई - बधिर, एल डी - अपंग, वी आई - दृष्टिबाधित

18. मानव संसाधन विकास

18.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित कुल कार्मिक (कार्यपालक बनाम कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी)			
विवरण	प्रशिक्षित कार्यपालक	प्रशिक्षित कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी	कुल
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	514	297	811
आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1800	1954	3754
कुल	2314	2251	4565
श्रम दिन	6409	4016	10425
प्रशिक्षण के औसत श्रम दिन -2019-20 (कुल श्रम दिन / मानव-शक्ति कार्यपालक / कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी)	6.63	1.89	3.38
प्रशिक्षण के औसत श्रम दिन -2019-20 (कुल श्रम दिन / मानव-शक्ति कार्यपालक / कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी)	4.51	1.60	2.45



18.2 आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों / कार्यक्रमों का भी आयोजन किया :

- (ए) **निदेशक मंडल के लिए कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम** : वर्ष के दौरान आई आई सी ए, गुडगाँव की ओर से निदेशक मंडल के लिए आयोजित कार्यक्रम में आपकी कंपनी ने दो स्वतंत्र निदेशकों को कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया।
- (बी) **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी)** : आपकी कंपनी ने 2019-20 के दौरान आई आई एम - लखनऊ, आई आई एम - इंदौर, आईआईएम - कोजिकोड, एक्स एल आर आई जमशेदपुर और एन आई एफ एम, फरीदाबाद जैसी भारत की प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) के लिए वरिष्ठ प्रबंधक और उनसे ऊपर के 99 वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रायोजित किया।
- (सी) **उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (ए एम पी)**: आपकी कंपनी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा और यूनिवर्सिटी ऑफ माइरलैंड, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वाशिंगटन, डी सी के सहयोग से स्कोप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए महाप्रबंधक और उनसे ऊपरी स्तर के तीन प्रधान कार्यपालकों को प्रायोजित किया।

18.3 आपकी कंपनी ने महिला कर्मचारियों में कार्यालयीन जीवन एवं नेतृत्व विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए विशेषकर महिला कर्मचारियों (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी) के लिए नौ नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पंद्रह क्षमता विकास कार्यक्रम एवं सात अनुकूलित (customized) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम मेसर्स 'व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया' (आर्ट ऑफ लिविंग), बेंगलूरु, मेसर्स हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट (कान्हा शांति वनम), हैदराबाद, मेसर्स आई सी एफ ए आई बिजिनेस स्कूल, हैदराबाद एवं मेसर्स पी ए आर एस ए एम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट्यूटरी रूल्स, बेंगलूरु जैसी प्रसिद्ध संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किये गये।

18.4 इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने 'पीपल केपबिलिटी मेथ्यूरीटी मॉडल (पी सी एम एम), स्तर-II प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कई उपाय अपनाकर लागू किये।

19. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (प्रबंधन कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। साथ ही, दि. 5 जून, 2015 की निगम मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इस पर बने नियमों से छूट प्राप्त है।

20. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संव्यवहार यात्रा तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश यात्राओं पर रु. 55.10 लाख खर्च किये।

21. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

21.1 आपकी कंपनी ने सभी वर्ग के कर्मचारी अर्थात् पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संघ जैसे विभिन्न एसोसिएशन के साथ लगातार समता व मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं। सभी अनिवार्य वर्ग की समितियों जैसे कार्यकारी समिति, संरक्षा समिति और कल्याण समिति ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया है।

21.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से किया जा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान बीडीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार रख रही है। इसके अलावा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ संबंधी योजना बनाकर लागू की है।

21.3 वर्ष के दौरान केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सी आई आर एम) द्वारा दि. 24 अगस्त, 2019 को वेरिफिकेशन चुनाव आयोजित किया गया। बीडीईयू (पं.सं. A-3197) को अत्यधिक मतदान प्राप्त हुए तथा प्रबंधन ने दो वर्ष की अवधि के लिए उन्हें मान्यता दी।

21.4 स्वर्ण जयंती समारोह :

आपकी कंपनी इस साल स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। इस अवसर पर दि. 03 अगस्त, 2019 को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी और स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री ने बी डी एल परिसर में डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही, स्वर्ण जयंती डाक टिकट का भी विमोचन किया। कंपनी के स्वर्ण जयंती वर्ष के क्रम में कर्मचारियों के लिए खेल-कूद व टॉर्नमेंट सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर कार्यक्रम सफल बनाये।





22. सुरक्षा :

- 22.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाई में सुरक्षा तथा अग्नि-शमन सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सीआईएसएफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकी व प्रौद्योगिकी के सहयोग से कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये रखे हैं।
- 22.2 आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद बनाए रखी गयी है। कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है।
- 22.3 अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत फोटो पहचान कार्ड के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। कंपनी के अधिकाधिक परिसर क्षेत्र को सी सी टी वी निगरानी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से फैंक्टरी परिसर में सी सी टी वी कैमरा लगाये गये हैं। साथ ही, डोर फ्रेम डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। सैनिक सुरक्षा मानदण्डों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैरिकेड, बूम बैरियर तथा मोर्चों को भी लगाया गया है।
- 22.4 आपकी कंपनी, सुरक्षा सप्ताह / अग्निशमन सप्ताह कार्यक्रम के अतिरिक्त सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे, आपातकालीन व अग्नि दुर्घटना संबंधी रखी जाने वाली सावधानियों से परिचित करवाया जाता है।

23. संरक्षा

- 23.1 आपकी कंपनी कर्मचारियों की संरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संरक्षा का निरंतर ध्यान रखने के लिए निगम स्तर पर बनायी गयी दो समितियों - औद्योगिक संरक्षा समिति और विस्फोटक संरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। औद्योगिक कामकाज फैंक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप किया जाता है और सी एफ ई ई एस, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी एस टी ई सी (विस्फोटक भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों के अधीन विस्फोटक संरक्षा का कड़ा अनुपालन किया जाता है। सी एफ ई ई एस द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है और इस लेखापरीक्षा के दौरान दी गयी सिफारिशों का उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जाता है। साथ ही, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ भी करवायी जाती हैं।
- 23.2 वर्ष के दौरान संरक्षा विभाग ने 04 मार्च से शुरू 49वें राष्ट्रीय संरक्षा दिवस / सप्ताह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कोविड-19 महामारी की वजह से समापन समारोह अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम में संरक्षा विभाग का उल्लेखनीय योगदान रहा जिसकी वजह से फैंक्टरी परिसर की सफाई एवं अप्रयोज्य विस्फोटक सामग्री के निपटान में सहायता मिली। संरक्षा विभाग ने बीडीएल के लिए पीसीएमएम स्तर-2 अधिप्रमाणन प्राप्त करने में अहम भूमिका निभायी।
- 23.3 हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप से जनता के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने पूर्वसक्रिय होते हुए इस महामारी की रोकथाम के लिए देश के अथक प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई पहल कीं और उपाय अपनाये। किसी भी आपातकाल की स्थिति का सामना करने के लिए प्रबंधन ने कंपनी के सभी कार्यालयों एवं इकाई के अनुभागों से कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक 'समुदाय सहायक टीम' का गठन किया। कर्मचारी एवं उनके परिजन, जहाँ भी उनके निवास हो, लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी भी समस्या के समधान के लिए टीम के किसी भी सदस्य से संपर्क करने का प्रावधान किया गया। आगे, लॉकडाउन के दौरान उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि अग्नि, संरक्षा एवं मशीनों के अनुरक्षण के संबंध में आवश्यक निवारण उपाय अपनाते हुए कार्य पुनः आरंभ करने के लिए संगठन की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। अत्यावश्यक सेवाएँ दैनिक आधार पर कार्य करने के लिए रोस्टर बनाया गया। कर्मचारियों की संरक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कई पूर्वोपाय एवं निवारण उपाय किये गये। परिसर की सभी जगहों पर प्रयोक्ता हितैषी रोगाणुनाशक के माध्यम से निस्संक्रामक किया गया। पीपीई किट दिये गये, वाहनों को निस्संक्रामक किया गया, सुरक्षा पद्धतियों, कार्य पद्धतियों, सेनिटाइजेशन इत्यादि के संबंध में दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किये गये। लॉकडाउन के दौरान अपनाये गये उपाय को जारी रखते हुए तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करते हुए आपकी कंपनी ने सभी इकाई / कार्यालयों में परिचालन कार्य को जारी रखने में अपनी क्षमता दर्शायी है।

24. वार्षिक विवरणिका

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका का सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न किया गया है।

25. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:

- 25.1 आपकी कंपनी पर्यावरण को स्वच्छ व हरा-भरा बनाये रखने पुनःचक्रण, पुनः उपयोग और घटाव के तरीके अपनाकर साफ-सुथरी प्रौद्योगिकी लाने और पर्यावरण हरा-भरा रखने विधिवत् रूप से उत्तम परिपाटियों को शामिल करती आ रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ व स्क्रेप का निपटान, फल-फूल लगने वाले पौधे तथा बागवानी, अशुद्ध जल को शुद्ध कर उपयोग में लाने जैसे पर्याहितैषी काम किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी, आई एस ओ 14001 कोर-समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा करती आ रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है। ठोस एवं हानिकारक व्यर्थ का निपटान प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा परिवेशी वायु गुणता, डीजी सेट्स / वेंचुरी स्क्रबर्स की स्टैक गुणता, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं अशुद्ध जल शुद्धीकरण संयंत्र के पर्यावरणीय मानकों का परीक्षण निधारित अंतराल के अनुसार किया गया।

वर्ष के दौरान तीनों यथा - कंचनबाग, भानूर एवं विशाखापट्टणम इकाई के लिए मेसर्स टी यू वी इंडिया प्रा. लि. द्वारा आई एस ओ 14001:2015 (ईएमएस) का पुनः अधिप्रमाणन प्राप्त हुआ।

25.2 विश्व पर्यावरण दिवस-2019 का आयोजन

विश्व पर्यावरण दिवस-2019 का आयोजन बीडीएल की तीनों इकाइयों में उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर तीनों इकाइयों की प्रमुख जगहों पर बैनर लगाए गए और दि. 06 जून, 2019 को पौधे भी लगाये गये। साथ ही, 'वायु प्रदूषण' विषय पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में निबंध लेखन, श्लोगन लेखन, प्रश्नमंच जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं।



अधिशाली निदेशक एवं प्रधान (केबीयू) श्री एम एन सुरेश, वृक्षारोपण करने के उपरांत चित्र समूह में। इस अवसर पर कंचनबाग इकाई के अपर महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी तथा यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया।

26. गुणता

- 26.1 आपकी कंपनी एकल प्रयुक्त उत्पाद बनाती है। उत्पादों में कड़ी गुणता मानक होना तथा इनका उच्च विश्वसनीयता युक्त होना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य-प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने पिछले 24 वर्ष से आई एस ओ / ए एस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय गुणता प्रबंधन नीतियाँ अपना रखी है। वर्तमान में मिलान, आकाश, सीपी-आईजीएमपी प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एवं डी अण्ड ई प्रभाग और भानूर इकाई आई एस ओ 9001डी एयरोस्पेस मानक से प्रमाणित हैं। विशाखापट्टणम इकाई में भी अंतिम अधिप्रमाणन लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है तथा मेसर्स नोवो स्टार मेनेजमेंट सिस्टम्स सोल्यूशंस प्रा.लि. ने एएस 9100डी प्रमाणन के लिए सिफारिश की है।
- 26.2 वर्ष के दौरान निगम कार्यालय को मेसर्स नोवो स्टार मेनेजमेंट सिस्टम्स सोल्यूशंस प्रा. लि. से आई एस ओ 9001:2015 का अधिप्रमाणन प्राप्त हुआ। यह प्रमाण-पत्र 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग को डीजीएक्यूए द्वारा ए एफ क्यू ए एस से अधिप्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र भी 3 वर्ष तक मान्य रहेगा।
- 26.3 बी डी एल की तीनों इकाइयों कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) से प्रमाणित हैं। आपकी कंपनी आई एस ओ 27001 : 2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) से भी अधिप्रमाणित है। भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है। वर्ष के दौरान सभी आई एस ओ / ए एस अधिप्रमाणित प्रभागों का बाहरी एजेंसियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षाएँ की गईं। इन सभी प्रभागों द्वारा विनिर्मित प्रमुख उत्पादों की ग्राहक-संतुष्टि का आकलन किया जाता है।
- 26.4 आपकी कंपनी ग्राहकों के साथ बैठकें, प्रयोगकर्ताओं से संपर्क आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक-संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जहाँ आवश्यक हो, सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। इसे सुदृढ़ बनाने के लिए अधिशाली निदेशक की अध्यक्षता में उत्पाद सहयोग ग्रुप (पी एस जी) का गठन किया गया ताकि विक्रय उपरांत ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

27. राजभाषा कार्यान्वयन

- 27.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी एवं निदेशकगण की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं।
- 27.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल तथा संसदीय समितियों के लिए प्रस्तुतियाँ, कंपनी का परिचय आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये।
- 27.3 दि. 01 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम इकाइयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- 27.4 इसी प्रकार निगम कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए दि. 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। सी एम डी एवं अध्यक्ष, राभाकास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में भानूर इकाई में मल्टीमीडिया के जरिये 'स्वदेश' फिल्म दिखायी गयी।
- 27.5 बीडीएल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए समिति के उत्तम कार्य निष्पादन के लिए 'ग' क्षेत्र में 'दक्षिण क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार' की घोषणा की गयी। साथ ही, समिति के तत्वावधान में दि. 13 मार्च, 2020 को नवनियुक्त राजभाषा अधिकारी / नोडल हिंदी अधिकारी / राजभाषाकर्मियों के लिए 'राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 21 सदस्य कार्यालयों से कुल 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 27.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह, अग्नि संरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस तथा क्रांती एकता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल करने तथा इन विषयों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
- 27.7 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और स्वर्णजयंती वर्ष समारोह के अवसर पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया। इसी प्रकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस के अवसर पर भी शपथ हिंदी-अंग्रेजी में दिलायी गयी।



- 27.8 स्वर्णजयंती वर्ष समारोह के अवसर पर दि. 03 अगस्त को माननीय रक्षा मंत्री ने बी डी एल का दौरा किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 'भारतरत्न' डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरे के अवसर पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया। साथ ही, कार्यक्रम संबंधी निमंत्रण पत्र, बैनर तथा अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री हिंदी-अंग्रेजी में तैयार कर प्रदर्शित की गयी।
- 27.9 दि. 27 फरवरी, 2020 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने उद्यम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का निरीक्षण किया। समिति के अध्यक्ष प्रो. रामगोपाल यादव ने बी डी एल में राजभाषा कार्यान्वयन की ओर किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।



- 27.10 दि. 03.10.2019 को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा उद्यम की विशाखापट्टणम इकाई में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर प्राप्त रिपोर्ट में इकाई में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई।
- 27.11 भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार की गई है और समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है।
- 27.12 बीडीएल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। समिति की अर्द्धवार्षिक बैठकें क्रमशः मई और अक्टूबर महीने में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों अर्द्धवार्षिक बैठकों की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं सी एम डी, बी डी एल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने की। इसी प्रकार समिति की गृह-पत्रिका 'पथिक' का दि. 24.5.2019 को आयोजित अर्द्धवार्षिक बैठक में विमोचन कर वितरित किया गया। उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों ने समिति की ओर से आयोजित अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर चार पुरस्कार जीते।

28. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

सार्वजनिक रक्षा उपक्रम होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च संबंधी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर सं. 680 (ई), दि. 4 सितंबर, 2015 के तहत सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को इनसे छूट प्राप्त है।

कंपनी, अपनी भानूर और कंचनबाग इकाइयों के कैप्टिव खपत के लिए 10 मेगावाट सोलार सौर ऊर्जा सयंत्र का परिचालन करती है।

29. सतर्कता :

- 29.1 सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक / पूर्व सक्रिय सतर्कता अपनाना है। सतर्कता विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-निविदा, भर्ती, विभागीय पदोन्नतियाँ, आरक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षुओं का आमेलन, अंतर-इकाई स्थानांतरण, संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का रोटेशन और सिविल कार्य जैसे विषयों के संबंध में सुझाव दिये गये। और, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने इनमें से कई मदों का कार्यान्वयन भी किया।
- 29.2 केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का एक अंग होने के नाते विभाग ने आयोग को कई रिपोर्टें प्रस्तुत कीं (उदा : मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक एवं सी टी ई टाइप)। साथ ही, रक्षा मंत्रालय एवं कंपनी के निदेशक मंडल को भी रिपोर्टें प्रस्तुत की गयीं। विभाग ने भर्ती, पदोन्नति, आमेलन, स्थायीकरण, विदेशी दौरे, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनीती इत्यादि मामलों में कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए। विभाग ने सीवीसी की शिकायत निपटान नीति के अनुसार शिकायतों के निपटान को वरीयता दी है।
- 29.3 सीवीसी द्वारा सुझायी गयी विषय-वस्तु पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह का आयोजन करना विभाग का एक अविभाज्य कार्य है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह दि. 28 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2019 तक बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया और इस वर्ष का थीम 'सत्यनिष्ठा - जीवन शैली' रहा। दि. 28.10.2020 को श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) ने सत्यनिष्ठा शपथ दिलायी और डॉ. उपेंद्र वेन्नम, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सीवीसी संदेश का वाचन किया। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निगम कार्यालय से इस संदेश का वाचन किया। बीडीएल के सभी प्रभाग यथा 1) निगम कार्यालय - हैदराबाद, 2) कंचनबाग इकाई - हैदराबाद 3) भानूर इकाई - संगारेड्डी जिला 4) विशाखापट्टणम इकाई - आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष दृश्य संलाप (Live Video Conference) के माध्यम से शपथ ग्रहण एवं संदेश वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 29.4 इसी तरह देश के नागरिकों में सत्यनिष्ठा संदेश का प्रचार करने 2000 पैम्फलेट वितरित किए गए। इस पर महात्मा गाँधी का संदेश 'यह धरती हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है। पर, हर किसी की लालच नहीं' छपवाया गया। साथ ही, नागरिकों द्वारा ई-शपथ ग्रहण के लिए यूआरएल के पते सहित सीवीसी सत्यनिष्ठा शपथ छपवायी गयी।



- 29.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अंतर्गत दि. 31.10.2019 को मिश्र धातु निगम की सहभागिता से कर्मचारियों के लिए 'कार्यस्थल पर सदाचार सत्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्य' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रख्यात वक्ता श्री अशुतोष कुमार मिश्र इस कार्यशाला के वक्ता रहे।
- 29.6 31 अक्टूबर, 2019 को श्री सरदार वल्लभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भानूर इकाई, संगारेड्डी, विशाखापट्टणम इकाई, आंध्र प्रदेश एवं कंचनबाग इकाई, हैदराबाद में 'वॉकेथान' का आयोजन किया गया जिसमें मानव-हार बनाते हुए जुलूस निकाला गया। जनता को दैनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व को समझाया गया तथा गैर-कानूनी पारितोष को नकारने का सुझाव भी दिया गया।
- 29.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अंतर्गत 'सत्यनिष्ठा' को अपनी जीवन शैली बनाने में स्कूली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध लेखन, पोस्टर मेंकिंग और वाक् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आगे, भानूर एवं कंचनबाग के दो स्कूलों में 'इंटीग्रेटी क्लब' की स्थापना की गई। नैतिकता को आदत बनाने और बढ़ावा देने के लिए सीवीओ / बीडीएल द्वारा संकलित महात्मा गाँधी के उद्धरण से युक्त स्टैप एवं अन्य संबंधित सामग्री से युक्त टिकट-संकलन प्रदर्शनी स्थायी रूप से दोनों स्कूल में लगायी गयी।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के अंतर्गत दि. 31.10.2019 को आयोजित वॉकेथान में कर्मचारियों की प्रतिभागिता।

- 29.8 दि. 01 नवंबर, 2019 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक श्री वी वी लक्ष्मीनारायण, आई पी एस, अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस) (नि.) इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बीडीएल, भानूर इकाई में 'सत्यनिष्ठा - जीवन शैली' पर अतिथि व्याख्यान देकर कर्मचारी और उनके परिजनों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान भ्रष्टाचार की प्रकृति और फैलाव को बताते हुए उसे नियंत्रित करने के उपाय भी बताये। कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि), सीएमडी, बीडीएल ने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर अनुचित एवं अनैतिक पद्धतियों को निडर होकर बताएँ तथा आदर्श प्रतिबद्धता दर्शाते हुए उद्यम के विकास में योगदान देने का सुझाव दिया। सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों से युक्त 'सतर्कता संकलन', अनुशासनिक कार्रवाई, कंपनी की सीडीए नियमावली, स्थायी आदेश का विमोचन किया गया।



बीडीएल, भानूर इकाई में संपन्न सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 समापन समारोह में सीएमडी, सीवीओ एवं अन्य निदेशक के साथ 'सतर्कता संकलन' का विमोचन करते हुए श्री वी वी लक्ष्मीनारायण, आई पी एस (नि.)

- 29.9 निवारण सतर्कता की विशिष्टता बनाए रखते हुए कई कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न सतर्कता जागरूकता पहल अपनायी गयीं।

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास

- 30.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान और निगम मामले एवं डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधन के साथ पठनीय कंपनी नियमावली, 2014 के क्रम में सी एस आर नीति के अनुसार कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये हैं। ये कार्यक्रम / गतिविधियाँ /



परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किये जाते हैं और इसे विधिवत रूप से सी एस आर नीति में शामिल किया गया है जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक नियम भी हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के मुताबिक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति (नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट का संदर्भ लें) का गठन किया गया है। गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर गतिविधियों / परियोजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक मंडल को सी एस आर नीति की सिफारिश की है।

- 30.2 सी एस आर एवं एस डी संबंधी गतिविधियों का अनुवीक्षण आवधिक तौर पर समिति द्वारा किया जाता है और सी एस आर एवं एस डी गतिविधियों संबंधी वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।
- 30.3 आपकी कंपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चला रही है।
- 30.4 सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा - स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।
- 30.5 वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले वर्ष की अग्रेनीत राशि मिलाकर सी एस आर अण्ड एस डी व्यय का लक्ष्य रु. 1499 लाख है। लक्ष्य के मुताबिक आपकी कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों पर 1556 लाख रुपये खर्च किये और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक 100 % लक्ष्य हासिल किया। कंपनी द्वारा संचालित सी एस आर गतिविधियों की जानकारी कंपनी वेबसाइट <http://www.bdl-india.in> पर दी गई है।

31. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी में अच्छे नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति कार्यरत है। वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए आठ बैठकें बुलाई गईं। गठन का विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये हैं।

32. संबंधित पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं पाया गया जिससे कंपनी को किसी प्रकार की हित बाधा पहुँचती हो। अतः फॉर्म एओसी -2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए लेखा संबंधी टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी नीति कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर अपलोड की गई है।

33. ऋण, गारंटी या निवेश संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण, वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं।

34. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वित्तीय औचित्य के मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा हर प्रकार के आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाह्य लेखापरीक्षक फर्म की भी नियुक्ति की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म तथा आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की विश्लेषण रिपोर्टें समीक्षा व सुझाव के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा कर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। टिप्पणियों व लेखाओं में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

35. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स नटेशन अण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेखापरीक्षकों ने लेखाओं की लेखापरीक्षा की और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक विवरण के अंग के रूप में दी गयी है।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त कंपनी के लेखा पर दी गई टिप्पणी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद दी गई है।

37. लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स नरसिंह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक, हैदराबाद को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

38. साचिविक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, (पीसीएस पंजीकरण संख्या 5024) को नियुक्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

39. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस ई बी आई) लिस्टिंग विनियम तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन-पत्र प्राप्त कर इसे लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



40. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सी पी एस ई) के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न की गई है।

41. नैगमिक अभिशासन

- 41.1 नैगमिक अभिशासन जुड़ा है उत्तम प्रबंधन के निर्वहन, कानून के अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से। ताकि, कंपनी के भागीदारों की मान वृद्धि हो और सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके।
- 41.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है।
- 41.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) /2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के तहत, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर इसकी शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।
- 41.4 नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 'सेबी' और रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय से नैगमिक अभिशासन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया है और वर्ष 2019-20 के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

42. आपदा प्रबंधन

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के तहत कंपनी ने एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति के विवरण और समिति के विचारार्थ विषय, आपदा प्रबंधन नीति इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

43. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने 'यौन उत्पीड़न विरोधी नीति' लागू कर रखी है। वर्ष 2019-20 के दौरान किसी प्रकार के यौन-उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी की सूचना कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें कंपनी का सामान्य परिचय, क्रियाकलाप, अधिकारी / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम-विनियम, कंपनी द्वारा रखे जाने वाले मैन्युअल और रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की सूची, अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान, सूचना प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया आदि शामिल है। प्रश्न और अपील देखने के लिए कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। आगे, वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने कुल 75 आवेदन / प्रश्न प्राप्त किये जिनका निपटारा कर दिया गया।

45. विजिल मेकानिज्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के साथ पठनीय कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 तथा सी पी एस ई के लिए डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा विजिल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) / विजिल मेकानिज्म का अनुमोदन दिया गया था जिसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इस नीति में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधा संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है।

46. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूँजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत, व्यापार और प्रशासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति का रूप तैयार किया है जिसमें रक्षा उपक्रम के रूप में बीडीएल कार्यरत है। वर्ष के लिए कंपनी की बी आर रिपोर्ट **अनुलग्नक-VI** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

47. लाभांश वितरण नीति

- 47.1 एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार, बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्षस्थ 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ एक 'लाभांश वितरण नीति' तैयार करेंगी। स्टॉक एक्सचेंजों के द्वारा जारी बाजार पूँजीकरण डॉटा के अनुसार, आपकी कंपनी 500 सूचीबद्ध शीर्षस्थ कंपनियों की सूची में आती है।
- 47.2 तदनुसार, लाभांश वितरण नीति अपनायी गयी ताकि शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और / या लाभ को संव्यवहार में लगाने के लिए मानदंड व परिस्थितियों का निर्धारण करने पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा सके। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध है।



48. आभार-प्रदर्शन

- 48.1 आपके निदेशकगण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणियाँ, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार, भारत सरकार की गुणता आक्षासन एजेंसियाँ तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
- 48.2 कंपनी, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षक, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सहयोग तथा सुझाव के लिए निदेशक मंडल कंपनी-अभिलेखों में अभिलिखित करता है।
- 48.3 निदेशकगण, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति-पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

तिथि : हैदराबाद
स्थान : 29.06.2020



अनुलग्नक-1

फॉर्म संख्या एमजीटी - 9 वार्षिक विवरण का सार (दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i)	निगम पहचान संख्या (सी आई एन)	:	L24292TG1970GOI001353
ii)	पंजीकरण तिथि	:	दि. 16 जुलाई, 1970
iii)	कंपनी का नाम	:	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	मिनीरल श्रेणी -1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	कंचनबाग, हैदराबाद - 500058. दूरभाष : +91 40 24344979
vi)	निगम कार्यालय और संपर्क विवरण	:	टी एस एफ सी बिल्डिंग, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद - 500032. दूरभाष : +91 40 23456145 फैक्स : +91 40 23456107
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है?	:	हाँ
vii)	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो तो	:	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 दूरभाष : +91 11 42541234 फैक्समाइल : +91 11 41543474

II. कंपनी की प्रमुख संव्यवहार गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली संव्यवहार गतिविधियों का उल्लेख करें :

क्र.सं.	मूल उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एन आई सी	कंपनी के कुल कारोबार का 10 %
1.	दि. 05 जून, 2015 की शून्य संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त।		

III. स्वामित्व, अधीनस्थ व सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सी आई एन / जी एल एन	स्वामित्व / अधीनस्थ / सहयोगी	शेयर का %	लागू धारा
			-शून्य-		

IV. शेयर धारण पद्धति

(कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रचारक									
1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक / एच यू एफ ए (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केंद्र सरकार	160829297	-	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
सी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (1)	160829297	-	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
2) विदेशी									
ए) विदेशी - वैयक्तिक									
बी) अन्य - वैयक्तिक									
सी) निगम संस्थाएँ									
डी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ									
ई) कोई अन्य									
उप-कुल ए (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
प्रचार के कुल शेयर ए = ए(1) + ए(2)	160829297	-	160829297	87.75%	160829297	-	160829297	87.75%	-
बी. सार्वजनिक शेयर धारण									
1. संस्थाएँ									
ए) म्यूचुअल फण्ड	5067001	-	5067001	2.76%	6601768	-	6601768	3.6%	0.84%
बी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	2286317	-	2286317	1.25%	1826099	-	1826099	1%	0.25%
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनी	4807297	-	4807297	2.62%	5267174	-	5267174	2.87%	0.25%
जी) एफ आई आई एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेशी वेंचर पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (निर्दिष्ट करें) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1641997	-	1641997	0.90%	64500	-	64500	0.04%	0.86%
उप-कुल (बी) (1)	13802612	-	13802612	7.53%	13759541	-	13759541	7.51%	0.02%
2. गैर-संस्थाएँ									
ए) निगम संस्थाएँ									
(i) भारतीय	626502	-	626502	0.34%	418067	-	418067	0.23%	0.11%
(ii) समुद्रपारीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) वैयक्तिक									
i) वैयक्तिक रु. 1 लाख तक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	6837751	88	6837839	3.73%	6894053	88	6894141	3.76%	0.03%
ii) रु. 1 लाख से अधिक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	486135	-	486135	0.27%	624543	-	624543	0.34%	0.07%
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
न्यास	1381	-	1381	0.00%	2205	-	2205	0.00%	-
एच यू एफ	345069	-	345069	0.19%	408819	-	408819	0.22%	0.03%
एन आर आई	273898	-	273898	0.15%	262348	-	262348	0.14%	0.01%
कर्मचारी	39971	-	39971	0.02%	32854	-	32854	0.02%	-
समाशोधन सदस्य	31532	-	31532	0.02%	48935	-	48935	0.03%	0.01%
आर बी आई के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी	7014	-	7014	0.00%	500	-	500	0.00%	-
उप-कुल (बी) (2)	8649253	88	8649341	4.72%	8692412	88	8692412	4.74%	0.02%
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता बी = बी (1) + बी (2)	22451865	88	22451953	12.25%	22451953	88	22451953	12.25%	-
सी. जी डी आर और ए डी आर के अभिरक्षक द्वारा लिये गये शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी+सी)	183281162	88	183281250	100%	183281162	88	183281250	100%	-

ii) प्रचारकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित कुल शेयर (01 अप्रैल, 2019)			वर्ष के अंत तक धारित कुल शेयर (31 मार्च, 2020)		
	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से बंधित / धारित शेयर का %	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से बंधित / धारित शेयर का %
भारत के राष्ट्रपति	160829297	87.75%	-	160829297	87.75%	-



iii) प्रचारक शेयरधारकों में बदलाव (यदि बदलाव नहीं तो कृपया निर्दिष्ट करें) :

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में कुल शेयरधारण		तारीख	शेयरधारण में वृद्धि / अपवृद्धि	कारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	160829297	87.75%	01/04/2019	-	-	160829297	87.75%
				31/03/2020	-	-	160829297	87.75%

iv) दस उच्च शेयरधारकों की शेयरधारण स्थिति (निदेशक, प्रचारक तथा जी डी आर और धारकों के अतिरिक्त)

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में कुल शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एच डी एफ सी ईक्यूटी फण्ड					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	3574600	1.95%	3574600	1.95%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/04/2019	580500	0.32%	4155100	2.27%
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	4155100	2.27%	4155100	2.27%
2	भारतीय जीवन बीमा निगम					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	4089614	2.23%	4089614	2.23%
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	4089614	2.23%	4089614	2.23%
3	बैंक ऑफ बड़ौदा					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	868878	0.47%	868878	0.47%
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	868878	0.47%	868878	0.47%
4	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / अकाउंट एच डी एफ सी हाउसिंग आपूर्ति निटीस फण्ड - 1140 डी नवंबर 2017 (1)					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	895621	0.48%	895621	0.48%
	वर्ष के दौरान बेचे गये		(5298)	0.00%	890323	0.48%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	22/11/2019	(26405)	0.01%	863918	0.47%
	वर्ष के दौरान बेचे गये		(5200)	0.00%	858718	0.47%
	वर्ष के दौरान बेचे गये		(7300)	0.00%	851418	0.47%
	वर्ष के दौरान बेचे गये		(6000)	0.00%	845418	0.46%
	वर्ष के दौरान बेचे गये		(5185)	0.00%	840233	0.46%
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	840233	0.46%	840233	0.46%
5	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अकाउंट एच डी एफ सी कैपिटल बिल्डर वेल्यू फण्ड					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	596767	0.32%	596767	0.32%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	05/04/2019	13473	0.01%	610240	0.33%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	12/04/2019	7100	0.00%	617340	0.33%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/04/2019	114709	0.06%	732049	0.39%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	10/05/2019	5100	0.00%	737149	0.39%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/05/2019	66757	0.03%	803906	0.42%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	09/08/2019	20000	0.01%	823906	0.43%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	23/08/2019	37000	0.02%	860906	0.45%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	15/11/2019	(3703)	0.00%	857203	0.45%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	29/11/2019	(5200)	0.00%	852003	0.45%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	06/12/2019	(11421)	0.00%	840582	0.45%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	31/01/2020	(26626)	0.01%	813956	0.44%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	07/02/2020	(1715)	0.00%	812241	0.44%
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	812241	0.44%	812241	0.44%



क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में कुल शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अकाउंट एच डी एफ सी बैलेंसड एडवांटेज फण्ड					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/04/2019	888000	0.48%	888000	0.48%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/07/2019	16800	0.00%	904800	0.48%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	24/01/2020	(84700)	0.04%	820100	0.44%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	07/02/2020	(28000)	0.01%	792100	0.43%
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	792100	0.43%	792100	0.43%
7	भारतीय स्टेट बैंक					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	695087	0.38%	695087	0.38%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	08/11/2019	(13032)	0.01%	682055	0.37%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	15/11/2019	(13000)	0.01%	669055	0.36%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	28/02/2020	(8000)	0.00%	661055	0.36%
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	661055	0.36%	661055	0.36%
8	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	521322	0.28%	521322	0.28%
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	521322	0.28%	521322	0.28%
9	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	434426	0.23%	434426	0.23%
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	434426	0.23%	434426	0.23%
10	पंजाब नेशनल बैंक					
	वर्ष के आरंभ	01/04/2019	173765	0.09%	173765	0.09%
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	31/03/2020	173765	0.09%	173765	0.09%

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण :

प्रत्येक उच्च 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस स्वेट ईक्विटी आदि)				शून्य
वर्ष की समाप्ति पर (या वर्ष के दौरान अलग हो जाने की स्थिति में अधिवर्षिता की तारीख)				

(V) ऋणग्रस्तता

बकाया ऋण / भुगतान के लिए बकाया नहीं ऐसा प्रोद्भूत ब्याज मिलाकर कंपनी की ऋणग्रस्तता

	निकोप के अतिरिक्त लिये गये सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देना शेष पर दिया नहीं				
iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• जोड़				
• कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) ब्याज देना शेष पर दिया नहीं				
iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				



(VI) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक (श्री / श्रीमती)					
	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ	वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन) (दि. 31 मई, 2019 तक)	पी राधाकृष्ण निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 जून, 2019 से)	एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	कुल
सकल वेतन						
ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	4408650	3782172	1631170	3502212	3764145	17088349
बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	32400	32400	5400	27000	32400	129600
सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	55495	27597	-	5815	16216	105123
- स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
- स्वेट ईक्रीटी	-	-	-	-	-	-
- कमीशन	-	-	-	-	-	-
- लाभ के रूप में %	-	-	-	-	-	-
- अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
डी) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
- सेवानिवृत्ति लाभ	754453	864417	2181786	1025814	1180893	6007363
कुल (ए)	5250998	4706586	3818356	4560841	4993654	23330435

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक के नाम (श्री / श्रीमती)					कुल राशि
		सुषमा वी दबक (30.11.2019 तक)	अजय पाण्डेय (30.11.2019 तक)	अजय नाथ	के एस संपत	लता नरसिंह मूर्ति	
1	स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें	160000	110000	180000	260000	240000	950000
	कुल (1)	160000	110000	180000	260000	240000	950000
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक • निदेशक मंडल बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, निर्दिष्ट करें			शून्य			
3	कुल (2)			शून्य			
	कुल (बी) = (1+2)			950000			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)			24280435			
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर सीमांत	दि. 05.06.2015 की 463 (ई) संख्यक एम सी ए अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त।					

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	1820107
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	-
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	स्वेट ईक्रीटी	-
4.	लाभ के % के रूप में कमीशन	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें - सेवानिवृत्ति लाभ	393860
	कुल	2213967

टिप्पणी : निदेशक (वित्त) कंपनी के सी एफ ओ भी हैं। इसलिए कोई अलग प्रकटीकरण नहीं किया गया है।



(VII) अपराध पर जुर्माना / दंड / निपटान :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना / दंड / निपटान शुल्क के विवरण	प्राधिकरण [आर डी / एन सी एल टी / अदालत]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता / राजी					
बी. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			शून्य		
समझौता / राजी					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता / राजी					



अनुलग्नक-II

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास पर वार्षिक रिपोर्ट [कंपनी नियमावली, 2014 का नियम 8 (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)]

ए) कंपनी की सी एस आर एवं एस डी नीति का संक्षिप्त परिचय

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत जागरूक है। आपकी कंपनी ने आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चलाने का प्रयास किया है।

बी डी एल, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने तत्काल तीन पिछले वित्तीय वर्षों के औसत का शुद्ध 2% लाभ खर्च करता आ रहा है।

सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिकाहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत् आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेय-जल आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा - स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

सी एस आर के तहत बीडीएल की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोज।
- तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम जिले में मोबाइल मेडिकेयर। यूनिट के माध्यम से उम्रदराज लोगों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण।
- आरओ जल शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पेयजल।
- सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण और उनका रखरखाव।
- सरकारी आई टी आई को अपनाना।
- बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
- देश में खेल-कूद के विकास में भागीदारी।
- स्वच्छता और स्वच्छ भारत
- दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण
- शिक्षा का प्रचार (सरकारी स्कूलों में दो खाने वाले डेस्क का वितरण।)

सी एस आर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट <http://www.bdl-india.in> पर उपलब्ध है।

बी) दि. 31 मार्च, 2020 तक सी एस आर समिति की संरचना

1.	श्री अजय नाथ स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री के एस संपत स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती के लता नरसिंह मूर्ति स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सी एफ ओ	सदस्य
5.	श्री एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

सी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसत निवल लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹. 74950 लाख।

डी) निर्धारित सी एस आर व्यय :

निर्धारित सीएसआर व्यय अर्थात् उपर्युक्त मद सं. (सी) में बताई गई राशि का 2% ₹. 1499 लाख।

ई) वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई सी एस आर राशि का विवरण :

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि : ₹. 1499 लाख
- व्यय नहीं की गई राशि, यदि है तो : शून्य
- वर्ष के दौरान यह राशि कैसे खर्च की गई है, इसका विवरण निम्नानुसार है :



**वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अपनाई गई सी एस आर गतिविधियाँ
[कंपनी (सी एस आर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के तहत निर्धारित पफार्मेंट]**

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना एवं पहचानी गई गतिविधि	परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		कार्यक्रम अथवा परियोजनावार आबंटित राशि (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष :		रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे तौर पर अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एवं जिले का नाम जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए		परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ सीधा खर्च	ओवरहेड		
1	पटानचेरु और विशाखापट्टणम के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोज योजना	शिक्षा	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश और पटानचेरु मंडल, तेलंगाना	165	107.30	शून्य	107.30	दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन, बेंगलूरु
2	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकालॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद में पूर्णतः स्वचालित माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	100	70.00	शून्य	100	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकालॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद
3	चौटुप्पल में मोबाइल मेडिकर यूनिट (एम एम यू) के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	नलगोंडा, तेलंगाना	20	19.26	शून्य	19.26	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
4	नलगोंडा जिले के मुकुंदापुरम गाँव के सरकारी स्कूल में अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय	नलगोंडा, तेलंगाना	40	36.00	शून्य	36	जिलाधीश, नलगोंडा, जिला, तेलंगाना
5	चंचलगुडा और चेरलापल्ली केंद्रीय जेल के माध्यम से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के लिए स्कूली फर्नीचर	शिक्षा	स्थानीय	तेलंगाना	400	79.40	शून्य	397.4	सेट्रल जेल, चंचलगुडा और चेरलापल्ली, हैदराबाद
6	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आई जी आई ए टी), विशाखापट्टणम के माध्यम से 175 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम	50	18.19	शून्य	45.46	इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विशाखापट्टणम
7	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकालॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के कैंसर रोगियों को पौष्टिक सप्लिमेंट पाउडर की बोतलों का वितरण	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	12	8.10	शून्य	8.1	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकालॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद
8	जी बी तांडा में आर ओ वाटर प्लांट का संस्थापन तेलंगाना के मेडचल जिले के कीसरा मंडल के यादगरपल्ली गाँव के सरकारी स्कूलों (जिला परिषद हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल) में 255 स्कूल बैग का वितरण।	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	जनगाँव जिला, तेलंगाना	30	11.29	शून्य	11.29	सीधा
9	विशाखापट्टणम के दिव्यांग व वृद्धों के लिए वीलचेयर उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	मेडचल जिला, तेलंगाना	1.5	1.29	शून्य	1.29	सीधा
10	विजयनगरम में समाज कल्याण छात्रावास का निर्माण	शिक्षा	स्थानीय	विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	200	100.00	शून्य	100	जिलाधीश, विजयनगरम
11	विशाखापट्टणम के दिव्यांग व वृद्धों के लिए वीलचेयर उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	9.6	9.60	शून्य	9.6	जिलाधीश, विशाखापट्टणम



क्र. सं.	सी एस आर परियोजना एवं पहचानी गई गतिविधि	परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		कार्यक्रम अथवा परियोजनावार आबंटित राशि (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष :		रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे तौर पर अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
			स्थानीय या अन्य क्षेत्र	राज्य एवं जिले का नाम जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए		परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ सीधा खर्च	ओवरहेड		
12	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के महादेवपट्टणम व अन्य सरकारी स्कूल में स्मार्ट स्कूल की परियोजना	कौशल-विकास	स्थानीय	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश	50	9.56	शून्य	49.56	जिलाधीश, पश्चिम गोदावरी जिला
13	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग अण्ड टेक्नॉलॉजी (सी आई पी ई ओ), हैदराबाद के माध्यम से 520 बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल-विकास कार्यक्रम	कौशल-विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	368	42.48	शून्य	297.36	सी आई पी ई टी (सीपेट), हैदराबाद
14	तेलंगाना के कामारेड्डी जिले स्थित सरकारी स्कूल में क्लास रूम का डिजिटलीकरण	शिक्षा	स्थानीय	कामारेड्डी जिला, तेलंगाना	100	70.00	शून्य	100	जिलाधीश, कामारेड्डी जिला
15	भारतीय कृत्रिम अवयव विनिर्माण निगम (ए एल आई एम सी ओ) के माध्यम से बधिर लोगों को कोचलार इंफ्लान्ट उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य संरक्षण	स्थानीय	तेलंगाना	295.15	73.79	शून्य	295.15	ए एल आई एम सी ओ, हैदराबाद
16	कोविड-19 से लड़ने के लिये प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए योगदान	-	स्थानीय	-	0	832.00	शून्य	832	सीधे भुगतान
17	आई डी ई एक्स भागीदार के लिए योगदान (टी-हब फाउंडेशन)	प्रौद्योगिकी चिंतन	स्थानीय	(टी-हब फाउंडेशन)	40	23.60	शून्य	23.6	टी-हब फाउंडेशन, हैदराबाद
18	आरसीआई, बीडीएल और अन्य डीआरडीओ लैस की केबीसी रोड का विकास, अर्बोरिकल्चर प्लानेशन	स्वच्छता	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	31.79	1.90	शून्य	31.79	सीधा
19	स्वच्छ भारत पक्षोत्सव (कॉटन बैग का वितरण)	स्वच्छता	स्थानीय	गाजुवाका, विशाखापट्टणम	0	0.22	शून्य	0.22	सीधा
20	सरकारी आई टी आई, शांतिनगर, हैदराबाद के लिए टूल्स, उपकरण, मशीनरी और कच्चा माल उपलब्ध कराना	कौशल-विकास	स्थानीय	हैदराबाद, तेलंगाना	100	19.92	शून्य	99.92	निदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण), तेलंगाना
21	मिलिटरी माधवरम गाँव अपनाणा	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	456.24	20.08	शून्य	399.62	सीधा
22	सी एस आर विभाग का वेतन	प्रशासनिक ओवरहेड्स		हैदराबाद, तेलंगाना	0	60.12	शून्य	60.12	सीधा
23	आई पी ई, हैदराबाद के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रशासनिक ओवरहेड्स	स्थानीय	-	0	2.20	शून्य	2.2	सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आई पी ई), हैदराबाद
कुल					2419.28*	1556.24	-	2977.18	

टिप्पणी :

यह एक अनुमानित परियोजना लागत है जिसके लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानानुसार कंपनी को सी एस आर गतिविधियों के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 1499 लाख (अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत का शुद्ध 2% लाभ) खर्च करने हैं। यद्यपि कंपनी ने पिछले वर्ष की अग्रेनित राशि मिलाकर रु. 1556.26 लाख की राशि खर्च की है। अतएव इस संबंध में कोई कमी नहीं है तथा इसका पूर्ण अनुपालन किया गया है।



- एफ)** यदि कंपनी, पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ की 2% राशि पूरी तरह से या उसका कोई अंश खर्च नहीं कर पाती है तो कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इसका विवरण देगी।
-शून्य-
- जी)** सी एस आर समिति द्वारा सी एस आर नीति संबंधी उत्तरदायित्व वक्तव्य कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप है।
यह व्यक्त किया जाता है कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्य एवं नीति के अनुरूप हुआ है।

स्थान : 29.06.2020
दिनांक : हैदराबाद

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

अजय नाथ
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति
डी आई एन : 05151291



अनुलग्नक-III



NARENDER & ASSOCIATES

Company Secretaries

403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर - 3

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट*

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और

कंपनी नियमावली (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

हमने लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड (आगे कंपनी नाम से अभिहित) द्वारा अच्छे नैगमिक परिपाटी के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि हमें नैगमिक परिपाटियाँ / संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियाँ, कागजात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और साचिविक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हम अभिलिखित करते हैं कि हमारी राय में दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यतः नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

हमने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागजात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम ;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बने नियम ;
- (iii) निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 और विनियमन और इसके अंतर्गत बने उप-नियम ;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम ;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश : -

*अनूदित पाठ





- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का ठोस अधिग्रहण और टेकओवर);
- (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;
- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2009 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ;
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999 [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]
- (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।
- (जी) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993.
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्रीटी शेयर की डी-लिस्टिंग); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।
- (आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।
- (vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

- (i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचविक मानदंड।
- (ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।

*अनूदित पाठ





- (iii) हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि का अनुपालन किया है।

हम, आगे अभिलिखित करते हैं कि

- कंपनी ने निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। हालांकि, कंपनी स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् रक्षा मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशकों सहित), पारिश्रमिक, मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्तियों की शर्तें व नियम भारत सरकार के अधीन रहते हैं।
- वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थी; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी है कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधित आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।
- निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते - नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिवगण



जी नरेंद्र
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 03.06.2020
यू डी आई एन : F004898B000314592

*अनूदित पाठ



NARENDER & ASSOCIATES

Company Secretaries

403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

यह रिपोर्ट अनुलग्नक- 'ए' के रूप में संलग्न किये गये इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक- 'ए'

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

इस पत्र को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. साचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह जाँच परीक्षा आधार पर सत्यापन किया गया था कि साचिविक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनायी गयीं प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने अपनी राय देने के लिए हमें उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।
5. नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंडों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी यह जाँच परीक्षा आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।
6. पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानून, श्रम कानून तथा अन्य कानून संबंधी प्रावधान, नियम, विनियम तथा मानकों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन ने उपर्युक्त सभी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

*अनूदित पाठ





7. यह साधिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते - नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिवगण



जी नरेंद्र
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898 ; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 03.06.2020
यू डी आई एन : F004898B000314592



अनुलग्नक-IV

प्रबंधन

चर्चा एवं विश्लेषण

भविष्यदर्शी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा में, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यवाणी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत भविष्यदर्शी हैं। भविष्यदर्शी कथन कुछ निश्चित पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और वास्तविकता में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन भविष्यदर्शी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण संबंधी सरकार की नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर-कानून, देश के भीतर होने वाले आर्थिक विकास और कुछ ऐसे वैश्विक परिवर्तनकारी कारक प्रभावित कर सकते हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड का संक्षिप्त परिचय :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण का विनिर्माणकर्ता है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी जिले के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित है। इसकी दो और नई इकाइयाँ इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना और अमरावती, महाराष्ट्र में बनाने की योजना है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2020 तक कुल 2950 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 3095 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ है।

1. सामरिक वातावरण :

कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की बढ़ती जटिलता तथा भारत सहित वैश्विक स्तर की आर्थिक चुनौतियों से युक्त वातावरण में कार्य करती है। इस संव्यवहारिक दृष्टि का महत्वपूर्ण घटक है कार्यान्वयन पर ध्यान देना, उत्पादों के मानक और गुणता को बेहतर बनाते हुए भारतीय थल सेना को उत्पादों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी में हमारा निवेश जारी रहेगा। साथ ही, हम अपने कार्मिकों पर निवेश करते रहेंगे ताकि हमारी क्षमताओं को सीमित किये बिना सफलता प्राप्त करने आवश्यक तकनीकी कौशल हमारे पास बना रहे।

बी डी एल का कामकाज और कारोबार इसके सामरिक वातावरण से प्रभावित रहता है जिसमें भारतीय रक्षा क्षेत्र, विश्व रक्षा व्यय, सरकारी नीति और नये तौर-तरीके शामिल हैं।

1.1 वैश्विक रक्षा खर्च

वर्ष 2019 में वैश्विक सेना खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक जा पहुँचा। वर्ष 2018 और 2019 के बीच कुल मिलिट्री खर्च 3.6 प्रतिशत तक बढ़ा जो साल 2010 के बाद से खर्च की दृष्टि से सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। वर्तमान में वैश्विक सेना खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 2.2% है। वर्ष 2019 का वैश्विक सेना खर्च वर्ष 2010 के वैश्विक सेना खर्च से 7.2% अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में सेना खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से यह अधिकतम खर्च है और संभवतः यही सर्वाधिक खर्च का द्योतक है।

वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले पाँच देश रहे – युनाइटेड स्टेट्स, चीन, भारत, रशिया और साउदी अरब। इन पाँचों देशों का सेना खर्च मिलाकर वैश्विक सेना खर्च का 62% रहा। दुनिया के पाँच क्षेत्रों में से चार में, वर्ष 2019 में सेना खर्च में वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि यूरोप (5.0 प्रतिशत) में दिखायी देती है। इसके बाद आते हैं – एशिया और ओशियाना (4.8 प्रतिशत), अमेरिकन (4.7 प्रतिशत) और अफ्रीका (1.5 प्रतिशत)। वर्ष 2018 और 2019 के बीच शीर्ष पाँच देशों के रैंक में हुये परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है :

रैंक		देश
वर्ष 2019	वर्ष 2018	
1	1	युनाइटेड स्टेट्स
2	2	चीन
3	4	भारत
4	5	रशिया
5	3	साउदी अरेबिया

शीर्ष 15 देशों ने 2019 में \$1553 बिलियन डॉलर खर्च किया और यह, वैश्विक सेना खर्च का 81 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019 में अत्यधिक सेना खर्च करने वाले शीर्ष 15 देशों में जापान ने सबसे कम खर्च किया। जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का मात्र 0.9 प्रतिशत सेना पर खर्च किया जबकि साउदी अरेबिया ने सबसे अधिक 8.0 प्रतिशत खर्च किया। शीर्षस्थ 15 देशों में इजरायल (5.3 प्रतिशत), रशिया (3.9 प्रतिशत), यू एस ए (3.4 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (2.7 प्रतिशत) और भारत (2.4 प्रतिशत) का सेना खर्च वैश्विक सेना खर्च से अधिक रहा।

वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया सेना खर्च 5.3 प्रतिशत बढ़कर कुल 732 बिलियन डॉलर रहा जो वैश्विक सेना खर्च का 38 प्रतिशत है। वर्ष 2019 में अमेरिकी सेना खर्च में हुई यह वृद्धि इस वर्ष के दौरान जर्मनी के सेना खर्च के बराबर रही। वर्ष 2010 से 2017 के बीच सात साल की लगातार 22 प्रतिशत गिरावट के बाद अमेरिकी सेना खर्च में वृद्धि का यह लगातार दूसरा वर्ष है। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक सेना खर्च करने वाले देश चीन ने वर्ष 2019 में अनुमानतः 261 मिलियन डॉलर की राशि आबंटित की जो वैश्विक सेना खर्च का 14 प्रतिशत है। वर्ष 2019 में इसका सेना खर्च वर्ष 2018 की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक रहा और वर्ष 2010 के सेना खर्च से यह 85 प्रतिशत अधिक है।




चीन का सेना खर्च 1994 से (पिछले 25 वर्षों से) लगातार बढ़ता आ रहा है। इसके सेना खर्च में हुयी वृद्धि, लगभग देश की आर्थिक वृद्धि के साथ मेल खाता है। वर्ष 2010 और 2019 के बीच चीन का सेना खर्च लगभग अपरिवर्तनीय रहते हुये इसके जीडीपी के 1.9 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2019 में चीन और भारत अत्यधिक सेना खर्च करने वाले शीर्ष राष्ट्र हैं। ये दोनों देश दुनिया के सबसे अधिक सेना खर्च करने वाले देशों में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। वर्ष 2019 में चीन का सेना खर्च 261 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया जो वर्ष 2018 की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक है, जबकि भारत का सेना खर्च 6.8 प्रतिशत बढ़कर 71.1 बिलियन तक पहुँच गया। पिछले कुछ दशकों में भारत के सेना खर्च में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। यह 1990 से 2019 के इन तीस साल की अवधि में 259 प्रतिशत बढ़ा जबकि वर्ष 2010 से 2019 के इन दस साल में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। हालाँकि, इसका सेना खर्च वर्ष 2010 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019 में 2.4 प्रतिशत रहा। चीन और भारत के अलावा जापान (47.6 बिलियन डॉलर) और दक्षिण कोरिया (43.9 बिलियन डॉलर) एशिया और ओशिनिया में सबसे अधिक सेना खर्च करने वाले देश रहे। इस क्षेत्र ने सेना खर्च में कम से कम 1989 के बाद से हर साल बढ़ोत्तरी दर्ज की है।

जर्मनी यूरोप में सबसे ज्यादा सेना खर्च करने वाला देश रहा। जर्मनी का सेना खर्च वर्ष 2019 में 10 प्रतिशत बढ़कर 49.3 बिलियन रहा। यह वर्ष 2019 में अधिकतम सेना खर्च करने वाले 15 शीर्ष देशों में सर्वाधिक है। यद्यपि, फ्रांस और युनाइटेड किंगडम द्वारा सेना खर्च अपेक्षाकृत यथावत बना रहा। रशिया दुनिया में सबसे अधिक सेना खर्च करने वाला चौथा देश रहा जिसने अपना सेना खर्च 4.5 प्रतिशत बढ़ाकर 65.1 बिलियन किया। जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के रूप में रशिया का सेना खर्च वर्ष 2019 में यूरोप में सबसे अधिक रहा।

जहाँ तक मध्य पूर्व देशों का सवाल है वर्ष 2019 में विश्व के सर्वाधिक सेना खर्च करने वाले 15 शीर्ष देशों में से दो मध्य पूर्व देश हैं – साऊदी अरब (रैंक 5) और इजरायल (रैंक 15)। साऊदी अरब इस क्षेत्र में 2019 में अनुमानतः \$61.9 बिलियन के सेना खर्च के साथ सर्वाधिक खर्च करने वाला देश रहा।



(Source: www.sipri.org)

यद्यपि विभिन्न क्षेत्र और देशों के बीच सेना खर्च में काफी अंतर है। लेकिन सामान्य प्रवृत्ति दर्शाती है कि वर्ष 1999 से जीडीपी के सादृश्य सेना खर्च सभी क्षेत्रों में कम हुआ है। एशिया के नजरिये से देखा जाए तो भारत, चीन और जापान जैसी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा अधिक रक्षा खर्च वैश्विक क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावना है। इसी प्रकार यूरोप में 'नाटो' के सदस्य देश भी जीडीपी के 2 प्रतिशत तक की लक्ष्य-प्राप्ति की दृष्टि से रक्षा खर्च बढ़ाने में लगे हैं। इसके अलावा, मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनैतिक तनाव भी सैन्य उपकरणों की बढ़ती माँग के कारक बने हैं। ऐसे में, वैश्विक रक्षा खर्च में हो रही वृद्धि से रक्षा संविदाकार और उनके आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर पैदा करते रहेंगे।

एक अनुमान के मुताबिक 2019-2023 की अवधि के बीच कुल वैश्विक रक्षा क्षेत्र लगभग 3.0 प्रतिशत की सीएजीआर दर से बढ़कर 2023 तक 2.1 ट्रिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। (स्रोत: 2020 ग्लोबल एयरोस्पेस अण्ड डिफेंस इंडस्ट्री आउटलुक, डेलाइट)। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के चलते हमें इंतजार करना और देखना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और जीडीपी पर सैन्य खर्च कितना बढ़ेगा।

1.2 भारतीय रक्षा क्षेत्र :

वैश्विक अर्थव्यवस्था की तीव्र मंद, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं के बीच बढ़े व्यापारिक तनाव में और घरेलू वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियों से भारतीय अर्थ व्यवस्था पर पड़े दबाव के कारण 2019-20 में आर्थिक विकास मंद होकर 4.2% तक आ गयी। एनएसओ द्वारा जारी इन अनंतिम अनुमानों के अनुसार पिछले ग्यारह वर्षों में यह सबसे न्यूनतम है। वर्ष 2020-21 में अर्थ व्यवस्था में पुनः तेजी की उम्मीद है जो वर्ष 2021-22 में और बेहतर रहेगी।

सरकार द्वारा प्रख्यापित नयी नीतियों के फलस्वरूप भारतीय रक्षा बाजार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है और भारत में चल रही डी आर डी ओ की परियोजनाओं का मूल्य लगभग \$7.3 बिलियन रुपये है। तीनों सेनाओं की विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाएँ कार्यगत हैं। इससे भारत की अगले 5 वर्षों में सेना के आधुनिकीकरण पर \$130 बिलियन रुपये खर्च करने की योजना है जिसके जरिये भारत सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना चाहती है। सरकार ने देशी उत्पादन को गति प्रदान करने रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये इसे खोल दिया है। ऐसा कर दिये जाने से विदेशी मूल उपकरण निर्माता भारतीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर यहाँ काम करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वर्ष 2018-19 में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी वार्षिक टर्नओवर के रूप में \$ 2.4 बिलियन रही।

देश से बाहर व्यवसाय के अवसर तलाशने रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और निजी रक्षा उद्यमियों के मिलाप से इसे सुकर बनाने एक रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गई है। आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का कुल उत्पादन मूल्य \$8.0 बिलियन है। रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई की अनुमत कर दिया गया जिसमें 74% सीधे तौर पर और 74% से अधिक सरकारी माध्यम से होते हुए किया जा सकता है।

हालाँकि, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भारत की जीडीपी के मुकाबले सेना पर कितना खर्च होता है।

(स्रोत: www.investindia.gov.in ; www.idsa.in ; www.mod.gov.in)



1.3 बजट - 2019 में प्रस्ताव और प्रमुख पहलें

वर्ष 2019-20 के लिए भारत का रक्षा बजट पिछले साल के समान ही जी डी पी का 2.1% बना हुआ है। चूंकि वर्ष 2019 में आम चुनाव हुए थे इसीलिए सरकार ने प्रथा अनुसार नियमित बजट के स्थान पर अंतरिम बजट पेश किया था। अंतरिम बजट में 431011 करोड़ रुपए (60.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रक्षा बजट के रूप में आबंटित किये गये। फिर से चुनकर आने के बाद सरकार ने मिलिट्री बजट यथावत रखा। हालाँकि, वास्तविक खर्च अनुमानित राशि से अधिक रहा और वर्ष 2019-20 के दौरान रक्षा का अंतिम अनुमानित खर्च रु. 448820 करोड़ (US \$ 62.71 बिलियन) रहा। इस प्रकार रक्षा व्यय में पिछले बजट की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि हुई। इस कुल रक्षा व्यय में 34% पूँजीगत व्यय के लिए खर्च हुआ जिसमें भूमि अधिग्रहण, नये भवनों का निर्माण, नयी सड़कें बनाना और नये हथियार और अस्त्रीय आधार का आमेलन शामिल है। तीनों रक्षा सेनाओं में से 2019-20 के रक्षा बजट में थल सेना का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। भारतीय वायु सेना दूसरे स्थान पर रही और उसके बाद नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा आयुध निर्माणियों (OFB) का स्थान रहा।

रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विकास और रक्षा उत्पादन में निजी निवेश को निम्न घोषणाओं के माध्यम से बढ़ावा देते हुए रक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखा गया है :

- देश के रक्षा प्रबंधन का पूर्ण नव संचरण करते हुए देश के सशस्त्र बलों के बीच प्रशिक्षण, खरीद, स्टाफिंग की दृष्टि से एकात्मकता लाने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का एक चार सितारा सुशोभित पद सृजित किया गया।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित एमएसएमई द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-अनुकूल डीपीपी 2020 तैयार करना।
- रक्षा औद्योगिक कॉरिडारों का विकास करना।
- रक्षा उत्पादन क्षमताओं को पोषित और विकसित करने 'मेक इन इंडिया' पहल का प्रचार करना।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) लागू करना ताकि विभिन्न सरकारी विभाग / संगठन / सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं (जिसमें सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस, पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा जैसे अमूर्त उत्पाद शामिल हैं) की ऑनलाइन खरीद की सुविधा, सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी जायी जा सके।

वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत के बाद से रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। ये पहल रक्षा खरीद प्रक्रिया, औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निर्यात और नवाचार से संबंधित हैं। इन प्रयासों के मूर्त रूप देने पिछले वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक, दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने की घोषणा की है और रक्षा उत्पादन नीति का मसौदा तैयार किया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पादन रु. 1,70,000 करोड़ तक बढ़ाना है। इन पहलों का उद्योग जगत ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया है, पर इन सबके बीच 'मेक' परियोजनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल की प्रक्रिया जिसे हाल के दिनों में कई बार सरल बनाया गया, आरंभ नहीं हो पायी। ये परियोजनाएँ स्थानीय कंपनियों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के छोटे और मध्यम कंपनियों को रक्षा उत्पादन से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(स्रोत: www.mod.gov.in; www.idsa.in)

1.4 भारतीय रक्षा-क्षेत्र का देशीकरण

सरकार ने उद्योग में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से मार्च, 2019 में रक्षा क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले घटक और पुर्जों के देशीकरण के लिए एक नीति की घोषणा की है। इसके तहत रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म के लिये आयातित घटक (मिश्र और विशेष धातुओं सहित) और सब-असेंबली का देशीकरण कर भारत में बनाया जा सकता है।

सरकार ने देश में रक्षा औद्योगिक आधार के आर्थिक विकास और इसके विकास के इंजन के रूप में काम करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये तमिलनाडु में चेन्नई, होसुर, कोयंबतूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ के बीच व्याप्त होंगे।

रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) को बढ़ावा देने के नजरिये से सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के तहत 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है। रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और आयुध निर्माणियों को उक्त नीति के अनुसार इन वस्तुओं की खरीद करते समय देशी निर्माताओं को वरीयता देनी होगी। तदनुसार, बीडीएल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद के लिए वस्तुओं की एक सूची आरक्षित की है। इसके अलावा, समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बी डी एल ने अपनी एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत एन एस आई सी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को अपनी विभिन्न परीक्षण सुविधाएँ / रियायतें भी प्रदान कर रहा है।

डी पी पी 2013 की जगह मार्च, 2016 में रक्षा खरीद प्रक्रिया संशोधित की गई। इसमें "खरीदें (Indian-IDDM)" नाम से एक अतिरिक्त श्रेणी जोड़ी गयी। इसके तहत देशी डिजाइन, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा सामग्री अधिग्रहण के सर्वाधिक प्राथमिकता वाले तरीके को अपनाया गया। उक्त पहलों के परिणामस्वरूप, सरकार ने पिछले तीन वर्ष में अर्थात् 2016-17 से 2018-19 तक और चालू वर्ष के दिसंबर, 2019 तक पूँजीगत खरीद की इन श्रेणियों के तहत डी पी पी 2016 के अनुसार देशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 2,69,6565.26 करोड़ रुपये के 138 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की है।

बड़ी मात्रा में 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के तहत भारतीय कंपनियों प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) के लिए विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता (OEM) के साथ समझौता कर सकती हैं। बी डी एल विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता (OEM) के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहा है और इस वर्ष के दौरान, बीडीएल ने विदेशी ओ ई एम के साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किये हैं :

- बी डी एल ने जे एस सी अल्माज एंटी एयर एण्ड स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन, रूसी परिसंघ के साथ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की विभिन्न उप प्रणालियों के उत्पादन की संभाव्यता की खोज करने अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।



- बीडीएल ने मेसर्स जेवेलिन के साथ संयुक्त उद्यम के तहत भारत में जेवेलिन मिसाइल प्रणाली के उत्पादन के लिए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किया है। इसमें रेथियन कंपनी, यू एस ए एवं लॉकहीड मार्टिन, यू एस ए।
- बीडीएल एवं रॉकसेल फ्रांस ने मिसाइल एवं रॉकेट परियोजना के लिए आवश्यक कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट एवं कास्ट डबल वेस प्रोपेलेंट के देशी विनिर्माण में सहाय्य सहभागिता के लिए एम ओ यू किया है।

वर्ष के दौरान सरकार ने एक मसौदा रक्षा खरीद नीति, 2020 तैयार कर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अपलोड किया। मसौदा रक्षा खरीद नीति, 2020 के अनुसार, देशी सामग्री की आवश्यकता में समग्र वृद्धि लाने का प्रस्ताव है और एक सरल व व्यावहारिक देशी सामग्री सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है:

श्रेणी	रक्षा खरीद नीति, 2016	प्रस्तावित
खरीदो (भारतीय - आई डी डी एम)	कम से कम 40%	कम से कम 50%
खरीदो (भारतीय)	कम से कम 40%	देशी डिजाइन कम से कम 40% अन्यथा कम से कम 60%
खरीदो और बनाओ (भारतीय)	Make का कम से कम 50%	Make का कम से कम 50%
खरीदो और बनाओ	-	'खरीदो' और 'बनाओ' का कम से कम 50%
खरीदो (वैश्विक - भारत में विनिर्माण)	-	कम से कम 50%
खरीदो (वैश्विक)	-	भारतीय विक्रेताओं के लिए कम से कम 30%

बीडीएल आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा खर्च में कमी सहित लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ए टी जी एम के विनिर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने की दिशा में हर्सभंभ प्रयास कर रहा है। कांक्रूस-एम, इनवार, मिलान -2 टी, आकाश, टॉल-एक्सपी और वरुणास्त्र जैसे उत्पादों का स्वदेशीकरण क्रमशः 96%, 78.6%, 71%, 96%, 82.9% और 86.8% तक हो चुका है।

वर्ष के दौरान सरकार ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) की परंपरा आरंभ की। इसका मुख्य उद्देश्य एम एस एम ई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवोन्मेषी, आर अपड डी संस्थान और शिक्षा संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इसके अंतर्गत इन्हें भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाने की क्षमता रखने वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान / निधि और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। पिछले एक साल में लगभग 500 स्टार्ट-अप ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। आईडीईएक्स (इनोवेशन इन डिफेंस फॉर एक्सीलेंस) कार्यक्रम में छह इनक्यूबेटर भागीदार हैं।

आई डी ई एक्स की चुनौतियाँ ही रक्षा स्टार्ट-अप की चुनौतियाँ भी रही हैं और इसने रक्षा तथा एयरोस्पेस के लिए बहुत ही सक्रिय स्टार्ट-अप समुदाय बनाया है। यह भारत के प्रौद्योगिकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन गया है।

(स्रोत : www.mod.gov.in)

प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) नीति

विदेशी रक्षा ओ ई एम के साथ पूँजीगत खरीद अनुबंध में रक्षा अनुबंधों के लिए ऑफसेट पॉलिसी के तहत न्यूनतम 30% की अनिवार्य ऑफसेट आवश्यकता निर्धारित की गयी है। न्यूनतम अनुबंध मूल्य जिसके लिए ऑफसेट अनिवार्य है अब 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1.5 भारतीय रक्षा निर्यात

विज्ञान-2022 के संदर्भ में सीपीएसई की भूमिका और कार्यप्रणाली को फिर से परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दि. 9 अप्रैल, 2018 को सीपीएसई कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। प्रधान मंत्री ने सीपीएसई को पाँच विशिष्ट चुनौतियाँ दीं और सभी सीपीएसई को इस कॉन्क्लेव की सिफारिशों पर आधारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। पहली चुनौती रखी गयी कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) की वैश्विक रणनीतिक पहुँच अधिकाधिक करना जिसके अंतर्गत संबंधित रक्षा उपक्रम के वार्षिक टर्नओवर का 25% हिस्सा 2022-23 तक निर्यात से आना चाहिए ताकि भारत मात्र एक आयातक बने रहने के बजाय एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन सके। दूसरी चुनौती जिसे रक्षा उपक्रमों को पूरा करना है, विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले घटक और भागों के लिए आयात निर्भरता में कमी लाना शामिल है। इस प्रयास के तहत वर्ष 2022-23 तक उत्पाद / प्रक्रिया के देशीकरण के माध्यम से रु. 15,000 करोड़ का आयात प्रतिस्थापन लक्षित है। नवीनतम तकनीक की विकास-क्षमता और दक्षता के संबंध में तीसरी चुनौती रखी गयी है कि रक्षा उपक्रम अपने प्लेटफार्म / उपकरणों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करें और इसे लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करें।

सरकार ने देश के स्वदेशी रक्षा उद्योग को निर्यात रूपी बनाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। रक्षा निर्यात में एक प्रमुख बढ़ावे के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग ने 04.10.2018 को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की है। भारत ने वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 6.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर (USD1.1 बिलियन) के रिकॉर्ड-उच्च रक्षा निर्यात अनुमोदन प्राप्त किए जो मार्च के अंत तक संपन्न हुआ। वित्तीय 2019-20 में रक्षा निर्यात स्वीकृतियों का मूल्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्ज रु. 3.2 बिलियन की तुलना में 4% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त अनुमोदन 46.8 बिलियन से 78% वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया गया। वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात अनुमोदनों का मूल्य रु. 15.2 बिलियन रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के निजी क्षेत्र को मूल्य के संदर्भ में 93% रक्षा निर्यात अनुमोदन के साथ जिम्मेदार ठहराया गया था, शेष के साथ राज्य के स्वामित्व वाले रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा सुरक्षित था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र ने सभी निर्यात अनुमोदन का 89% प्राप्त किया। बी डी एल प्रमुखतः भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालाँकि, भारत सरकार की ओर से प्राप्त प्रोत्साहन से बी डी एल निर्यात बाजारों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी वर्तमान में एक निजी चैनल पार्टनर के माध्यम से एक मित्र देश को हल्के भारी टॉरपिडो का निर्यात कर रहा है। वर्ष के दौरान बी डी एल ने अपने भारतीय चैनल पार्टनर के माध्यम से रु. 174 करोड़ मूल्य का निर्यात व्यापार किया।

(स्रोत: www.mod.gov.in ; रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट;)



2. बीडीएल के संव्यवहार की समीक्षा

2.1 कंपनी के बारे में

1970 में स्थापित बी डी एल का मुख्यालय हैदराबाद में है। बी डी एल भारत का एक अग्रणी रक्षा उपक्रम है जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित मिसाइल (ए टी जी एम), अंतर्जलास्त्र, लॉचर, प्रतिमारक एवं परीक्षण उपकरणों का विनिर्माण करता है। मिनी-रलन (श्रेणी - 1) प्रदत्त बी डी एल, सैम, टॉरपिडो, ए टी जी एम बनाने वाला भारत का एकमात्र विनिर्माता है। बी डी एल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैम एवं ए टी जी एम का एकमात्र आपूर्तिकर्ता भी है। कंपनी, भंडारित एवं प्रयुक्त मिसाइलों के पुनर्संजीकरण एवं कार्य-काल विस्तार का कार्य भी करती है। हम अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम बनाने में डी आर डी ओ के साथ सह-विकास भागीदार भी हैं।

बीडीएल के उत्पाद

सैम	ए टी जी एम	टॉरपिडो	लॉचर	प्रतिमारक	डिकॉय प्रणालियाँ	परीक्षण उपकरण
आकाश मिसाइल एम आर सैम	मिलान 2टी कांक्रूस-एम इनवार	हल्के भार वाला टॉरपिडो भारी टॉरपिडो	कांक्रूस-एम और मिलान- 2टी ए टी जी एम के लिए लॉचर	शैफ्स एवं फ्लेअर आधारित वायु रक्षा प्रणाली टॉरपिडो डिकॉय	पनडुब्बी से छोड़े जाने वाला डिकॉय	ए टी जी एम और एस ए एम की प्रयोगावस्था अनुवीक्षण उपकरण

2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखपट्टणम में स्थित हैं। हमारी सभी विनिर्माण सुविधाएँ टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आईएसओ 14001: 2004 प्रमाणन प्राप्त हैं। हमारे मिलान, आकाश, सीपी-आईजीएमपी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग, डिजाइन अण्ड इंजीनियरिंग प्रभाग तथा भानूर इकाई एन वी टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एएस 9100डी एअरोस्पेस स्टैंडर्ड प्रमाणन प्राप्त हैं। कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीनों इकाइयाँ आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त हैं। कंपनी आई एस ओ 27001 : 2013 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) मानक से प्रमाणित है। भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

वर्ष के दौरान कंपनी के निगम कार्यालय को मेसर्स नोवो स्टार मैनेजमेंट सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आई एस ओ 9001: 2015 से अधिप्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण-पत्र तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग वांतरिक्ष गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए) की ओर से ए एफ क्यू एम एस (फर्म तथा इसकी गुणता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) से अधिप्रमाणित है। यह प्रमाण-पत्र भी तीन वर्ष तक वैध रहेगा।

कंपनी इब्राहीमपट्टणम (हैदराबाद के पास) और महाराष्ट्र के अमरावती में दो अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने में लगी है जिसे क्रमशः जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) एवं अत्यंत लघु दूरी वायु रक्षा मिसाइल (VSHORADM) के विनिर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है।

2.3 कायदेश

01 अप्रैल 2020 तक हमारे पास रु. 7413 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

2.4 वित्तीय निष्पादन

i) वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2019-20	2018-19	
बिक्री / परिचालन से प्राप्त राजस्व	3095	3069	0.85%
उत्पादन मूल्य	2592	3235	(19.88%)
कर पूर्व लाभ	742	671	10.58%
कराधान के बाद लाभ	535	423	26.48%
मूल्यवर्द्धन (रुपये में)	1555	1416	9.82%
प्रति शेयर अर्जन # (रुपये में)	29.18	23.06	26.54%

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है।

टिप्पणी - कार्यनिष्पादन में बढ़ोत्तरी / कमी के कारण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 3235 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम उत्पादन मूल्य रु. 2592 रहने का कारण 'आकाश' अस्त्र-प्रणाली के कार्य-आदेश पूरा हो जाना रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में मूल्यवर्द्धन और कर पूर्व लाभ वृद्धि बेहतर परिचालन क्षमता और उत्पाद मिश्रण के कारण है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कराधान बाद लाभ में वृद्धि, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 से आयकर की गणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 (बीबीए) के अनुसार दिये गये विकल्प अनुसार कम आयकर दर अपनाने से हुई है।



ii) निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2019-20	2018-19	
सकल निरुद्ध	1011	1008	0.30%
मूल्यहास	258	196	31%
निवल निरुद्ध	753	812	(7.27%)
कार्यगत पूँजी	2260	1390	62.59%
नियोजित पूँजी	3192	2347	36%
निवल मालियत	2607	2269	14.90%

टिप्पणी - वित्तीय स्थिति में बढ़ोत्तरी / कमी के कारण

- 1) वित्तीय वर्ष 2018-19 के 812 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 753 करोड़ के निवल ब्लॉक में कमी का कारण 01 अप्रैल 2019 से पट्टा लेखांकन को अपनाया जाना है। और, रु. 33 करोड़ मूल्य की पट्टेदार भूमि को निवल ब्लॉक से हटा कर 'आस्तियों के उपयोग का अधिकार' (Right to use of Assets) शीर्ष के अंतर्गत तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।
- 2) निम्नलिखित कारणों के चलते कार्यगत पूँजी बढ़कर रु. 870 करोड़ हो गयी :
 - चालू देयता में रु. 605 करोड़ कम हो जाना।
 - चालू आस्तियों में रु. 265 करोड़ की वृद्धि जो प्रमुखतः ट्रेड प्राप्यताओं में रु. 829 करोड़ (बिल किया गया और बिल नहीं किया गया) की वृद्धि, सामग्री सूची में रु. 808 करोड़ की कमी और नकद व बैंक शेष में रु. 292 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

iii) प्रमुख वित्तीय अनुपात :

एस ई बी आई (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी को विस्तृत विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण देना भी आवश्यक है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	परिवर्तन (%में)	25% या उससे अधिक के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
देनदार टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.18	1.51	(22%)	लागू नहीं
सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुना)	2.46	1.71	44%	नीचे की टिप्पणी 1 देखें।
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
चालू अनुपात (गुना)	1.98	1.48	34%	नीचे की टिप्पणी 2 देखें।
ऋण ईक्यूिटी अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	20.24	17.44	16%	लागू नहीं
निवल लाभ मार्जिन (%)	17.29	13.77	26%	नीचे की टिप्पणी 3 देखें।
निवल मालियत पर रिटर्न (%)	19.85	18.63	7%	लागू नहीं

टिप्पणी :

- 1) आकाश अस्त्र-प्रणाली के कार्य-आदेश पूरा होने के कारण रु. 808 करोड़ की सामग्री-सूची में कमी आयी। परिणामस्वरूप, सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुयी।
 - 2) चालू देयताओं में रु. 605 करोड़ की कमी और चालू आस्तियों में रु. 265 करोड़ की वृद्धि (जो प्रमुखतः ट्रेड प्राप्यताओं में रु. 829 करोड़ की वृद्धि और ट्रेड प्राप्यताओं के रियलाइजेशन से नकद और बैंक शेष में रु. 292 करोड़ की वृद्धि के कारण है।) के चलते चालू अनुपात में वृद्धि आयी।
 - 3) निवल लाभ मार्जिन में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम की गयी आयकर दर अपनाने की वजह से है।
- iv) संव्यवहार की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया जाता है। हालांकि, इस तरह के गैर-प्रकटीकरण का कंपनी लेखा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- विश्व बाजार में मुख्य प्रतिस्पर्द्धी बनना और मित्र देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करना।

2.6 अवसर और खतरे

अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना प्रदान करती है।
- बीडीएल का अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।
- 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसर-प्राप्ति की संभावना बढ़ी।
- बी डी एल के पास तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हैं जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।



- प्राथमिकतः रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए और अधिक बजट आबंटित कर रही है।
- निर्यात बाजार के खुल जाने और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाने में सुगमता से कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और पड़ोसी देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ की जा रही है।

खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी से बीडीएल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- एक ही ग्राहक अर्थात् रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- आदेश रद्द किये जाने से कायदेशि एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।

2.7 प्रमुख कार्यनीतियाँ :

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर बाजार में कंपनी की स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा :

- 2.7.1 इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेंगे। इब्राहीमपट्टणम और अमरावती में बन रही हमारी विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएँगी। इन दो विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और विश्रांड (वी एस एच ओ आर ए डी एम) का विनिर्माण किया जाएगा। हम राचकोंडा, तेलंगाना में एक परीक्षण फायर रेंज स्थापित करने जा रहे हैं जिससे आशा है कि हमारे परिचालन लाभ में मितव्ययता आएगी।
- 2.7.2 स्वचालीकरण (ऑटोमेशन) :** जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हैदराबाद की हमारी विनिर्माण सुविधा में उत्पादन प्रणालियों का स्वचालीकरण करने की चाह रखना।
- 2.7.3 अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना :** हमारा मानना है कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की अनुमति देनी वाली परिवर्तित सरकारी नीति से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम अपने ग्राहकों के लिए नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा यह भी मानना है कि नए उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे पायेंगे जिससे उत्पाद निर्भरता में कमी आएगी। हमने मिसाइल के अभिकल्पन एवं विकास के उद्देश्य से मिसाइल विकास समूह की स्थापना की है। साथ ही, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
- 2.7.4 प्रक्रियाओं में सुधार :** हम अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार एवं मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार भी लाना चाहते हैं।
- 2.7.5 नई पीढ़ी के सैम और एटीजीएम:** हम अपने अनुभव का लाभ उठा कर नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम और भारी टॉरपिडो जैसे नए उत्पाद विकसित करना चाहते हैं जिससे हमारे राजस्व में और वृद्धि आएगी। डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम और सैम विकसित करने में हम संयुक्त विकास भागीदार भी हैं। रक्षा मंत्रालय ने हमें नई पीढ़ी के एक सैम के उत्पादन अभिकरण एवं अग्रणी एकीकर्ता तथा तीसरी पीढ़ी के एक एटीजीएम के लिए मनीनीत अभिकरण बनाया है। हमने नए उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई एमओयू और गैर प्रकटीकरण समझौते भी किए हैं।
- 2.7.6 निर्यात :** बीडीएल प्रमुखतः भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। संप्रति कंपनी, हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है। मित्र देशों को आकाश सैम, हल्के भार वाले टॉरपिडो एवं प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेश सक्षम ग्राहकों से बातचीत में लगी। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने भारतीय चैनल पार्टनर के माध्यम से रु. 174 करोड़ मूल्य का निर्यात व्यापार किया है।
- 2.7.7** भारत सरकार की पहल के अंतर्गत बी डी एल रक्षा नवोन्मेष संगठन (डिफेंस इन्नोवेशन आर्गनाइजेशन - डी आई ओ) के जरिये रक्षा एवं वांतरिक्ष के लिए एक स्टार्ट-अप समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने की योजना बना रहा है।

3. भविष्य-दृष्टि

भारतीय सशस्त्र सेना बल आपकी कंपनी के प्रमुख ग्राहक हैं और आपकी कंपनी यह जानती है कि इसकी नामित उत्पादन अभिकरण की स्थिति धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धात्मक बिडर के रूप में बदलती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर की प्रतिभागिता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में भारतीय निजी क्षेत्र के समूह ने भारतीय रक्षा बाजार में अपना कार्यानुभव बढ़ाया है। सरकार के सहयोग से हुए कुछ ऐसे नीतिपरक हस्तक्षेप, विशेषकर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के परिणामस्वरूप हुआ है। इन प्रयासों के प्रभाव से देशी उद्योग के लिए वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ उत्पाद एवं टेक्नोलॉजी की सहभागिता के नये अवसर खुले हैं। निजी क्षेत्र और वैश्विक रक्षा कंपनियों का इस ओर ध्यान बढ़ जाने से आने वाले सालों में आपकी कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपकी कंपनी डी आर डी ओ के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने और संयुक्त विकास कार्यक्रम जारी रखना चाहती है। आपकी कंपनी विदेशी मूल विनिर्माणकर्ता (OEMs) के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की भी तलाश में लगी है और इस दिशा में आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मूल विनिर्माणकर्ताओं के साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपकी कंपनी के अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी काफी वृद्धि हुई है। आपकी कंपनी का मानना है कि नए उत्पादों का विकास हमें अपने उत्पादों में विविधता लाने के साथ-साथ उत्पाद निर्भरता को कम करने में सक्षम बनायेगा। हमने मिसाइल के अभिकल्पन एवं विकास के उद्देश्य से मिसाइल विकास समूह की भी स्थापना की है। साथ ही, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद बनाने के प्रयास कर रहे हैं।



दि. 01 अप्रैल, 2020 तक आपकी कंपनी के पास रु. 7413 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने रु. 1700 करोड़ रुपये के आकाश 7 स्कैफ़लिंग के और रु. 1188 करोड़ रुपये के भारी टॉरपिडो (वरुणास्र) के कार्य-आदेश प्राप्त किये हैं। इससे आने वाले वर्षों में हमारी उत्पादन-शालाएँ व्यस्त रहेंगी। आपकी कंपनी को भविष्य में और कार्य-आदेश प्राप्ति की साफ उम्मीद दिखायी देती है जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और इस उद्देश्य से आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के साथ पूरी ताकत के साथ लगी है।

संक्षेप में, कार्य-आदेश स्थिति एवं संभावित कार्य-आदेशों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी का भविष्य उज्वल दिखाई देता है। दशकों के अनुभव से युक्त आपकी कंपनी भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

4. जोखिम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोखिम और इनसे निपटान की योजना में उद्योग से संबंधित जोखिम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन के लिए समय, बाजार खंडों में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम शामिल हैं। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर अण्ड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन किया गया तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

4.1 संव्यवहार जोखिम: कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्वितरण, उनके आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम समस्तरीय अवसर प्रदत्त निजी क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है।

निपटान : अपनी व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक आधार के विस्तार के लिए बीडीएल, भारत सरकार के प्रोत्साहन से सक्रिय रूप से निर्यात बाजारों में प्रवेश के अवसर तलाश रहा है। कंपनी वर्तमान में हल्के भार वाले टॉरपिडो का निर्यात कर रही है।

4.2 नीति जोखिम: कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों से आबद्ध है। यदि हम लागू नियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारे व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

निपटान : कंपनी, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार सभी नियम और विनियमों का पालन कर रही है और इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

4.3 परिचालन और श्रम जोखिम: कंपनी का परिचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधारित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर दृष्टव्य / भौतिकतः वस्तुगत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्यबल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है, अतः लंबे समय तक कार्य रुकने की स्थिति में इससे हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

निपटान : कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

4.4 आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता जोखिम: कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन वस्तुगत रूप से प्रभावित हो सकता है।

निपटान : कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन क्षति (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बरती गई है।

4.5 प्रौद्योगिकी जोखिम: हम उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का विनिर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी के प्रवेश में जोखिम शामिल होता है तथा प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली नहीं की जा सकती।

निपटान : कंपनी ने अपना खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित कर लिया है और प्रौद्योगिकी जोखिमों का सामना करने के लिए आर अण्ड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। व्यावसायिक व पेशेवर कर्मियों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य है - लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष संगठन के आपदा प्रबंधन, नियंत्रण तथा अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता व प्रभाविता संबंधी स्वतंत्र, सोद्देश्य व उचित भाव सहित प्रस्तुत करना। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखापरीक्षा की नियुक्ति बनी हुई है। ये लेखापरीक्षा फर्म, आंतरिक रूप से सहयोग देने वाले लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।



- ए) **लागत में कमी की पहल** : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लागत में समीक्षा / कमी कार्यक्रम के तहत प्रक्रिया में परिवर्तन, देशीकरण, उद्यम के ही कार्मिकों के द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण, ऊर्जा बचत, सामग्री-वहन लागत, बीमा लागत, खरीद लागत, ई-अपशिष्ट, स्क्रेप निपटान और आकाश मिसाइल के ड्राई फिटमेंट लागत में कमी के माध्यम से रु. 40.79 करोड़ रुपये की राशि बचायी गयी है।
- बी) **मितव्ययता** : व्यय प्रबंधन, मितव्ययता तथा व्यय के युक्तीकरण संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीदी, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोदी कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में रोजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है। कच्चा माल, निर्माणाधीन तथा अतिरिक्त पुर्जों की सामग्री-सूची इष्टतम स्तर पर रखी जाती है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

6. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों का साक्षी विकास :

6.1 दि. 31 मार्च, 2020 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

विवरण	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	1801	804	2605
स्त्री	203	105	308
कुल	2004*	909*	2913*
पिछले वर्ष	2055*	946*	3001*

* अस्थायी कर्मचारियों को छोड़ कर।

आपकी कंपनी में कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सुयोजित प्रशिक्षण व विकासात्मक कार्यक्रम मौजूद है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी PCMM (पीपल कैपबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल) स्तर-2 रेटिंग से प्रमाणित की गई है। यह उन कार्यबल प्रथाओं को लागू करने के लिए एक परिपक्वता फ्रेम कार्य है जो लगातार कार्यबल क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लाभ और रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत में सुधार करता है। पीसीएमएम का कार्यान्वयन आपकी कंपनी के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की संभावना प्रदान करेगा। आपकी कंपनी मानव संसाधन प्रॉसेस के लिए पीसीएमएम स्तर प्रमाणन लागू करने वाला पहला रक्षा उपक्रम है।

आपकी कंपनी ने 'गैप एनालिसिस' के माध्यम से कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति व अन्य मानदंड अनुसार उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है, प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पहचान करने और मुख्य बेंच ताकत की पहचान करने, कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर उत्तराधिकारियों की तैयारी सूचकांक बनायी है। उत्तराधिकारियों को बनाते समय मूल्यांकन विकास केंद्र द्वारा दी गयी जानकारी को भी ध्यान में रखा गया। उत्तराधिकार योजना के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पदों की रिक्तियों को आंतरिक प्रतिभा 'पूल' के साथ नियमित रूप से भरा जाता है और यदि आंतरिक प्रतिभा 'पूल' में उपलब्ध न होने पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। आपकी कंपनी ने ग्रेड VI और इसके ऊपर के 198 अधिकारियों के लिए मूल्यांकन किया है और उत्तराधिकार योजना के अनुसार बेंच स्ट्रेंथ के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएँ भी रखी गई हैं।

6.2 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा - मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन बना हुआ है। कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं।

7. पर्यावरणीय उपाय

आपकी कंपनी क्लीनर टेक्नोलॉजी तथा पुनःचक्रण, पुनःप्रयोग और कमी लाने की अवधारणाओं के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा बना कर उत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती आ रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने का संयंत्र, मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ और धातु स्क्रेप का निपटान, पौधे लगाना और लैंडस्केपिंग, उपचारित अपशिष्ट जल और घरेलू जल का उपयोग करना। कंपनी नियमित अंतराल पर आईएसओ 14001 कोर समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सभी तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी ऑडिट किए जा रहे हैं।

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशी सामग्री को बढ़ाकर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) से घटक और उप-प्रणालियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।



अनुलग्नक- V

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटीकरण, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए।

कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नजर रखी जाती है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आगे से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित किया जाता है) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

2. निदेशक मंडल :

ए) निदेशकों की चूक और श्रेणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। इसकी कुल प्रदत्त पूँजी का 87.75% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कुल नौ (09) सदस्य हैं यथा - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)।

बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है -

ए)	कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)	पदनाम
1)	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री एस पिरमनायगम	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
3)	श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)
4)	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद#	निदेशक (उत्पादन)
5)	श्री पी राधाकृष्ण#	निदेशक (उत्पादन)
बी)	अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)	
1)	श्री अश्विनी कुमार महाजन अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2)	श्री एम एस आर प्रसाद, महानिदेशक (एमएसएस अण्ड डीएस)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सी)	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)	
1)	श्रीमती सुषमा वी दबक *	स्वतंत्र निदेशक
2)	प्रो. अजय पाण्डेय*	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्री अजय नाथ	स्वतंत्र निदेशक
4)	श्री के एस संपत	स्वतंत्र निदेशक
5)	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति	स्वतंत्र निदेशक

दि. 27 मई, 2019 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. DDP-M0001 (11)/02/2018-D (BDL) के अनुसार दि. 01 जून, 2019 से श्री वी गुरुदत्त प्रसाद की अधिवर्षिता प्राप्ति के फलस्वरूप श्री पी राधाकृष्ण ने कंपनी के निदेशक (उत्पादन) का पदभार ग्रहण किया।

* दि. 28 नवंबर, 2018 की DDP-M-0001 (24)/04/2018-D(BDL) पत्र संख्या के अनुसरण में दि. 30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर दि. 01 दिसंबर, 2019 से कार्यकाल नहीं रहा।

सी) निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान 30/05/2019, 10/08/2019, 12/11/2019, 30/11/2019, 09/01/2020, 12/02/2020 को संपन्न बैठकें मिलाकर निदेशक-मंडल की कुल छः (06) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक होती है और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है -



निदेशक	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 27 सितंबर, 2019 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशक की सदस्यता में हुई बैठकें	ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं		सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में हुई निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक								
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (01/03/2019 से)	6	6	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सीएफओ	6	6	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
श्री एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	6	6	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	2
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद निदेशक (उत्पादन) (30/06/2019 तक)	1	1	लागू नहीं।	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	2
श्री पी राधाकृष्ण निदेशक (उत्पादन) (01/07/2019 से)	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
सरकार द्वारा नामित निदेशक								
श्री अश्विनी कुमार महाजन अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव	6	4	नहीं	1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक	-	-
					गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अण्ड इंजीनियर्स लि.	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक		
श्री एम एस आर प्रसाद महानिदेशक (एमएसएसए अण्ड डीएस)	6	4	नहीं	1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर अस्वतंत्र निदेशक	-	-
स्वतंत्र निदेशक								
श्रीमती सुषमा वी दबक (दि. 30 नवंबर, 2019 तक)	4	4	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	1	-
प्रो. अजय पाण्डेय (दि. 30 नवंबर, 2019 तक)	4	3	नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1
श्री अजय नाथ	6	4	नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1
श्री के एस संपत	6	6	हाँ	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	2	1
श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति	6	6	नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालकेतर स्वतंत्र निदेशक	-	1
टिप्पणी :								
(1) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन का संबंध नहीं रहा। निदेशक मंडल के सदस्य एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखते हैं।								
(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़कर।								
(3) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।								
(4) कंपनी के कोई भी निदेशक, कंपनी में शेयर और / या कन्वर्टिबल इन्स्ट्रुमेंट (परिवर्तनीय साधन) नहीं रखते हैं।								
(5) आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार दि. 31 मार्च, 2020 तक स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त की हैं।								



डी) निदेशक मंडल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता :

केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के नाते निदेशकों की नियुक्ति, दक्षताएँ, कार्य-काल और पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। निदेशक मंडल में निम्नलिखित कौशल / विशेषज्ञताओं / दक्षताएँ पहचानी गयीं जो अपने संव्यवहार क्षेत्र में प्रभावी कार्य के लिए सूचीबद्ध विनियम के तहत आवश्यक हैं और जो निदेशक मंडल में वास्तव में उपलब्ध भी हैं :

अपने संव्यवहार और क्षेत्र में निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गये कौशल / विशेषज्ञताएँ / दक्षताएँ	ऐसे कौशल/ विशेषज्ञता / दक्षता रखने वाले निदेशकों का नाम
ज्ञान - कंपनी के संव्यवहार, नीतियाँ और कार्य-संस्कृति (इसकी भविष्य-दृष्टि, मिशन, मूल्य, लक्ष्य, वर्तमान रणनीतिपरक योजना, शासन की संरचना, प्रमुख जोखिम और अवसर भी शामिल) को समझना और कंपनी के परिचालन क्षेत्र से संबंधित उद्योगों की जानकारी।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री एस पिरमनायगम श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण श्री अश्विनी कुमार श्री एम एस आर प्रसाद श्री के एस संपत श्री अजय नाथ श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति
व्यवहारपरक कौशल - टीम सदस्य के रूप में अच्छी तरह से काम करने तथा प्रमुख हिस्सेदारों के साथ चर्चा करने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की क्षमताएँ और गुण।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री एस पिरमनायगम श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण श्री अश्विनी कुमार श्री एम एस आर प्रसाद श्री के एस संपत श्री अजय नाथ श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति
रणनीतिक सोच व निर्णय लेने की क्षमता।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री एस पिरमनायगम श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण श्री अश्विनी कुमार श्री एम एस आर प्रसाद श्री के एस संपत श्री अजय नाथ श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति
वित्तीय कौशल	श्री एस पिरमनायगम श्री के एस संपत श्री अश्विनी कुमार
तकनीकी / व्यावसायिक कौशल तथा संव्यवहार की वर्तमान अवधारणाओं में सहयोग देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान, जैसे - तकनीकी परिचालन और उत्पादन, प्रॉसेसिंग, गुणता आदि संबंधी ज्ञान।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण श्री एम एस आर प्रसाद

ई) कानून के अनुपालन की समीक्षा : कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही, गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की और पाया कि अनुपालन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन को चिंतित करने वाला किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

एफ) निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण : लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 (7), डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में, 'निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नीति' तैयार की गई और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। उक्त नीति की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति, कंपनी का संव्यवहार मॉडल, प्रक्रियाएँ व पद्धतियों पर परिचय कार्यक्रम कराया जाता है और आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्टें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि निदेशक कंपनी से संबंधित आवश्यक जानकारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सदस्य समय-समय पर नैगमिक अभिशासन तथा निदेशक मंडल संबंधी अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर देख सकते हैं।



3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :

दि. 31 मार्च, 2020 तक निदेशक मंडल की निम्नलिखित पाँच (5) समितियाँ कार्यरत रहीं :

- ए) लेखापरीक्षा समिति
- बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- सी) हितधारक संबंध समिति
- डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति
- ई) जोखिम प्रबंधन समिति

इन समितियों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। बहुमत / सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

ए) लेखापरीक्षा समिति

I) विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्ध विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमिय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त हुए किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।
- रु. 100 करोड़ की सबसिडरी या आस्ति के आकार के 10% से अधिक के कंपनी निवेश पर / से प्राप्त ऋण / अग्रिम की उपयोगिता की समीक्षा करना।

II) गठन, सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण :

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बैठकें हुईं यथा- 30/05/2019, 18/06/2019, 10/08/2019, 31/10/2019, 12/11/2019, 09/01/2020 और 12/02/2020 उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :



क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती सुषमा वी दबक अध्यक्ष (दि. 30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	5
2	श्री के एस संपत अध्यक्ष (दि. 30.11.2019 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	7	7
3	प्रो. अजय पाण्डेय सदस्य (दि. 30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	3
4	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद सदस्य (दि. 31.5.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक	1	1
5	श्री एन पी दिवाकर सदस्य (दि. 01.06.2019 से)	कार्यपालक निदेशक	6	6
6	श्री अजय नाथ सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	7	4
7	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	7	6

III) कार्यकारी निदेशक स्थायी तौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाये जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं। कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कंपनी की 49वीं आम सभा में भाग लिया।

बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 के तहत निदेशक मंडल में नये स्वतंत्र निदेशकों के आ जाने से दि. 18 सितंबर, 2017 को 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' नामक समिति का पुनर्गठन किया गया।

I) विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

- उपलब्ध मानदंडों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।
- प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
- वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल के सदस्य न होने की स्थिति में सी ई ओ / प्रबंधक सहित सी ई ओ / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन सदस्य) को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस / कार्यनिष्पादन वेतन / परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- सिक्वोरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

II) गठन, सदस्य व उनकी उपस्थिति का विवरण :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 19 के अनुरूप है। वर्ष 2019-20 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की तीन (3) बैठकें यथा - दि. 30 मई, 2019; दि. 09 जनवरी, 2020 और दि. 12 फरवरी, 2020 को संपन्न हुईं। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति का गठन और उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	प्रो. अजय पाण्डेय अध्यक्ष (दि. 30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति अध्यक्ष (दि.09.01.2020 से)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
3	श्रीमती सुषमा वी दबक सदस्य (दि.30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री अश्वनी कुमार सदस्य	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	3	3
5	श्री अजय नाथ सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	2
6	श्री के एस संपत सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3



III) पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

- ए) केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी।
- बी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है। आयु, कार्यनिष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से पहले आने वाली तिथि तक सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक, इनमें से या/पहले आने वाली तिथि तक की जाती है।
- सी) वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।
- डी) अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामित) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता।
- ई) निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 20,000/- कर दिया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क रु. 10,000/- ही रखा है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को देय प्रतिभागिता शुल्क की समीक्षा की गई है और यह दि. 16 दिसंबर, 2019 की डी पी ई की कार्यालय ज्ञापन सं. 9 (23)/2014-एम जी एम टी के अनुपालन में है। स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।
- एफ) स्टॉक विकल्प :- कंपनी में निदेशक मंडल / शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजनाएँ / स्कीम मौजूद नहीं हैं।
- जी) निदेशक मंडल के सदस्यों के मूल्यांकन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और लिस्टिंग विनियम 17 एवं 19 के प्रावधान आपके कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में सभी सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है। आगे, दि. 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं. एस ई बी आई/एच ओ/ सी एफ डी / डी आई एल 1/ ओ डब्ल्यू / पी/2018/1679/1 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एल ओ डी आर) के प्रावधानों के तहत आपकी कंपनी को इसी प्रकार की छूट मंजूर की गई है।

सी) हितधारक संबंध समिति :

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम 2015 के नियम 20 के अनुरूप है। वर्ष के दौरान दि. 12 फरवरी, 2020 को इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई।

I) विचारार्थ विषय

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना आदि शामिल हैं।
- मतदान अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की समीक्षा।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के अनुवर्तन की समीक्षा।
- दावा न किये गये लाभांश को कम करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना।
- लाभांश वारंट / वार्षिक विवरण / सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, इसका सुनिश्चय कर इसकी समीक्षा करना।

II) वर्ष 2019 -20 के दौरान समिति का गठन और इसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री के एस संपत अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री एस पिरमनायगम सदस्य	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद सदस्य (दि. 31.5.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	-
4	श्री एन पी दिवाकर सदस्य (दि. 1.6.2019 से)	कार्यपालक निदेशक	1	1

- III) कंपनी ने श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही, निवेशक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें, इसके लिए कंपनी ने एक अलग / विशेष ई-मेल आई डी investors@bdl-india.in उपलब्ध कराया है। कंपनी तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार उक्त ई-मेल आई डी तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दिये गये हैं। आगे, एस ई बी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लि. प्राधिकृत है।



- IV) सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 13 (4) के अनुसार, बीएसई और एनएसई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या :	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या :	55
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या :	55
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या :	0

डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

I) विचारार्थ विषय :

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास समिति के 'विचारार्थ विषय' इस प्रकार हैं :

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

- II) वर्ष 2019-20 के दौरान दि. 30 मई, 2019; दि. 31 अक्टूबर, 2019 और दि. 12 फरवरी, 2020 को इस समिति की कुल तीन (03) बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान इस समिति के गठन और इसकी बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अजय नाथ अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
2	श्रीमती सुषमा वी दबक सदस्य (दि.30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	प्रो. अजय पाण्डेय सदस्य (दि.30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	1
4	श्री के एस संपत सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
5	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
6	श्री एस पिरमनायगम सदस्य	कार्यपालक निदेशक	3	3
7	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद सदस्य (दि.31.05.2019 तक)	कार्यपालक निदेशक	1	1
8	श्री एन पी दिवाकर सदस्य (दि. 1.6.2019 से)	कार्यपालक निदेशक	2	2

ई) जोखिम प्रबंधन समिति :

सेबी (एस ओ डी आर) विनियमों में संशोधनों के आधार पर वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने दि. 31 अक्टूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और सूची विनियमों के विनियमन 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

I) विचारार्थ विषय :

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करने के लिए विशेष रूप से कंपनी द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा उपाय जोखिम की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी चालू और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और रिवाइड के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय कर रही है।
- जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा व मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोखिम की पहचान करने के लिए तथा मान्यताओं के एक बोर्ड सेट के खिलाफ संभावित प्रभाव को मापने के लिए एक प्रभावी चालू प्रक्रिया को लागू किया है और फिर इन जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए व इन जोखिमों का सामना करने की कंपनी की क्षमता व सहिष्णुता का निर्धारण करने के लिए।
- अतिरिक्त जोखिमों की पहचान करने के लिए, यदि कोई हो और जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ तय करें।



- II) इस समिति का गठन सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुरूप किया गया है। वर्ष के दौरान दि. 30 नवंबर, 2019 को इस समिति की एक (01) बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान इस समिति के गठन और उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस पिस्मनायगम अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक	3	3
2	श्री एन पी दिवाकर सदस्य	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	श्री पी राधाकृष्ण सदस्य	कार्यपालक निदेशक	1	1
4	श्री अजय नाथ सदस्य (दि.30.11.2019 तक)	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1

टिप्पणी

निगम जोखिम समिति के अध्यक्ष तथा मुख्य जोखिम प्रबंधक भी इस समिति के सदस्य हैं।

4) निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ :

निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ इस प्रकार हैं :

ए) खरीद समिति

निदेशक मंडल द्वारा सी एम डी के अधिकारों से परे नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को यह समिति गठित की गई थी जो प्रत्येक ऐसे मामले में अधिकतम रु. 25 करोड़ की मंजूरी दे सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकारों के अधीन खरीदी प्रस्ताव भी अनुमोदित कर सकती है। खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के भीतर क्रय आदेश देने / संविदा करने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है-

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा मामलों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

कंपनी ने इस समिति का पुनर्गठन किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 21 जून, 2019; दि. 19 जुलाई, 2019; दि. 21 अक्तूबर, 2019; दि. 24 दिसंबर, 2019 और दि. 23 जनवरी, 2020 को इस समिति की पाँच (05) बैठकें हुईं।

बी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दि. 11 फरवरी, 2020 को हुई। बैठक के दौरान कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना-अंतरण की गुणता, मात्रात्मकता और समयबद्धता की समीक्षा की गई जो निदेशक मंडल के प्रभावी व तार्किक कर्तव्य-निर्वहन के लिए आवश्यक है। सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किये गये।

5. आम सभाएँ :

कंपनी की सभी आम सभाएँ हैदराबाद में संपन्न हूँ जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है -

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	लिये गये कुल मुख्य संकल्प
49	2018-19	27 सितंबर, 2019	15:30 बजे	होटल शेरेटन, नानकरामगुड़ा	2
48	2017-18	27 सितंबर, 2018	15:00 बजे	होटल शेरेटन, नानकरामगुड़ा	शून्य
47	2016-17	26 सितंबर, 2017	12:00 बजे	पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद	शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प प्राप्त नहीं हुआ।

6. प्रकटन :

ए) दि. 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

बी) वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की आशंका हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। कंपनी ने लिस्टिंग विनियम की विनियम सं.46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए 'पार्टी संबंधी लेन-देन नीति' तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है।



- सी) वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1) के संदर्भ में आपकी कंपनी ने दि. 1 मई, 2018 से निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, दि. 3 मई, 2018 की सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई और एन एस ई) ने दि. 30 जून, 2019; दि. 30 सितंबर, 2019 और दि. 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिसका कंपनी ने अनुपालन नहीं किया हो। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश या कैपिटल मार्केट संबंधी किसी विषय को लेकर स्टॉक एक्सचेंज या एस ई बी आई या किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा है और न ही कोई आक्षेप लगाया गया है।
- डी) **विजिल ब्लोअर मैकानिज्म / विजिल मेकानिज्म :**
डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी की विजिल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया।
- ई) संव्यवहार की प्रकृति एवं प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध IND-AS-108 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंडों का अनुपालन किया गया है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता का प्रकटीकरण न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।
- एफ) व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चों में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।
- जी) निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।
- एच) प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	928.75	880.87
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	15.78	13.71
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.70%	1.56%

आई) **राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश**

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देश तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करती आ रही है। इस विषय से जुड़े अधिकारियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

बी डी एल ने 01 जनवरी 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति निर्देश लागू किये हैं।

7) **संप्रेषण के माध्यम :**

अपने शेयरधारक, निदेशक तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी संप्रेषण के सभी माध्यम अपनाती है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट (www.bdl-india.in) के साथ-साथ अन्य माध्यम भी शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आरटीआई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहे हैं। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों की निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं।

सूचीयन विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.com पर भी दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र में और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं।

कार्य-निष्पादन संबंधी कंपनी की जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है।

8) **सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी**

(ए) वर्ष 2019-20 के लिए 50वीं आम सभा दि. 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 15:00 बजे होना निश्चित हुआ।

(बी) कंपनी का वित्तीय वर्ष दि. 01 अप्रैल से आरंभ होता है और दि. 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थायी कैलेंडर इस प्रकार है :

30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2020 या उससे पहले
30.09.2020 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2020 या उससे पहले
31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2021 या उससे पहले
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2021 या उससे पहले
51वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2021 या उससे पहले

(सी) सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका दि. 22 से 28 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।



- (डी) आपके निदेशक मंडल ने दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 2.55 अर्थात् 25.50% (सम मूल्य) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 50वीं आम सभा में अनुमोदित हो जाने पर यह लाभांश अंतिम तिथि के भीतर शेयरधारकों में वितरित किया जाएगा।
- (ई) कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई') पी जे टावर्स, 26वाँ तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
---	--

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दोनों शेयर बाजारों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

- (एफ) संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के इक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आई एस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

शेयर एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई आई आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

- (जी) **शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान**

कंपनी नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एसडी एल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूँजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूँजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / भुगतान पूँजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के उपलब्ध डीमटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी छ: माह के अंतराल पर पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा - एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

- (एच) **बाजार मूल्य डॉटा**

बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :


- i) वर्ष 2019-20 के दौरान के दौरान बी एस ई सेसेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

बी एस ई

महीना	बीएसई सेसेक्स बंद	बीएसई उपक्रम बंद	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च रुपये	न्यून रुपये	बंद रुपये		
अप्रैल, 2019	39031.55	7446.22	321.15	277.05	277.85	1125900	3302.23
मई, 2019	39714.20	7825.82	339	255	296.8	175081	527.47
जून, 2019	39394.64	7832.33	341.85	281.85	339.95	214827	680.59
जुलाई, 2019	37481.12	6967.88	344.65	290	293.65	139758	439.62
अगस्त, 2019	37332.79	6348.92	302.65	261.05	279.65	48291	139.09
सितंबर, 2019	38667.33	6659.26	325	270.7	295.9	117599	353.46
अक्टूबर, 2019	40129.05	7190.87	348.6	276	328.7	103797	318.72
नवंबर, 2019	40793.81	7072.7	365	317	333.4	259512	895.31
दिसंबर, 2019	41253.74	6955.57	342	281.5	294.5	138700	414.89
जनवरी, 2020	40723.49	6567.11	332	288.5	290.1	195637	606.34
फरवरी, 2020	38297.29	5880.65	322.35	260.1	274.35	346303	1018.51
मार्च, 2020	29468.49	4460.07	285.85	147	185.35	233929	499.95



वर्ष 2019-20 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ बी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गयी :




ii) वर्ष 2019-2020 के दौरान के दौरान एन एस ई सेंसेक्स की तुलना में एन एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

एन एस ई

महीना	बीएसई निफ्टी बंद	निफ्टी-पीएसई बंद	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च रुपये	न्यून रुपये	बंद रुपये		
अप्रैल, 2019	11748.15	3557.10	320.9	277	278.3	2297764	6935.10
मई, 2019	11922.80	3654.65	340.9	250.65	298.75	1246083	3770.46
जून, 2019	11788.85	3657.25	341.9	281.5	339.75	2407880	7666.15
जुलाई, 2019	11118.00	3222.05	345	289	294	1098770	3484.90
अगस्त, 2019	11023.25	3028.95	304	262.2	280	473585	1363.80
सितंबर, 2019	11474.45	3243.70	324.8	270.15	295.9	1178585	3583.36
अक्तूबर, 2019	11877.45	3449.05	348	277	328.35	989746	3079.34
नवंबर, 2019	12056.05	3261.60	364.8	315.25	333.35	2383750	8228.08
दिसंबर, 2019	12168.45	3226.60	342.1	282.1	294.45	1404572	4195.17
जनवरी, 2020	11962.10	3013.45	332	288.25	290.25	2458630	7660.66
फरवरी, 2020	11201.75	2716.30	323.9	260.1	274.15	3394654	10007.57
मार्च, 2020	8597.75	2214.15	286	145.3	185.15	1788444	3895.15

वर्ष 2019-20 के दौरान एन एस ई निफ्टी बंद होने की स्थिति के साथ एन एस ई निफ्टी और निफ्टी-पी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है :





(आई) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डीमेटैरियलाइजेशन / रीमेटैरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
205-208, अनारकली कांप्लेक्स
इंडेवालयन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543474
ई-मेल : rta@alankit.com; वेबसाइट : www.alankit.com
निवेशक शिकायत आई डी : rta@alankit.com
संपर्क-सूत्र : श्री जे के सिंग्ला

(जे) शेयर ट्रांसफर प्रणाली

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा क्रय/ बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से संपर्क करना चाहिए। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक रूप से / प्रमाण पत्र के रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में शेयरधारक एस टी ए / कंपनी से पत्राचार करेंगे।

(के) दि. 31 मार्च, 2020 तक शेयरधारण का वितरण

श्रेणी	कुल शेयरधारक	%	कुल शेयर	%	भौतिक रूप में		डीमेट	
					कुल शेयरधारक	शेयरों	कुल शेयरधारक	शेयरों
1-500	106775	99.02	6229424	3.40	2	88	106773	6229336
501-1000	614	0.57	469461	0.26	0	0	614	469461
1001-2000	199	0.18	288453	0.16	0	0	199	288453
2001-3000	85	0.08	216258	0.12	0	0	85	216258
3001-4000	34	0.03	119558	0.07	0	0	34	119558
4001-5000	24	0.02	114637	0.06	0	0	24	114637
5001-10000	45	0.04	325057	0.18	0	0	45	325057
10001 और उससे अधिक	52	0.05	175518402	95.76	0	0	52	175518402
कुल	107828	100.00	183281250	100.00	2	88	107826	183281162

(एल) शेयर का डीमेटैरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा - नेशनल सेक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयर	%
1	एन एस डी एल	180401125	98.4
2	सी डी एस एल	2880037	1.6
3	भौतिक रूप में	88	0
	कुल	183281250	100

(एम) बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

(एन) पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोखिम तथा हेड्रिजिंग गतिविधियाँ :

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरण टिप्पणियों में किया गया है।

(ओ) संयंत्र के स्थान

भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंचनबाग हैदराबाद-500 058 दूरभाष : (040)-24587002 फैक्स : (040)-24347513	
भारत डायनामिक्स लिमिटेड भानूर, पटानचेरु मंडल संगारेड्डी जिला तेलंगाना-502 305 दूरभाष: (040)-23469551 फैक्स : (040)-23469552	भारत डायनामिक्स लिमिटेड जी ब्लॉक, ए पी आई आई सी - आई ए एल ए वी एस ई जेड पोस्ट विशाखापट्टणम-530 049 दूरभाष : (0891)- 2821500 फैक्स : (0891)- 2821502



(पी) **पत्राचार का पता / निगम कार्यालय**
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सी आई एन : L24292TG1970GOI001353
निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500 032
दूरभाष : (040) 23456123; फैक्स : (040) 23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

(क्यू) **क्रेडिट रेटिंग**

कंपनी ने रु. 410 करोड़ की राशि के लिए लघु अवधि बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स सी आर आई एस आई एल से 'A1+' (पुनःअभिपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

9. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वर्ष 2019-20 के दौरान किसी प्रकार की कोई यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आगे, दि. 31 मार्च, 2020 तक इस तरह की कोई शिकायत लंबित नहीं है।

10. अन-अनुपालन का विवरण :

वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1) के संदर्भ में आपकी कंपनी ने दि. 1 मई, 2018 से निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार, दि. 3 मई, 2018 की सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2018/77 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई और एन एस ई) ने दि. 30 जून, 2019; दि. 30 सितंबर, 2019 और दि. 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माना लगाया है। यद्यपि कंपनी ने सूचित किया है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति और ऐसी नियुक्तियों से संबंधित पारिश्रमिक, मूल्यांकन मानदंड जैसी शर्तें व नियम का अधिकार भारत सरकार के पास रहता है। अतः ऐसे संदर्भों में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

11. गैर-आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकेतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाते हैं।

12. इनसाइडर ट्रेडिंग (अंदरूनी व्यापार) रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी जरूरी है। आचरण संहिता और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दी गई है। इस कोड में एस ई बी आई (अंदरूनी व्यापार रोकथाम) संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार संशोधन किया गया है जो दि. 01 अप्रैल, 2019 से लागू है।

13. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2018-19 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

घोषणा की जाती है कि निदेशक-मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार, आचरण एवं नैतिक संहिता' का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

दिनांक : 29.06.2020
स्थान : हैदराबाद



Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347



नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रमाण-पत्र*

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण सूचीबद्ध विनियम की अनुसूची-V के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (बी) से (i) और पैरा 'सी' एवं 'डी' में संदर्भित अनुसार एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के संबद्ध प्रावधान एवं सी पी एस ई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा यह परीक्षण नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

मेरी राय व मुझे प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने वर्ष के दौरान उक्त उल्लिखित सूचीबद्ध विनियम के अनुसार निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता से संबंधित विनियम 17 (1) को छोड़ कर अभिशासन की अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया है। सूचित किया गया है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। साथ ही, ऊपर उल्लिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात् भारत सरकार के पास लंबित है।

मैं आगे यह भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी की गतिविधियाँ इसकी भावी व्यवहार्यता, न ही किसी दक्षता या प्रभावधर्मिता के प्रति कोई आश्वासन देती है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि कंपनी के रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की शिकायत एक महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं रही।

(वाई रमेश)

पेशेवर कंपनी सचिव

सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 10 जून, 2020

*अनूदित पाठ



Y. Ramesh M.Com., LL.B, CAIIB, ACS
Company Secretary in Practice
Mobile : 9849045347



निदेशकों की गैर-निरर्हाता संबंधी प्रमाण-पत्र*

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और
अनुसूची V पैरा 'सी' उपबंध (10) (i) के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

मेरी राय व मुझे प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशक व प्रबंधन द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियुक्ति या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या निरर्हा नहीं किया गया है।


(वाई रमेश)

पेशेवर कंपनी सचिव
सी पी नं. 7929

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 10 जून, 2020

*अनूदित पाठ



अनुलग्नक-VI

संव्यवहार

उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड 'ए' : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की नैगमिक पहचान संख्या (सी आई एन)	L24292TG1970GOI001353
2	कंपनी का नाम	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	कंचनबाग, हैदराबाद-500058
4	वेबसाइट	www.bdl-india.in
5	ई-मेल आईडी	investors@bdl-india.in
6	रिपोर्टधीन वित्तीय वर्ष	2019-20
7	क्षेत्र जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	अस्त्र प्रणाली का विनिर्माण 25200
8	कंपनी की तीन प्रमुख उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार)	मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण
9	कुल स्थान जहां कंपनी का संव्यवहार कार्य होता हो	4
9	ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों के विवरण दें)	शून्य
9	बी. देश में स्थानों की संख्या	4
10	कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय / राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड 'बी' : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूँजी (भारतीय रुपये)	1832812500
2	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपये)	3095 करोड़
3	कुल कराधान बाद लाभ (भारतीय रुपये)	535 करोड़
4	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर कुल व्यय (भारतीय रुपये)	15.56 करोड़
5	उपर्युक्त मद सं. 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर व्यय किया गया हो, उसकी सूची	बी डी एल की सी एस आर गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं: <ul style="list-style-type: none"> शिक्षा और कौशल विकास ग्रामीण विकास खेल-कूद और स्वच्छ भारत परियोजनाएँ पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी पहल

खण्ड 'सी' : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?	नहीं
2	सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व की पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या बताएँ।	लागू नहीं
3	क्या कोई ऐसी इकाई / इकाइयाँ (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) हैं जिनके साथ कंपनी संव्यवहार करती हो और वे संस्था / संस्थाएँ कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी इकाई / इकाइयों का प्रतिशत बताएँ। 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक	नहीं

खण्ड 'डी' : संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी

1	संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण (ए) संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण डी आई एन नंबर नाम पदनाम (बी) संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान के विवरण डी आई एन नंबर (यदि लागू हो तो) नाम पदनाम दूरभाष सं. ई-मेल आई डी	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता संबंधी संव्यवहार उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति द्वारा किया जाता है। सी एस आर अण्ड एस डी समिति के गठन का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी के सर्वांगीण संव्यवहार का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का है जो संबंधित समूह प्रधान द्वारा इनका कार्यान्वयन करवाते हैं : बी डी एल के सी एम डी का विवरण इस प्रकार है : डीआईएन: 08367935 नाम : कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दूरभाष : 040-23456123 ई-मेल : cmdbd@bdl-india.in निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान की जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं।
---	--	--

2. सिद्धान्तवार (एन वी जी अनुसार) संव्यवहार विकास नीति / नीतियाँ

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एन वी जी) में दर्शाये गये नौ (9) सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :

सिद्धान्त-1	संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।
सिद्धान्त-2	संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।
सिद्धान्त-3	संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
सिद्धान्त-4	व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित समूह के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
सिद्धान्त-5	संव्यवहार में मानवाधिकारों का सम्मान और इसका बढ़ावा होना चाहिए।



सिद्धान्त-6	संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुनःस्थापन के प्रयास होना चाहिए।
सिद्धान्त-7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त-8	समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।
सिद्धान्त-9	संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

(ए) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें।)

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	
1	क्या आपकी कंपनी में संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए कोई नीति / नीतियाँ लागू हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
2	क्या यह नीति, संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है?	हाँ। कंपनी, कंपनी संबंधी विभिन्न नीतियाँ सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / संचालन के क्षेत्र में बनायी गयी सभी कार्यपद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुपालन करती है।									
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप है ?	हाँ। बी डी एल में विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न लागू कानून / दिशानिर्देश / नियमों आदि के अनुरूप हैं और समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है। नीतियाँ तैयार करते समय उद्योग प्रथाओं, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का ध्यान रखा जाता है।									
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अनुमोदन प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सी ई ओ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	विभिन्न लागू कानून / विधियों / नियमों / दिशानिर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।									
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक / अधिकारी की कोई निर्दिष्ट समिति है ?	वार्षिक विवरण का अंग नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये अनुसार विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।									
6	नीति ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ।	नीतियाँ कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध हैं।									
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है ?	कंपनी की नीतियाँ और परिचालन प्रणाली कंपनी की वेबसाइट और इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। गुणता, स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण नीतियाँ कंपनी परिसर में सभी प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित की गयी हैं।									
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था मौजूद है ?	हाँ। कंपनी के माल और सेवाओं को सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक बुनियादी ढाँचे, मानव-शक्ति समूह, दस्तावेजीकृत मानक परिचालन पद्धति तथा अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित हैं।									
9	क्या नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एस ई बी आई (सूचीबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अंतर्गत कंपनी में प्रतिभूतियाँ रखने वाले हितधारक अन्य व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए 'हितधारक संबंधी समिति' नाम से एक समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने किसी निदेशक या कर्मचारी की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए एक सतर्क तंत्र भी स्थापित किया है। आगे, बिडर / संविदाकार से अभ्यावेदन और साथ ही विभिन्न निविदाओं के प्रति कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राय स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आई ई एम) को संदर्भित किये जाते हैं। आवश्यकता महसूस करने पर आईईएम संबंधित अधिकारी और बिडर के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा कर 'स्पीकिंग आर्डर' (मौखिक आदेश) के माध्यम से अपनी राय देते हैं।									
10	क्या कंपनी ने इस नीति की कार्यात्मकता का आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया है ?	कंपनी, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखाकार, लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, साचविक लेखापरीक्षा, गुणता लेखापरीक्षा, संरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।									

(ब) यदि क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर किसी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' हो तो इसका कारण बताएँ। लागू नहीं।

3. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी अभिशासन

(ए) कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या सी ई ओ की बारंबारिता बताएँ।	कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन दैनिक आधार पर संव्यवहार उत्तरदायित्व कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित बोर्ड / समितियाँ वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करती हैं।
(बी) क्या कंपनी संव्यवहार उत्तरदायित्व या सातत्यता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यह लिंक देखने के लिए कौन-सा हाइपरलिंक है? कितने अंतराल से यह प्रकाशित किया जाता है ?	हाँ। कंपनी, अपने वार्षिक विवरण के अंग के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट http://www.bdl-india.in/investors पर देखी जा सकती है।



खण्ड 'ई' : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।	
1	<p>क्या नैतिक मूल्य, घूसकोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है? हाँ / नहीं। क्या यह ग्रुप / संयुक्त / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी लागू है?</p>
2	<p>पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितनों का संतोषजनक रूप से हल निकाला गया?</p>

सिद्धांत 2 : संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।	
1	<p>आपके ऐसे तीन उत्पाद या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोखिम होता हो।</p>
2	<p>ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) :</p>
3	<p>क्या कंपनी में संवहनीय स्रोतीकरण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं?</p>
4	<p>क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपासी क्षेत्र भी शामिल हों?</p>
5	<p>क्या कंपनी में उत्पाद / अपशिष्ट के पुनःचक्रण के लिए कोई मेकानिज्म है?</p>



सिद्धांत 3 : संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।																										
1	दि. 31.03.2020 तक कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या	2913																								
2	अस्थाई / संविदागत / कैजुअल आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या	121																								
3	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	308																								
4	स्थायी अपंग कर्मचारियों की संख्या	108																								
5	कर्मचारी (असोसिएशन) संघ	बी डी एल में प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त नौ (09) संघ हैं।																								
6	आपके स्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी मान्यता प्राप्त असोसिएशन के सदस्य हैं?	97%																								
7	वित्तीय वर्ष के अंत में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पादन संबंधी मामलों में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	शून्य																								
8	पिछले वर्ष के दौरान संरक्षा और कौशल उन्नयन विषयों पर कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)</th> </tr> <tr> <th>विवरण</th> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अ.पि.व.</th> <th>अनारक्षित</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जे ओ टी एन ए</td> <td>341</td> <td>164</td> <td>607</td> <td>739</td> <td>1851</td> </tr> <tr> <td>जे ओ टी एन ए से इतर</td> <td>487</td> <td>211</td> <td>848</td> <td>1168</td> <td>2714</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)						विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल	जे ओ टी एन ए	341	164	607	739	1851	जे ओ टी एन ए से इतर	487	211	848	1168	2714
वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)																										
विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल																					
जे ओ टी एन ए	341	164	607	739	1851																					
जे ओ टी एन ए से इतर	487	211	848	1168	2714																					

सिद्धांत 4 : व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।		
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक / बाह्य हितधारकों को जोड़ा है? हाँ / नहीं	हाँ
2	उपर्युक्त में से कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित हितधारकों की पहचान की है?	बी डी एल की सी एस आर परियोजनाओं का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित समुदायों को लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त बी डी एल में सुनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन हो। बी डी एल, यह भी प्रयास करता है कि परियोजनाएँ जिन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हैं उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कंपनी ने रोजगार की दृष्टि से (i) अ.जा / अ.ज.जा (ii) दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान वंचित, कमजोर और हाशिये के व्यक्तियों के रूप में की है। बीडीएल ने अपनी सी एस आर योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित करने पर बल दिया है जिनसे प्रमुखतः वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास, स्वास्थ्य संरक्षण पहल, पेयजल आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कंपनी, अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।
3	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ?	कंपनी, अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।

सिद्धांत 5 : संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इसको बढ़ावा दें।		
1	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या फिर समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य भी इसके दायरे में आते हैं।	कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह इत्यादि नहीं है। कंपनी की मानव संसाधन संबंधी नीतियों में कर्मचारी और अपने संव्यवहार के परिचालन से संबद्ध अन्य सभी के मानवाधिकार संबंधी सभी बातें शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, महिला कर्मचारियों का आदर करने और इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए एक नीति कायम की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया ?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।



सिद्धांत 6 : संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुनःस्थापन के प्रयास होने चाहिए।	
1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक व्याप्त है या इसके समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी हैं? कंपनी के रूप में यह पूरी तरह से व्याप्त है। बीडीएल का कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह आदि नहीं है।
2	जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए क्या कंपनी की कोई रणनीति / पहल है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें। बी डी एल की तीनों इकाइयों – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान बी डी एल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, बाह्य लेखापरीक्षा तथा कोर समिति की बैठकें और प्रबंधन समीक्षा बैठक जैसे विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम की पहचान कर इनका मूल्यांकन करती है? हाँ / नहीं। हाँ
4	क्या कंपनी की क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में तत्संबंधी जानकारी दें। साथ ही, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई? बी डी एल द्वारा क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज्म से संबंधी किसी परियोजना को अपनाया नहीं गया है। लेकिन, इस मानदंड के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में वेंट्यूरी स्क्रबर का इस्तेमाल कर उत्सर्जन कम किया जा रहा है। बी डी एल ने सी पी सी बी प्रतिमानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में डीजल जनरेटर लगावाये हैं।
5	क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपृष्ठ आदि से संबंधित हाइपरलिंक दें। सी एन सी मशीन, फ्लोफार्मिंग मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग और वेव सोल्डरिंग मशीन लगाकर साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी लागू की गयी है। बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : - 0.96 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। - प्लांट के परिसर में एल ई डी लाइट की जगह 600 एच पी एस वी स्ट्रीट लाइट लगाये गये। - 06 पुराने अक्षम पंप मोटर की जगह नये ऊर्जायुक्त मोटर लगाये गये जिससे लगभग 37110 के डब्ल्यू एच यूनिट की बचत हुई जो रु. 228228 मूल्य के बराबर है। - रात के दौरान पॉवर फैक्टर में बेहतरी से ऊर्जा बचत - जिससे 164250 के डब्ल्यू एच पॉवर की बचत हुई जो रु. 1010138 मूल्य के बराबर है। - 300 पुराने पंखे की जगह ऊर्जायुक्त पंखे लगाने से ऊर्जा की बचत हुई जिससे 5040 के डब्ल्यू एच पॉवर की बचत हुई जो रु. 30996 मूल्य के बराबर है।
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा होने वाले उत्सर्जन / अपशिष्ट सी पी सी बी / एस पी सी बी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर हैं? हाँ
7	सी पी सी बी / एस पी सी बी से प्राप्त कारण बताओ / कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित (यानी संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किये गये) हैं। शून्य

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।	
1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, केवल उन प्रमुख संघों का नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध हैं : ए) भारतीय उद्योग परिषद (सी आई आई) बी) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (सॉडिट) सी) हैदराबाद प्रबंधन असोसिएशन डी) स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़
2	क्या आपने सार्वजनिक उन्नयन या सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत / दलबंदी की है? नहीं।

सिद्धांत 8 : समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।	
1	क्या सिद्धांत 8 संबंधी नीति के अनुसरण में कंपनी के कोई निर्धारित कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं? जैसा कि उपर्युक्त खण्डों में बताया गया है कि बीडीएल की विभिन्न सी एस आर परियोजनाएँ उन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास में लगी हैं जहाँ कंपनी की इकाइयाँ स्थित हैं। इसके अलावा बीडीएल के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
2	क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं। बीडीएल मौजूदा परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न एन जी ओ, फाउण्डेशन, सरकारी एजेंसियाँ तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के साथ सहयोग से काम करता है।
3	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का कितना प्रत्यक्ष योगदान है? वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर रु. 15.56 करोड़ की राशि खर्च की है। कृपया इस वार्षिक विवरण के अंग के रूप में प्रस्तुत की गई सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट देखें।
4	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जिनसे कि आपकी यह सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनायी गयी है। हाँ। बी डी एल, अपनी अधिकतम परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है।



सिद्धांत 9 : संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

1	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत कितना लंबित है?	वर्ष के दौरान बी डी एल को 28 ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 17 शिकायतों का संतोषजनक निपटान कर दिया गया और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 11 शिकायतें लंबित हैं। ये कुल पंजीकृत / दर्ज की गई शिकायतों का 39.28% है।
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार और उससे परे उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?	कंपनी अस्त्र प्रणाली विनिर्माण के संव्यवहार से जुड़ी है। अतः यह लागू नहीं। उत्पाद संबंधी जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। अतः उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।
3	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है?	नहीं।
4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान कार्यक्रम किया है?	नहीं। यद्यपि बी डी एल हमेशा नियमित अंतराल से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कर ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है।



G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants



Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट*

सेवा में,

सदस्य-गण, भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

1. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

हम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद के अंतर्गत प्रमुख लेखापरीक्षा पद्धतियों पर कोविड-19 के प्रभाव को शामिल करते हुए संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दि. 29.6.2020 की हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

हमने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ईक्रीटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकद प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी।) के सार की लेखापरीक्षा की है।

2. राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यातम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ, 31 मार्च, 2020 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्रीटी परिवर्तन विवरणिका एवं नकद प्राप्ति के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

3. राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा मानदण्डों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण इस रिपोर्ट के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व वाले खण्ड में दिया गया है। हम भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकमेव वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

*अनूदित पाठ



Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378

email : jkmuralica@gmail.com

Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Chennai.



4. लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें (के ए एम) वे मदें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मदों को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मदों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद	लेखापरीक्षा से निकाला गया हल :
<p>1. भारतीय लेखा मानक - 116 के अंतर्गत पट्टे को अपनाना</p> <p>कंपनी ने भारतीय लेखा मानक - 166 'पट्टे' को अपनाया है जो कि एक नया मानक है। यहाँ किसी प्रतिफल के विनिमय के लिए किसी अवधि तक किसी संपत्ति (अंतर्निहित संपत्ति) का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। इस मानक का अनुप्रयोग और अंतरण इस लेखापरीक्षा में ध्यान आकर्षित करने वाला एक बिन्दु है।</p> <p>इस नये मानक के तहत, इस बात का निर्धारण कि संपत्ति में पट्टा है या नहीं, यह इस बात पर आधारित है कि अनुबंध या समझौते में किसी प्रतिफल के बदले में निर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष रूप से पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है या नहीं। मानक के अंतर्गत सभी पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है और सभी पट्टों का लेखांकन का नज़रिया एक समान होगा क्योंकि वित्त पट्टे के आधार पर संपत्ति उपयोग के अधिकार का परिशोधन पट्टे की अवधि के साथ रैखिक आधार पर होगा। आय विवरण संबंधी ब्याज और मूल्यहास अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।</p> <p>कंपनी ने 01.04.2019 को संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के साथ भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाया, इसलिए उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार पूर्व सूचना को बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। नए मानकों के तहत प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में पूर्ववर्ती पट्टे मानकों की तुलना में व्यापक परिवर्तन आया है।</p> <p>कृपया टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 39 (22) और लेखा-नीति की अनुच्छेद सं. 6 देखें।</p>	<p>हमने नये लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया है जिसमें शामिल हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समझौते में भुगतान अनुसूची के अनुसार वृद्धि उपबंध पर विचार कर भविष्य के पट्टे के भुगतान का मूल्यांकन किया गया। 2. पट्टा अवधि की समाप्ति से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्पों के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा। 3. पट्टे की देनदारी की प्रारंभिक मान्यता और वित्तीय विवरणों में उपयोग संपत्ति के अधिकार का मूल्यांकन किया गया। 4. पट्टा देनदारियों के निर्धारण में लागू की गई छूट दरों की तर्कशीलता पर स्वयं को संतुष्ट किया। 5. 31 मार्च, 2019 के अंत तक तुलनात्मक रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित नहीं किया गया है।

*अनूदित पाठ





<p>2. ग्राहक वित्तपोषित संपत्ति</p> <p>कंपनी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई है। प्रत्येक उत्पाद आवश्यकता अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रत्येक बिक्री के आदेश के निष्पादन में विशेष प्रौद्योगिकी और मशीनरी तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है जिसमें काफी निवेश शामिल होता है।</p> <p>अधिकांश बिक्री अनुबंधों में प्रयोगकर्ता प्रौद्योगिकी विकास और मशीनरी व उपकरणों में हुए खर्च के लिए कंपनी की प्रतिपूर्ति से सहमत होता है।</p> <p>ऐसे खर्च और निवेश, मूर्त और अमूर्त प्रकार के प्रयोगकर्ता वित्तपोषित संपत्ति कहलाती है।</p> <p>इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्राहक वित्तपोषित आस्तियों के परिशोधन की पद्धति और परिशोधन के आधार शामिल होते हैं। राजस्व मामले में बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की मान्यता और ऐसे राजस्व की मात्रा का निर्णय शामिल होता है।</p> <p>कृपया लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 4 और 5 तथा लेखा-नीतियों के अनुच्छेद 3 (A) (vi) का संदर्भ लें।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित पुष्टि पर प्रक्रियाएँ शामिल हैं:</p> <p>ए. ग्राहक द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के रूप में कुछ परिसंपत्तियों की पहचान करने और ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य-निर्धारण में कंपनी द्वारा अपनाये गये सिद्धांतों और परिपाटी को समझना।</p> <p>बी. प्रतिपूर्ति और कंपनी के दावे के अधिकार और प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार पर विशेष ध्यान देते हुए बिक्री अनुबंधों की जाँच।</p> <p>सी. यदि बिक्री की समयावधि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अवधि से अधिक है तो प्रबंधन से कंपनी बिक्री अनुबंध को पूरा करने के लिये विस्तारित समय अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं इस बारे में नीति बनाने के लिये कहना।</p> <p>डी. उपलब्ध विभिन्न परिशोधन विधियों का मूल्यांकन करना – उपयोगी कार्य-काल / इकाई उत्पादन / मियादी अवधि इनमें से उपयुक्त विधि चुनना।</p> <p>ई. वसूली दावे की मात्रा और इसे वसूल करने के उपयुक्त समय के साथ राजस्व के रूप में लेने मूल्यांकन कर सही पद्धति का चुनाव करना।</p> <p>एफ. परिशोधन लागत व्यय-परिशोधन और परिशोधन में शामिल हैं। ऐसी वसूली को अन्य परिचालन राजस्व के रूप में दिखाया गया है।</p>
<p>3. सामग्री-सूची</p> <p>सामग्री-सूची का भौतिक सत्यापन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया है जो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर की जाती है। ऐसी सामग्री-सूची में तीसरी पार्टी के पास मौजूद सामग्री भी शामिल होती है। कोविड-19 के सामान्य लॉकडाउन के चलते दि. 31.03.2020 तक सामग्री-सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।</p>	<p>हमने अपनी संतुष्टि के लिए तुलन-पत्र की तारीख पर सामग्री-सूची के मूल्य को सत्यापित करने के लिए वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया लागू की :</p>

*अनुदित पाठ





<p>कंपनी के पास आंतरिक टीमों और पेशेवर एजेंसियों द्वारा सामग्री-सूची के भौतिक सत्यापन का एक नियमित तरीका है। रिर्कोडिंग रसीद, आवागमन और माल जारी करने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और पूर्ण है।</p> <p>इसलिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए विकल्पों का चयन करना पड़ा कि हम पर्याप्त और निर्णायक सबूत प्राप्त करें कि सामग्री-सूची के मूल्य को सही ढंग से तुलना-पत्र में वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>कृपया लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 11 तथा लेखा-नीतियों के अनुच्छेद 7 का संदर्भ लें।</p>	<ol style="list-style-type: none">1. प्रबंधन टीम और पेशेवर एजेंसियों की आवधिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का अवलोकन।2. वस्तुओं का नमूना सत्यापन और भौतिक सूची से मिलान करने के लिए वस्तुओं की 'रोल बैक' और 'रोल ओवर' पद्धतियाँ लागू करना।3. यह पता लगाना कि अभिलिखित प्रक्रियाएँ असामान्य और अस्पष्टीकृत देरी के बिना, भौतिक आवागमन के साथ मेल खाती हैं।4. सामग्री-सूची के मूल्यांकन के परीक्षण की पुष्टि करने के लिए कि वे भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार हैं।5. कंपनी के रिकॉर्ड के साथ उप-ठेकेदारों के स्टॉक की पुष्टि।6. उप-ठेकेदारों और पुस्तकों में उपलब्ध स्टॉक के बीच का अंतर उचित रूप से ठेकेदारों के खाते में डेबिट किए गए दावों के रूप में डेबिट किया जा सकता है।
4. प्रमुख लेखापरीक्षा पद्धतियाँ - कोविड-19 का प्रभाव	
<p>हमने कंपनी के संचालन और विचाराधीन वर्ष के परिणामों पर कोविड-19 महामारी और अनिश्चितता के प्रभाव के मद्देनजर दिये गये त्रुटिपूर्ण वक्तव्य से होने वाले जोखिम के प्रति कंपनी की ओर से इसकी पहचान, मूल्यांकन प्रक्रिया का जायज़ा लिया।</p> <p>पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, इस मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में, हमने कुछ प्रारंभिक वित्तीय विवरण के लिए कोविड-19 संकट के आलोक में हमारे प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन और संशोधित पिछले जोखिम मूल्यांकन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है।</p> <p>हमने वित्तीय वक्तव्यों में आवश्यक प्रबंधन के अनुमानों का लेखा-जोखा किया है, इनमें अनुमानों की तर्कशीलता की जाँच, अपेक्षित क्रेडिट हानि, इन्वेंट्री अप्रचलन, हानि विश्लेषण से संबंधित अनुमान शामिल हैं पर ये यहीं तक सीमित नहीं हैं। हमने विशेष रूप से प्रबंधन के साथ कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की और इस तरह के प्रमुख लेखांकन अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण मान्यताओं और उनकी तर्कशीलता को गंभीरतापूर्वक रखा।</p>	

*अनूदित पाठ





हमने कोविड-19 महामारी से संबंधित किसी भी बाद के वित्तीय वक्तव्यों, वित्तीय वक्तव्यों की तिथि, इकाई से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों और परिस्थितियों से संबंधित वित्तीय विवरणों पर उस तिथि के बाद मौजूद या होने वाले प्रभाव का निर्धारण करने में प्रबंधन निर्णय को आधार माना है। जैसाकि कोविड-19 के प्रकोप का प्रभाव जारी है, जिसमें नियामक प्रतिबंध / शर्तें शामिल हैं। हमारे निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए घटनाओं को कैप्चर करना जो विशेष रूप से उन स्थितियों से संबंधित हैं जो वित्तीय वक्तव्यों, की तारीख में मौजूद थे या वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद, हमने बाद की सभी घटनाओं पर विचार किया है और कोविड-19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन की उपयुक्तता पर शामिल किया है।

5. विषयों का महत्व / संशोधित राय

हम 'बिल अण्ड होल्ड' सिद्धांत पर और बिक्री अनुबंध FOR-Destination आधार पर रु. 23,351.89 लाख की बिक्री के लेनदेन पर राजस्व की मान्यता पर एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 31 के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह की मान्यता को बिल एंड होल्ड सेल्स सिद्धांत के मापदंडों के अनुरूप बनाया गया है। संबंधित अनुबंधों में संशोधन नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन सामान्य लॉकडाउन के कारण सामग्रियों की डेलीवरी करने में असमर्थता के कारण परिवर्तन की आवश्यकता थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. एकमेव वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक विवरण में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं और इस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना कि क्या यह अन्य जानकारी एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के साथ वास्तविक (भौतिक) रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है कि वास्तविक (भौतिक) रूप से गलत प्रकट किया गया हो।

*अनूदित पाठ





अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

7. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्रेटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाए।

इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कारोबार जारी रखने में कंपनी के चलने की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान स्थितियों में कंपनी के आगे बढ़ने से संबंधित लागू प्रकटीकरण करने और जब तक कंपनी को परिसमाप्त कर देने या परिचालन बंद कर देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, तब तक लेखांकन की यह चलायमान अपनाएँ। निदेशक मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

8. एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकमेव वित्तीय विवरण सर्वांगीण रूप में भौतिकतः गलतफहमी से मुक्त रहे भले ही धोखाधड़ी हुई हो या त्रुटि के कारण, एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा हमेशा किसी सामग्री की गलत मौजूदगी का पता लगाएगा। अकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

*अनूदित पाठ





लेखा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवराना संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि :

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की सामग्री के गलत विवरण की जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ताक पर रखना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनीय प्रभावशीलता है।
- इस्तेमाल की गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी में लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा आधार पर प्रबंधन की प्रयुक्ति की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो चालू व्यवसाय अवधारणा के रूप में जारी रहता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें अपनी राय भी संशोधित करनी पड़ती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चालू व्यवसाय की अवधारणा बनी रह सकती है।
- घोषणा सहित एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणिकाओं अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं पर दृष्टिपाल करना जिन्हें साफ-सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

भौतिकत्व एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में अशुद्ध विवरण बड़ा आधार होता है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित

*अनूदित पाठ





हो सकता है। (i) हमारे लेखापरीक्षा-कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए अशुद्ध विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

अभिशासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा के मद हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मदों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मद के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

9. अन्य विधि एवं विनियम आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, जहाँ तक लागू हो, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण **अनुलग्नक-‘ए’** में संलग्न है।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी इस प्रकार है कि -

- (ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी और प्राप्त की गई हैं।
- (बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।
- (सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व ईक्रीटी परिवर्तन विवरणिका एवं नकद प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- (डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानक तथा इनके तहत बने नियमों के अनुरूप रखे गये हैं।

*अनूदित पाठ





- (ई) निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अधीन निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होगा।
- (एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुलग्नक 'बी'** का अवलोकन करें।
- (जी) धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हम अपनी रिपोर्ट **अनुलग्नक- 'सी'** में प्रस्तुत करते हैं।
- (एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार -
- (i) कंपनी ने अपनी भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 36 (6) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
- (ii) कंपनी ने, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा पर यदि कोई हो तो, सामग्री नुकसान के लेखा मानक या अनुप्रयोज्य विधि के आवश्यकतानुरूप प्रावधान रखा है।
- (iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि के अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।



For G. Natesan & Co,
Chartered Accountants
FRN: 002424S

CA. K. Murali
Partner
M.No: 24842

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2020

UDIN:20024842AAAAAW9143

*अनुदित पाठ



G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants



Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए *

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिका के संबंध में दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (1) के संबंध में है।

1. ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूरे विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है।
- बी) कंपनी में नियमित रूप से स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की विधि क्रायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिसंपत्तियों का भौतिकतः सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है।
- सी) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेख देखने पर पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधिकार विलेख / आस्तियों के प्रयोग के अधिकार संबंधी पट्टा विलेख कंपनी के नाम से है जबकि निम्न संपत्तियों के संदर्भ में अधिकार विलेख / पट्टा विलेख प्राप्त होना शेष हैं :

परिसंपत्ति की प्रकृति	रु. लाखों में	कारण
कंचनबाग स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि (0.97 लाख की निवेश संपत्ति सहित)	29.39	राज्य सरकार द्वारा यह भूमि मुफ्त में दी गई। अधिकार विलेख जारी नहीं किया गया।
इब्राहिमपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	6,136.90	टी एस आई आई सी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया और बिक्री करार द्वारा इसका साक्षात्कन किया गया। कंपनी ने टी एस आई आई सी से बिक्री विलेख कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।
विशाखापट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	376.13	ए पी आई आई सी द्वारा अधिकार विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

*अनूदित पाठ



Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Chennai.



विशाखापट्टणम में पट्टे पर भूमि - आस्तियों के प्रयोग का अधिकार	-	पट्टा विलेख किया जाना है।
--	---	---------------------------

2. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उप-संविदाकार एवं तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री छोड़कर सामग्री सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं। कंपनी ने सामग्री सूची का उचित रखरखाव किया है। ऐसे वास्तविक परीक्षण के दौरान भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक तथा अभिलेखों में उल्लिखित स्टॉक में पायी गयी विसंगतियाँ भौतिक नहीं हैं।
3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली किसी भी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(iii) (a), (b) और (c) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
4. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने तथा गारंटी व प्रतिभूति देने संबंधी मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। अतः निक्षेप स्वीकार किए जाने संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा यथासंशोधित कंपनी नियमावली (निक्षेप स्वीकार करना), 2014 कंपनी पर लागू नहीं होंगी।
6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना है। हमने संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है।
7. सांविधिक शुल्क के संबंध में हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :
ए) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर (जी एस टी), बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, 'सेस' एवं अन्य सांविधिक समग्र शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किये जा रहे हैं ।

*अनूदित पाठ





- बी) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा दि. 31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित को छोड़ कर किसी भी प्रकार की अविवादित भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर (जी एस टी), बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, 'सेस' एवं अन्य सांविधिक समग्र शुल्क देय तारीख से लेकर छः महीने से अधिक अवधि तक का भुगतान के लिए शेष नहीं है :

संविधि	शुल्क की प्रकृति	राशि (रुपये लाख में)	देय राशि की समयावधि	बकाया तारीख	भुगतान की तारीख
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.81	2008-09 और 2009-10	कई तारीखें	भुगतान नहीं किया गया।
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस चूक, देर से भुगतान करने पर ब्याज	10.20	वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2018-19	कई तारीखें	भुगतान नहीं किया गया।

- सी) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार देय विवादित कर का विवरण इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

संविधि	शुल्क की प्रकृति	विवादित राशि (रुपये लाख में)	देय राशि की समयावधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,550.83	2011-12	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,024.27	2012-13	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,266.81	2013-14	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6,468.12	2014-15	हैदराबाद के उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	119.36	2015-16	अपील, अपीलेंट संयुक्त आयुक्त, पंजागुट्टा डिविजन, हैदराबाद के पास लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4.51	2016-17	अपील, अपीलेंट संयुक्त आयुक्त, पंजागुट्टा डिविजन, हैदराबाद के पास लंबित है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5.40	2017-18	अपील, अपीलेंट संयुक्त आयुक्त, पंजागुट्टा डिविजन, हैदराबाद के पास लंबित है।
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2,355.50	2012-13 से 2014-15	सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1,140.26	मूल्यांकन वर्ष 2017-18	सी आई टी - अपील- xx, हैदराबाद

*अनूदित पाठ





वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,883.80	2015-16 से 2017-18	सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद में अपील फाइल की जा रही है।
कुल		26,818.86		

8. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। साथ ही, कंपनी के नाम सरकार या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण या उधार बाकी नहीं है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
9. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से (ऋण इंस्ट्रुमेंट सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा इसके अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी देखने में नहीं आयी है और न ही इसकी सूचना दी गई है।
11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
12. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 406 में निर्धारित अनुसार बीडीएल 'निधि' (एन आई डी एच आई) कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि जहाँ लागू हो, संबंधित पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा-मानक के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं में सभी विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।
14. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयर का अधिमाम्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः व अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

*अनूदित पाठ





16. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।



For G. Natesan & Co,
Chartered Accountants
FRN: 002424S

CA.K.Murali
Partner
M.No:24842

UDIN : 20024842AAAAAW9143

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2020



G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants



Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - बी *

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं पर दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (2) (एफ) के संबंध में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2020 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

1. प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश - टिप्पणी में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों के अनुवर्तन के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

2. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश - टिप्पणी (निर्देश - टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार के मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यानिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभावितता के उचित आश्वासन प्राप्त होते हैं।

*अनूदित पाठ



Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378

email : jkmuralica@gmail.com

Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Chennai.



हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमियाँ होने की जोखिम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं 1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; 2) उचित आश्वासन देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किए गए हैं। 3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आश्वासन।

4. वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ :

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेईमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखादड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोखिम हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

*अनूदित पाठ





५. राय :

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित हैं।



For G. Natesan & Co.,
Chartered Accountants
FRN: 002424S

CA. K. Murali
Partner
M.No: 24842

UDIN : 20024842AAAAAW9143

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2020

*अनूदित पाठ



G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants



Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी *

यह अनुलग्नक दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के एकमेव वित्तीय विवरणों पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (2) (जी) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उपखण्ड 5 के अंतर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के निदेशों का रिपोर्ट इस प्रकार है :

निदेश	रिपोर्ट	प्रभाव
क्या कंपनी के पास लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि है तो, आई टी प्रणाली से इतर लेखा संबंधी लेखन के लेखा की अखण्डता पर प्रभाव और साथ ही वित्तीय खर्च की जानकारी दें।	हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कंपनी में आवश्यक प्रणाली मौजूद है। वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय लेन-देन का लेखांकन आई टी प्रणाली से इतर माध्यम से नहीं किया गया।	शून्य
कंपनी द्वारा पुनःभुगतान न किये जाने की स्थिति में क्या कोई मौजूदा उधार / ऋण / ब्याज की पद्धति में परिवर्तन किया गया या ऋणदाता द्वारा अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि है तो तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें।	लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के उधार / ऋण / ब्याज का कंपनी द्वारा पुनःभुगतान न किये जाने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा इसकी पद्धति में परिवर्तन न किया गया और इसे अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का मामला सामने आया।	शून्य

*अनुदित पाठ



Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Chennai.



निर्धारित योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया गया / लेखित किया गया? विचलन के मामलों का विवरण दें?	कंपनी की लेखा-बही तथा रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने सरकारी एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग उस योजना के लिए निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ही किया है।	शून्य
---	---	-------



For G. Natesan & Co,
Chartered Accountants
FRN: 002424S
K. Natesan
CA. K. Murali
Partner
M.No: 24842

UDIN : 20024842AAAAAW9143

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2020

*अनूदित पाठ



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

सं./No.: नि./बी.डी.एल.लेखा(2019-20)/2020-21/ 167

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD,
BENGALURU - 560 001.

दिनांक/DATE:

28 अगस्त 2019

सेवा मे,
श्री सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट सं. 38-39,
टीएसएफसी बिल्डिंग, फ़िनानसियल डिस्ट्रिक्ट
गाछीबाँली, हैदराबाद - 500032
महोदय,

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं
पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
"शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र" अंग्रेषित करता हूँ।

कृपया सुनिश्चित करें कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छपी जाये।
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(अरुण कुमार वी.एम.)

उप निदेशक (प्रशासन)

संलग्न: यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001

टू.भा/Phone : 2226 7646 / 2226 1168
E-mail : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स/Fax : 080-2226 2491



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

By Speed Post
Confidential

सं./No.: Insp/BDL A/cs(2019-20)/2020-21/ 167

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD,
BENGALURU - 560 001.

दिनांक/DATE:

28.08.2020

To

Shri Siddharth Mishra (Retd)
Chairman and Managing Director,
M/s. Bharat Dynamics Limited,
Corporate Office. Plot No.38-39,
TSFC Building. Financial District,
Gachibowli, Hyderabad - 500 032

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad for the year ended 31 March 2020.

I forward Nil Comments Certificate of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of M/s. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad for the year ended 31 March 2020.

It may please be ensured that the comments are:

- (i) Printed in toto without any editing;
- (ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and
- (iii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Dy. Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560 001

1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001

डू.भा/Phone : 2226 7646 / 2226 1168

E-mail : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स/Fax : 080-2226 2491



* दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें। यह उनके द्वारा 26 अगस्त, 2020 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है जो दि. 29 जून, 2020 की उनकी पूर्व रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है जो प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा-अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक लेखापरीक्षा पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

(संतोष कुमार)

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 28 अगस्त, 2020

*अनूदित पाठ



भारतीय लेखा मानक

वित्तीय विवरणिका – 31 मार्च, 2020

निगम संबंधी सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन सार्वजनिक उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं।

विषय-सूची:

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं -

- (ए) तुलन-पत्र
- (बी) लाभ-हानि लेखा
- (सी) ईक्रीटी में परिवर्तन का विवरण
- (डी) नकद-प्राप्ति विवरण
- (ई) महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ
- (एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी

रिपोर्टिंग संस्था:

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद - 500058

निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा

हैदराबाद-500032



31 मार्च, 2020 को समाप्त तुलन-पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
आस्तियाँ			
(1) गैर-चालू आस्तियाँ			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	75,305.16	81,246.57
(बी) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	2	4,205.85	4,703.08
(सी) निवेश संपत्ति	3	0.97	0.97
(डी) आस्तियों के उपयोग का अधिकार	4	4,151.45	-
(ई) अमूर्त आस्तियाँ	5	13,779.20	14,449.08
(एफ) विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	6	-	-
(जी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	7	390.43	371.74
(ii) ऋण	8	300.35	299.20
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	9	4,676.89	4,620.24
(एच) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	30A	5,424.97	7,177.36
(आई) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	10	2,884.57	3,023.59
कुल गैर-चालू आस्तियाँ		111,119.84	115,891.83
(2) चालू आस्तियाँ			
(ए) सामग्री-सूची	11	85,651.77	166,453.20
(बी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) प्राप्य ट्रेड	12	33,836.80	52,592.51
(ii) नकद एवं नकद तुल्य	13	29,749.47	1,697.07
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक में शेष	14	36,600.00	35,434.60
(iv) ऋण	15	236.96	244.65
(v) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	16	242,105.62	138,422.90
(सी) चालू कर आस्तियाँ	30B	3,532.70	4,538.01
(डी) अन्य चालू आस्तियाँ	17	25,684.22	31,567.11
कुल चालू आस्तियाँ		457,397.54	430,950.05
कुल आस्तियाँ		568,517.38	546,841.88
ईकिकिटी एवं देयताएँ			
ईकिकिटी			
(ए) ईकिकिटी शेयर पूँजी	18	18,328.12	18,328.12
(बी) अन्य ईकिकिटी	19	242,354.85	208,526.48
कुल ईकिकिटी		260,682.97	226,854.60
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	20	771.19	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	4,540.38	4,751.46
(बी) प्रावधान	22	29.13	-
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	23	71,036.09	23,323.86
कुल गैर-चालू देयताएँ		76,376.79	28,075.32
(2) चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	24	216.63	181.55
(ii) ट्रेड आदायगी			
(ए) माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बकाया कुल राशि ;	25	1,380.62	2,756.32
(बी) माइक्रो तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाता/लेनदार को बकाया कुल राशि	25	33,167.91	49,189.40
(iii) पट्टा देयताएँ	26	106.10	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	27	16,554.62	12,344.45
(बी) अन्य चालू देयताएँ	28	147,406.83	191,567.21
(सी) प्रावधान	29	32,624.91	35,873.03
(डी) चालू कर देयताएँ, निवल	30B	-	-
कुल चालू देयताएँ		231,457.62	291,911.96
कुल देयताएँ		307,834.41	319,987.28
कुल ईकिकिटी एवं देयताएँ		568,517.38	546,841.88

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते- जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002424S

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

एस. पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन: 07117827

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 08367035

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख ₹ में)

	विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
	आय			
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	31	309,519.79	306,934.97
II	अन्य आय	32	11,597.85	13,598.60
III	कुल आय (I + II)		321,117.64	320,533.57
	व्यय			
	खपत सामग्री की लागत	33	103,606.79	181,896.95
	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	34	50,366.33	(16,587.40)
	कर्मचारी लाभ पर व्यय	35	53,403.07	53,420.88
	वित्त लागत	36	465.57	423.07
	मूल्यहास एवं परिशोध व्यय	37	9,643.84	8,250.21
	अन्य व्यय	38	29,386.64	25,993.40
	कुल व्यय (IV)		246,872.24	253,397.11
V	असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / हानि		74,245.40	67,136.46
VI	असामान्य मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		74,245.40	67,136.46
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर	30C	19,002.93	22,185.99
	(2) आस्थगित कर	30C	1,752.39	2,691.75
	कुल कर व्यय		20,755.32	24,877.74
IX	वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)		53,490.08	42,258.72
X	अन्य व्यापक आय			
	ए. सामग्री जो बाद में लाभ/हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जा सकती।			
	(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	39(4)	(2,889.22)	(1,646.05)
	(बी) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाली मदों से संबंधित आयकर	30C	727.16	575.20
	कुल अन्य व्यापक आय		(2,162.06)	(1,070.85)
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)		51,328.02	41,187.87
XII	प्रति ईक्रीटी शेयर अर्जन			
	मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	39(3)	29.18	23.06

101

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते- जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0024245

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

एस. पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन: 07117827

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 08367035

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्रिकेटी में परिवर्तन का विवरण

ए. ईक्रिकेटी

(लाख ₹ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2018 तक प्रदत्त एवं जारी पूँजी वर्ष के दौरान ईक्रिकेटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	18,328.12
31 मार्च, 2019 को शेष वर्ष के दौरान ईक्रिकेटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	18,328.12
31 मार्च, 2020 को शेष	18,328.12

बी. अन्य ईक्रिकेटी

(लाख ₹ में)

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2018 को शेष वर्ष के लिए लाभ	160,135.54	-	17,174.33	177,309.87
भारतीय लेखा मानक 115 अपनाने पर समायोजन	-	-	42,258.72	42,258.72
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	17,736.54	17,736.54
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(1,070.85)	(1,070.85)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	(16,107.64)	(16,107.64)
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	23,000.00	-	-	23,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(23,000.00)	(23,000.00)
अवधि के दौरान वापस-खरीद पर जोड़	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	(9,622.27)	(9,622.27)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(1,977.89)	(1,977.89)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	183,135.54	-	25,390.94	208,526.48

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष वर्ष के लिए लाभ	183,135.54	-	25,390.94	208,526.48
भारतीय लेखा मानक 115 अपनाने पर समायोजन	-	-	53,490.08	53,490.08
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	-	-
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(2,162.06)	(2,162.06)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	(3,689.95)	(3,689.95)
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	40,000.00	-	-	40,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(40,000.00)	(40,000.00)
अवधि के दौरान वापस-खरीद पर जोड़	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	(11,455.08)	(11,455.08)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(2,354.62)	(2,354.62)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	223,135.54	-	19,219.31	242,354.85

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते- जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002424s

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

एस. पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन: 07117827

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 08367035

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्रवाह		
असामान्य सामग्री तथा कर पूर्व लाभ	74,245.40	67,136.46
समायोजन :		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	9,643.84	8,250.21
वित्त लागत	465.57	423.07
ब्याज से आय	(5,393.40)	(4,692.06)
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर आय	0.62	(4.86)
ग्राहकों से उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	(1,306.84)	(1,311.05)
व्यय के लिए प्रावधान	1,924.11	1,208.04
दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं / प्रावधानों को बड़े खाते में डाला गया।	(3,042.85)	(3,732.37)
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के निवेश पर उचित मूल्य का समायोजन	(161.28)	(148.92)
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(746.35)
कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनीय लाभ	76,375.17	66,382.17
कार्यगत पूंजी परिवर्तन :		
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन		
प्राप्य ट्रेड	18,755.71	18,320.11
ऋण	6.54	(25.92)
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(102,025.19)	20,002.21
सामग्री-सूची	79,770.06	26,118.07
अन्य आस्तियाँ	5,882.89	19,659.08
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन		
प्राप्य ट्रेड	(17,397.19)	(49,204.84)
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	4,249.12	(10,852.10)
अन्य आस्तियाँ	5,144.26	(50,747.45)
प्रावधान	(3,068.76)	(1,816.28)
परिचालनों से प्रजनित नक़द	67,692.61	37,835.05
निवल आयकर प्रदत्त	(17,270.47)	(29,483.21)
असामान्य सामग्री से पहले निवल नक़द	50,422.14	8,351.85
असामान्य मुद्दे	-	-
परिचालनीय गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (ए)	50,422.14	8,351.85
बी. निवेश गतिविधियों से नक़द-प्रवाह		
स्थायी आस्तियों पर पूंजीगत व्यय	(5,688.84)	(8,827.90)
बैंक जमा	(1,165.40)	(2,754.60)
स्थायी आस्तियों की बिक्री से प्राप्ति	0.36	5.28
वर्ष के दौरान म्यूचुअल फण्ड में शोधन / (निवेश)	-	23,529.92
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	746.35
ब्याज प्राप्ति	3,536.25	4,278.81
निवेश गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (बी)	(3,317.63)	16,977.86
सी. वित्तीय गतिविधियों से नक़द-प्राप्ति		
ईफ़्टी शेयर की जारी से प्राप्ति	-	-
वित्त लागत	(326.55)	(284.06)
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान	(94.72)	-
शेयरों की वापस-खरीद	-	-
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-	-
प्रदत्त लाभांश और इस पर कर	(18,665.92)	(26,529.07)
वित्तीय गतिविधियों से / उपभोक्त निवल नक़द (सी)	(19,087.19)	(26,813.13)
नक़द एवं नक़द तुल्य में निवल वृद्धि / (अपवृद्धि) (ए+बी+सी)	28,017.32	(1,483.42)
वर्ष के आरंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य	1,515.52	2,998.94
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें।)	29,532.84	1,515.52
टिप्पणी (i):		
नक़द एवं नक़द तुल्य में शामिल हैं :		
चालू खाते में	248.69	193.69
जमा खाते में	29,500.00	1,500.00
नक़द राशि	0.78	3.38
बैंक ओवरड्राफ्ट	(216.63)	(181.55)
29,532.84	1,515.52	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते- जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 002424s

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

एस. पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
डी आई एन: 07117827

स्थान: हैदराबाद
तारीख: 29.06.2020

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 08367035

एन. नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)



लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन :

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल।

निर्धारित लाभ योजनाएँ – योजना आस्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग:

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण

2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

2.2 लेन-देन और शेष राशियाँ

i) विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गांकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।

ii) विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की घन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।

iii) तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

3. राजस्व की मान्यता

ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

(i) कंपनी द्वारा जब (या जैसे) कार्यनिष्पादन पूरा करने पर राजस्व लिया जाता है।

(ii) समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) जहाँ समय के साथ माल या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण होता है, उस कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्णता की तुलना में प्रगति को मापकर निम्न मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर राजस्व को लिया जाता है :

- कंपनी का कार्यनिष्पादन ग्राहक को कंपनी के काम के साथ-साथ लाभ और उपभोग करने का अधिकार देता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कोई आस्ति बनाता है या उसमें वृद्धि करना है जिसे ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिये कोई आस्ति नहीं तैयार करता है और कंपनी को किसी तारीख तक पूर्ण निष्पादन के लिए उचित लाभ सहित भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

बी) एक कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि में हुई प्रगति का आकलन रिपोर्टिंग तिथि तक संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित लागत के मुकाबले किये गये खर्च की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है और जहाँ यह संभावना है कि लागतों की वसूली की जाएगी, तो किये गये खर्च को राजस्व के रूप में लिया जाता है।

सी) ए एम सी अनुबंधों के मामले में, जहाँ खर्च / बीते समय के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि देखी जाती है वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व लिया जाता है।



(iii) किसी एक समय में निष्पादन दायित्व की पूर्णता

ए) उन मामलों में जहाँ नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उन मामलों में राजस्व की पहचान निष्पादन दायित्व पूरा होने वाले क्षण करती है।

बी) ग्राहक द्वारा आस्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने पर निष्पादन दायित्व पूरा माना जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण में निम्नलिखित सूचक होते हैं :

- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया हो।
- ग्राहक के पास आस्ति का कानूनी हक हो।
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया हो।
- जब कंपनी के पास आस्ति के भुगतान का वर्तमान में अधिकार हो।
- ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और रिवाइड हों। अनुबंधों में शामिल शर्तों के आधार पर इन महत्वपूर्ण जोखिमों और रिवाइड स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है।

कार्यस्थलीय संविदा : कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

निःशुल्क रेल संविदा: निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएँ ग्राहक को सौंप दी जाएँ। निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएँ लेखाअवधि के भीतर गन्तव्य पर पहुँच जाएँ।

बिल और होल्ड बिक्री:

बिल और होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब निम्न सभी मानदंड पूरे होते हों :

- बिल और होल्ड बिक्री के काफी आधार मौजूद हों।
- जब उत्पाद को ग्राहक के उत्पाद रूप में अलग से पहचाना जाता हो।
- वर्तमान में जब उत्पाद ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरण के लिए तैयार हो।
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या इसे किसी अन्य ग्राहक को देने की क्षमता नहीं हो।

(iv) मापन

ए) राजस्व को उस लेनदेन मूल्य की राशि से पहचाना जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि और अनुमानित परिसमापन क्षति के निवल को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

विनियम दर में अंतर और किसी भी अन्य अतिरिक्त विचार को अनुबंध की शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बी) मानक वारंटी शर्तों के तहत खराब / सामान को बदलने या मरम्मत करने के लिए दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेन-देन की कीमत के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से खरीदने का विकल्प नहीं है।

सी) ऐसे मामलों में जहाँ अनुबंधों में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक एकमेव बिक्री मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आबंटित करती है।

पुंज संविदा - जिस पुंज संविदा में संस्थापन और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कंपनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

बहुविध घटक - जहाँ संस्थापन और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्तें रखी गयी हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) पर कंपनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग-अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

डी) अगर एकमेव बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है तो कंपनी, एकमेव बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

(v) महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक की समीक्षा प्रत्येक मामले के लिए अलग से की जाती है।

(vi) ग्राहकों से वित्तपोषित आस्तियाँ:

ग्राहकों से मुफ्त में प्राप्त आस्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उनके अनुरूपी आय को आस्ति की कालावधि पर मूल्यहास के अनुपात में मान्यता दी जाएगी।



बी. अन्य आय

अन्य आय की मान्यता इस प्रकार की जाती है :

i) ब्याज की आमदनी:

किसी भी वित्तीय आस्ति से ब्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। ब्याज की आमदनी अवधि के आधार पर बकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले ब्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राकृतिक भावी नकद प्राप्ति में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

ii) लाभांश:

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान :

- 4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।
- 4.3 हासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएँ पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।
- 4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यहासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानी जाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यहास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। अनुदान / सब्सिडी यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

5. आय कर

- 5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमायी जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वाचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

5.3 आस्थगित कर:

- i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरों पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम (good will) की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियाँ उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।
- ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरों और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियाँ उपलब्ध होंगी। कराधान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।
- iii) आस्थगित आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।
- iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्रेटी मूल्य में भी दी जाती है।

6. पट्टे

6.1 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में :

तीसरी पार्टी के साथ अनुबंध, जो कंपनी को एक आस्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार देता है, को भारतीय लेखा मानक - 116 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब दिया जाता है बशर्ते कि पट्टे मानदंड मानक में निर्दिष्ट के अनुसार मिलते हैं।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम की अवधि) और कम मूल्य की आस्तियों के संबंध में पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में लागू किया जाता है।

आरंभ तिथि पर, "उपयोग के अधिकार" का मूल्य बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत, यदि कोई हो, को नष्ट करने और अंतर्निहित आस्ति को हटाने के लिए रखा जाता है।



पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई गई है। बाद के माप, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग करके बनाया गया है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के बयान के लिए प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

आस्ति के उपयोग का अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक है।

पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

6.2 एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी :

भारतीय लेखा मानक 116 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के आधार पर पट्टे को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) वित्त पट्टा :

प्रारंभ तिथि में, पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पट्टे में शुद्ध निवेश के मूल्य को मापने के लिए निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान प्राप्त किए गए और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है ताकि पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय उपकरण के अनुसार आस्ति का परीक्षण वि-मान्यता और हानि की आवश्यकताओं के लिए किया गया है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

बी) परिचालन पट्टे :

यदि आवश्यक हो, तो कंपनी परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर या अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

किसी पट्टे को आरंभ की तिथि पर ही 'वित्त पट्टा' या 'परिचालन पट्टे' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7. सामग्री-सूची

- 7.1 माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुरजों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारत औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुरजों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।
- 7.2 लेखन सामग्री, वर्दियाँ, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।
- 7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुरजे, निर्माण सामग्री, खुले औजार और भण्डार तथा फालतू पुरजे आय में प्रभारित किए जाते हैं।
- 7.4 कच्चे माल, पुरजों और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

8. वित्तीय लिखतें

8.1 वित्तीय आस्तियाँ :

सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्त के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाजार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है :

- o जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाना है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- o जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएँगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है।



शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन:

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंतःस्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह देखा जाता है कि क्या उनका नकद-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नकद प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए)(i) परिशोधित लागत: संविदागत नकद प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नकद प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले ऋण निवेश पर नफा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) : ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नकद-प्रवाह के लिए रोक रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नकद-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि को शामिल नहीं किया जाता। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्रेटी से लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य : परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंडों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्रेटी लिखतें:

(बी)(i) कम्पनी सभी ईक्रेटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्रेटी निवेशों पर उचित मूल्य नफा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांशों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(बी)(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ वी ओ सी आई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ वी ओ सी आई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदर्शी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यतः ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोखिम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या
- जब वित्तीय आस्ति के नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नकद प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमों और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमों और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।



(v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियाँ

व्यापारिक प्राप्तियाँ साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियाँ हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 18 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्तःस्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएँ और ईक्रिटी लिखतें

वर्गीकरण

ऋण और ईक्रिटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्रिटी के रूप में।

i) ईक्रिटी लिखतें

ईक्रिटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएँ घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्रिटी लिखतों को प्राप्त आय-राशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएँ

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आबंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राकलित भावी नकद भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

iii) व्यापार और अन्य देय राशियाँ

ये राशियाँ कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

iv) व्युत्पन्नियाँ

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफों / (नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नकद प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियाँ ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोखिमों आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोखिमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात् अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तः-स्थापित व्युत्पन्नियाँ अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय



अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

9. नकद और नकद सममूल्य:

नकद प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नकद और नकद सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं – हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियाँ, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नकद राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोखिम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

10. उचित मूल्य पर मापन

10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियाँ और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।

10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रम परम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है:

स्तर-1 – सक्रिय बाजारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।

स्तर-2 – स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात् मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात् मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।

स्तर-3 – आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाजार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोखिमों और उचित मूल्य क्रम परम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

11. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर

11.1 मापन

i. भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।

ii. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से हास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।

iii. बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रूख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।

iv. जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राकृतिक सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर हास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

11.2 हास की विधि, प्राकृतिक उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

i. अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आबंटन के लिए सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन-काल पर हास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।

ii. निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।

iii. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

11.3 निपटान

निपटान पर नफा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगम राशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

12. अमूर्त आस्तियाँ

12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइसेंस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा-बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियाँ तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों, उनका वर्गीकरण 'विकासधीन अमूर्त आस्तियाँ' के रूप में किया जाता है।

बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।

सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :



- साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
- प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।
- साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
- यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
- साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।

ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन / परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है :

अनुज्ञापियाँ	उपयोगी काल / का उत्पादन
कंप्यूटर के साफ्टवेयर	3 वर्ष

13. संपत्ति निवेश :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ न हो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखतः बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आई लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जाने पर बिक्री की लागत घटाकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढ़ोतरी को नफे की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियाँ भी सम्मिलित हैं) हास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियाँ तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएँ तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।

14.5 बंद परिचालन किसी बिक्री हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यतः फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समानुषंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

15. आस्तियों की क्षति :

15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी परीक्षण किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।



15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नकद उत्पन्न इकाइयों) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टवधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

- 16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकतः आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।
- 16.2 जहाँ समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएँ हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यों न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।
- 16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राकलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।
- 16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनुप्राय वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।
- 16.5 दुर्वह संविदा संबंधी प्रावधान : जब किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वह संविदाओं को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को संविदा को छोड़ देने के अनुमानित न्यूनतम लागत और संविदा को जारी रखने के संभावित निवल लागत के आधार पर मापा जाता है। किसी प्रकार का प्रावधान बनाने से पूर्व कंपनी, उस संविदा से संबद्ध आस्तियों के परिसमापन क्षति की पहचान करती है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ :

कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएँ जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णतः समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएँ तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

17.2 अन्य दीर्घवधि कर्मचारी लाभ देयताएँ

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अतः इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्तें संबंधित बाध्यता की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

17.3 रोजगार-उपरांत बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरांत बाध्याताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पञ्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (एँ)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित योजनाओं से संबंधित देयता अथवा आस्ति की पहचान तुलन-पत्र में योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएँ बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बाँड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राकलित भविष्य नकद बहिर्वाह को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुनःमापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से अन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।



बी) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अंशदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नकद वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पञ्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा-समापन लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरिक्त पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निर्माण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरिक्त को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बढुगत किये जाते हैं।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

18. दी गई ईक्रेडिट

ईक्रेडिट शेयर को ईक्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्रेडिट में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर अर्जन

20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना हिस्सों में बाँट कर की जाती है :

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ईक्रेडिट शेयरों की भारत औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी ईक्रेडिट शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर ।

20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन :

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त आँकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित ईक्रेडिट शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- भारत औसत संख्या के अतिरिक्त ईक्रेडिट शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्रेडिट शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

नोट 1 से 39 और लेखा-नीति लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 0024245

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली

भागीदार

(सदस्यता सं. 024842)

एस पिरमनायगम

निदेशक (वित्त)

डी आई एन 07117827

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 29.06.2020

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 29.06.2020

एन नागराजा

कंपनी सचिव

(सदस्यता सं. ए19015)



वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संश्लित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक की संश्लित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,429.13	341.74	-	8,770.87	-	-	-	-	8,770.87
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	3,477.17	111.15	37.05	-	148.20	3,328.97
बिल्डिंग	20,367.58	10,488.88	(69.95)	30,786.51	1,838.20	1,180.93	(9.22)	3,009.91	27,776.60
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,129.00	-	-	1,129.00	759.85	187.17	-	947.02	181.98
सड़कें तथा नालियाँ	853.43	372.69	-	1,226.12	333.00	122.46	-	455.46	770.66
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	172.46	1.10	-	173.56	14.03	6.30	-	20.33	153.23
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	42,341.14	3,668.88	(19.59)	45,990.43	7,228.14	3,207.45	(5.71)	10,429.88	35,560.55
फर्नीचर तथा उपकरण	3,002.84	372.68	(47.19)	3,328.33	1,266.68	513.80	(12.36)	1,768.12	1,560.21
परिवहन वाहन	546.03	39.42	-	585.45	212.51	77.23	-	289.74	295.71
विशेष औजार एवं उपकरण	5,248.05	109.90	-	5,357.95	1,787.11	723.05	-	2,510.16	2,847.79
कुल	85,566.83	15,395.29	(136.73)	100,825.39	13,550.67	6,055.44	(27.29)	19,578.82	81,246.57

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संश्लित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की संश्लित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,770.87	1.60	-	8,772.47	-	-	-	-	8,772.47
पट्टे पर प्राप्त भूमि	30,786.51	609.34	-	31,395.85	3,009.91	1,353.12	-	4,363.03	27,032.82
बिल्डिंग	1,129.00	166.81	-	1,295.81	947.02	167.15	-	1,114.17	181.64
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,226.12	440.07	-	1,666.19	455.46	143.04	-	598.50	1,067.69
सड़कें तथा नालियाँ	173.56	10.64	-	184.20	20.33	7.23	-	27.56	156.64
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	45,990.43	1,958.16	(19.75)	47,928.84	10,429.88	3,391.10	(5.60)	13,815.38	34,113.46
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	3,328.33	490.19	(4.38)	3,814.14	1,768.12	489.49	(3.36)	2,254.25	1,559.89
फर्नीचर तथा उपकरण	585.45	76.56	-	662.01	289.74	72.06	-	361.80	300.21
परिवहन वाहन	5,357.95	4.45	(0.10)	5,362.30	2,510.16	731.90	(0.10)	3,241.96	2,120.34
विशेष औजार एवं उपकरण	97,348.22	3,757.82	(24.23)	101,081.81	19,430.62	6,355.09	(9.06)	25,776.65	75,305.16
कुल									

टिप्पणियाँ:

पूर्ण स्वामित्व पर भूमि :

- ए) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित
- 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत कंचनबाग स्थित 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2019 को 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन) शामिल है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी हुई है जिस पर उनका स्वामित्व है।
 - कंचनबाग स्थित 146 एकड़ 32 गुण्टा की ज़मीन राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई (31 मार्च, 2019 तक 146 एकड़ 32 गुण्टा, मूल्य 2 28.32 लाख) जिसका मूल्य 28.42 लाख है। इस भूमि पर हकनामा / स्वामित्व अभी प्राप्त होना शेष है।
- (बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार से अधिगृहीत करमनघाट स्थित 82 एकड़ 31 गुण्टा जमीन (31 मार्च, 2019 तक 82 एकड़ 31 गुण्टा) जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.66 लाख का (31 मार्च, 2019 तक 21.66 लाख) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।
- (सी) विशाखापट्टणम स्थित 10 एकड़ 13 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2019 तक 10 एकड़ 13 गुण्टा) का हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना शेष है जिसके लिए भुगतान की गई 376.13 लाख (31 मार्च, 2019 तक 376.13 लाख) राशि का पूँजीकरण किया गया है।
- (डी) इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी स्थित स्वामित्व में ली जा चुकी 632 एकड़ 16.50 गुण्टा जमीन के लिए अंतरण लिखत रसीद प्राप्ति के लेखित रहने के संबंध में इसे भुगतान की गई अनुमानित कीमत के आधार पर पूँजीकृत किया गया है। कुछ शर्तों के अधीन क्रय करार पर रुपये 6136.90 लाख (31 मार्च, 2019 को रु. 6136.90 लाख) का भुगतान कर पूर्ण स्वामित्वाधिकार कर ज़मीन ली गई है।



भवन :

(ए) 31 मार्च, 2020 को कंपनी की माल्कियत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य रु.111.01 लाख (31 मार्च, 2019 को रु.111.01 लाख) सम्मिलित है।

(ii) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमोदित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

आस्ति	प्रयोक्ता अवधि
भवन	30 / 60
फेंसिंग और चहारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल-आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

(ii) मूल्यहास की गणना-पद्धति के लिए लेखा-नीति 11 का संदर्भ लें : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण।

(iii) नुकसान का जायजा लेखानिति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

(iv) टिप्पणी सं. 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 116 लागू करना।

टिप्पण 2: पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
सिविल	961.45	1,122.69
संयंत्र एवं मशीनरी	3,216.86	3,558.76
अन्य	27.54	21.63
कुल	4,205.85	4,703.08

टिप्पणियाँ :

(i) 31 मार्च, 2019 तक भवन संबंधी पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य में रु.16.69 लाख शामिल है (31 मार्च, 2019 को रु.16.69 लाख) जिसे पर्यावरणीय समाशोधन के कारण स्थगित रखा गया है। उप जिलाधीश और तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रंगारेड्डी जिले के सर्वेक्षण समायोजन तथा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है। आगे, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्राधिकारी से भी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण एवं अन्य प्राधिकारियों से स्वीकृति मिल जाने के बाद लेखा-बही में आवश्यक समायोजन किये जाएँगे।

(ii) पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 39 (7) तथा अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी 39 (8) का संदर्भ लें।

टिप्पणी 3: निवेश संपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	31 मार्च, 2019 तक की संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

(i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गयी राशि

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
किराये से आय	-	-
मूल्यहास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यहास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-



(ii) **संविदात्मक बाध्यताएँ**

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) **पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्थाएँ**

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ और 1 गुण्टा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु. 1 प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 में भी यही रही।

(iv) **उचित मूल्य**

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निवेशित संपत्तियाँ	1459.26	1459.26

उल्लेखनीय निर्णय

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और यह भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में ही है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस भूमि का उचित मूल्य रु.0.06 लाख प्रति वर्ग गज है।

(v) नुकसान का ज्ञायका लेखा-नीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

टिप्पणी 4 : आस्तियों के उपयोग का अधिकार

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				सकल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	3,477.17	148.20	37.05	-	185.25	3,291.92
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	998.91	-	139.37	-	139.37	859.53
कुल	4,476.07	-	-	4,476.07	148.20	176.42	-	324.62	4,151.45

पट्टे पर भूमि :

(ए) विशाखापट्टणम में 3 एकड़ 25 गंटा (31 मार्च, 2019 को 3 एकड़ 25 गंटा) की जमीन भारत सरकार से प्रति एकड़ रु. 1 किराये से पट्टे पर ली गयी थी।

(बी) अमरावती में 553 एकड़ 34 गुण्टा जमीन (31 मार्च, 2019 को 553 एकड़ 34 गुण्टा) दि. 7.2.2014 को संलग्न शर्तों सहित पट्टे पर ली गयी थी जिसके लिए प्रीमियम के रूप में रु. 3922.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इनमें से प्रमुख शर्त है कि समयावधि जब तक न बढ़ाये, आबंटन की तारीख से 60 माह के भीतर फैक्ट्री न बनने और काम पूरा न होने की स्थिति में पट्टा करार रद्द कर दिया जाता है। साथ ही, पट्टाकर्ता मुआवजे में बिना कोई राशि दिये सभी निर्माण के साथ पट्टाधारित भूमि को अपना सकता है। वर्तमान में निवेश की यह अवधि 5.4.2019 तक बढ़ा दी गयी है। जिस परियोजना के लिए इस भूमि का अधग्रहण किया गया है, वह फिलहाल रक्षा मंत्रालय के साथ अंतिम चरण में है। कंपनी, निवेश की कालावधि बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

पट्टे पर भवन :

53,284 वर्ग फुट का निगम कार्यालय भवन ए पी एस एफ सी से 01.06.2016 से 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है। कंपनी ने इस भवन को रु. 998.91 लाख की राशि पर 'आस्ति के उपयोग के अधिकार' के तहत दर्शाया है जिसमें पट्टे की देयता के रु. 9720.01 लाख तथा 26.90 लाख रुपये का भारतीय लेखा मानक 116 के तहत दि. 1.4.2019 तक आस्ति निवृत्ति बाध्यता के लिये प्रावधान शामिल है। पट्टे की देयता को 8% की वृद्धिशील उधार दर पर पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी सं. 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा-मानक 116 लागू करना।

टिप्पणी 5: अमूर्त आस्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2018 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2019 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,017.34	128.78	-	3,146.12	177.98
कंप्यूटर साफ्टवेयर	1,755.92	348.27	-	2,104.19	1,092.93	470.67	-	1,563.60	540.59
अनुज्ञप्ति शुल्क	14,215.46	1,492.00	-	15,707.46	364.24	1,612.71	-	1,976.95	13,730.51
कुल	19,295.48	1,840.27	-	21,135.75	4,474.51	2,212.16	-	6,686.67	14,449.08



(लाख ₹ में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,146.12	86.61	-	3,232.73	91.37
कंप्यूटर साफ्टवेयर	2,104.19	52.45	-	2,156.64	1,563.60	311.09	-	1,874.69	281.95
अनुज्ञाति शुल्क	15,707.46	2,390.00	-	18,097.46	1,976.95	2,714.63	-	4,691.58	13,405.88
कुल	21,135.75	2,442.45	-	23,578.20	6,686.67	3,112.33	-	9,799.00	13,779.20

टिप्पणी 6: विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	-
कुल	-	-

उल्लेखनीय निर्णय

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि सॉफ्टवेयर की कार्यावधि / प्रयोगावधि 3 साल हो सकती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
7 गैर-चालू निवेश		
लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश (अनकोटेड)	390.43	371.74
(i) ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (31 मार्च, 2019 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)		
	390.43	371.74

- नुकसान का जायजा लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

- टिप्पणी 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय

उल्लेखनीय निर्णय :

ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेशी की निवल मालियत पर आधारित है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कंपनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है।

8 गैर-चालू ऋण		
सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
असुरक्षित, शोध्य माल	300.35	299.20
	300.35	299.20

टिप्पणी 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय

9 अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियाँ		
प्राप्य दावे / वापसियाँ	261.91	-
आस्थगित ऋण	4,414.98	4,620.24
	4,676.89	4,620.24

टिप्पणी 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय

उल्लेखनीय निर्णय :

आस्थगित ऋण :

आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आयुध निर्माणी से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रुपयों में दिनांक 1.4.1992 से आरंभ कर समान किशतों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसार पूर्णतः मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड (एस पी पी आई) के अनुरूप नहीं हैं। अतः प्राप्तियों को लाभ-हानि के जरिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान कर आस्थगित ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थगित ऋण के अंतर को आस्थगित खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के जरिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।

10 अन्य गैर-चालू आस्तियाँ		
पूँजीगत अग्रिम	660.30	660.30
आस्थगित व्यय*	2,224.27	2,363.29
	2,884.57	3,023.59

*आस्थगित ऋण पर टिप्पणी सं. 9 में उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।



(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
11	सामग्री-सूची *		
	कच्चा माल तथा घटक	60,895.14	90892.88
	घटाव: प्रावधान	(4,524.99)	(4,002.67)
	मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	257.36	55.65
		56,627.51	86,945.86
	निर्माणाधीन कार्य #	27,829.16	38104.61
	घटाव : प्रावधान	(867.01)	(521.72)
		26,962.15	37,582.89
	तैयार माल	515.41	40606.29
	घटाव : प्रावधान	(88.03)	(94.98)
	मार्गस्थ तैयार माल	0.31	-
		427.69	40,511.31
	भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	1,242.59	896.59
	घटाव : प्रावधान	(169.95)	(173.32)
	मार्गस्थ भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
		1,072.64	723.27
	शिथिल औजार	1,057.28	1070.16
	घटाव : प्रावधान	(496.18)	(403.06)
	मार्गस्थ शिथिल औजार	-	-
		561.10	667.10
	निर्माण सामग्री	-	-
	भण्डार तथा उपस्कर-कल्याण	307.89	306.35
	घटाव : परिशोधन	(307.41)	(305.87)
		0.48	0.48
	विविध भंडार	0.20	22.29
		85,651.77	166,453.20
	# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री-सूची मिलाकर	9.20	9.20
	* उप ठेकेदारों/अन्यों को जारी की गई सामग्री सहित	4,768.43	8,413.15
	- रु.4768.43 लाख (31 मार्च, 2019 को रु.8413.15 लाख) में से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु.2787.33 लाख (31 मार्च, 2019 को रु. 7427.69 लाख) की सामग्री को भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है। उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 470.76 लाख (रु. 525.13 लाख) मूल्य की सामग्री के भौतिक रूप से किये गये सत्यापन के दौरान पाये गये अंतर को प्राप्य दावे के अंतर्गत दर्शाया गया और सामग्री-सूची में से इसे कम कर दिया गया।		
	- सामग्री-सूची की मूल्य-गणना कंपनी की लेखा नीति सं. 7 के तहत की गयी है।		
	- टिप्पणी 39 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		

(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
12	प्राप्य ट्रेड		
	सुरक्षित	-	-
	असुरक्षित, शोध्य माल	33,836.80	52,592.51
	संदिग्ध	-	-
	घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (अनुमानित जमा राशि भत्ता)	-	-
		33,836.80	52,592.51
	टिप्पणी : 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य उपाय, 39 (13) पंजीकृत प्रभार।		
	टिप्पणी : 39 (21)(एफ) का संदर्भ लें : ट्रेड प्राप्यों की आवाजाही		
13	नकद एवं नकद तुल्य		
	बैंक में शेष	-	-
	- चालू खातों में	248.69	193.69
	- जमा खातों में (3 महीनों से कम)	29,500.00	1,500.00
	हाथ नकदी*	0.78	3.38
	मार्गस्थ प्रेषण व्यय	-	-
		29,749.47	1,697.07
	रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नकद तथा नकद तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं हैं।		
	* हाथ नकदी में अग्रदायीधारकों के पास की नकदी भी शामिल है।		
	टिप्पणी 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
	टिप्पणी 39 (2) का संदर्भ लें : वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं की ऑफसेटिंग-बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।		



(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
14	अन्य बैंकों में शेष		
	सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा (परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)	36,600.00	35,434.60
		36,600.00	35,434.60
	- कंपनी ने रु.1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने रु.1,800.000 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये थे। - कंपनी ने शून्य मूल्य (31 मार्च, 2019 तक रु. 9250.00 लाख) की सावधि जमा की पावती के लिये बैंकों के साथ शून्य मूल्य (31 मार्च तक रु.10400.00 लाख) के सुरक्षा ऋण के रूप में रखे थे। टिप्पणी 39(1) का संदर्भ लें: वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं की ऑफसेटिंग-मियादी/सावधि जमा के तहत समायोजित ऋण। - 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
	नकद एवं बैंक शेष का समाधान :		
	नकद एवं नकद तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	29,749.47	1,697.07
	बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	36,600.00	35,434.60
	बैंक में शेष तथा कुल नकद	66,349.47	37,131.67
15	चालू ऋण		
	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित शोध माल	-	-
	असुरक्षित, शोध माल	236.96	244.65
	कुल चालू ऋण	236.96	244.65
	टिप्पणी 39 (16) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
16	अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ		
	प्राप्य दावे / वापसी	5,608.97	5,238.62
	घटाव: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (निम्नलिखित टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें)	(21.47)	(21.47)
	आस्थगित ऋण*	347.85	423.54
	बिल रहित राजस्व	233,532.83	131,860.15
	जमा पर उपचित ब्याज	2,618.47	903.75
	उपचित ब्याज - अन्य	17.77	18.31
	बिक्री के लिए रखी गयी आस्तियाँ (निम्नलिखित टिप्पणी 'बी' का संदर्भ लें)	1.20	-
	कुल अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ	242,105.62	138,422.90
	टिप्पणी 39 (16) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय। टिप्पणी 39 (21)(सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियाँ और ठेका देयताओं की आवाजाही * टिप्पणी सं. 9 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी - ए		
	(i) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित रु.17.14 लाख रुपये की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम रु.48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे/आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक यह मामला विचाराधीन है। (ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित 4.33 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीद के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और यह फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है।		
	टिप्पणी - बी		
	वर्ष 2019-20 के दौरान काम से बाहर कर दी गयी और बिक्री के लिए लगायी गयी आस्तियों का सकल ब्लॉक रु. 213.98 लाख (वर्ष 2018-19 दौरान 107.56 लाख) और संचित मूल्यहास 212.78 लाख है। (वर्ष 2018-19 दौरान 107.56 लाख)		
17	अन्य चालू आस्तियाँ		
	पूँजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
	विक्रेताओं के लिए अग्रिम	-	-
	- सुरक्षित, शोध माल	264.72	425.03
	- असुरक्षित, शोध माल	20,701.27	22,523.90
	- असुरक्षित, शोध संदिग्ध	2.55	2.34
	घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(2.55)	(2.34)
	पूर्वदत्त व्यय	113.55	144.37
	जमा	3,904.43	2,599.83
	अग्रिम सेवा कर तथा जी एस टी	548.77	4,556.23
	आस्थगित व्यय*	139.02	139.02
	भुगतान न किये गये लाभांश के लिए बैंक में उद्दिष्ट शेष	12.46	1,178.73
	कुल चालू आस्तियाँ	25,684.22	31,567.11
	टिप्पणी 39 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण * टिप्पणी सं. 9 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		



18. इक्रिटी शेयर पूँजी

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रति शेयर रु 10/- मूल्य के 20,00,00,000 इक्रिटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, खरीदी गयी और प्रदत्त		
प्रति शेयर रु.10/- मूल्य के 18,32,81,250 इक्रिटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	18,328.12	18,328.12
	18,328.12	18,328.12

टिप्पणियाँ :

इक्रिटी शेयर का सम मूल्य रु.10/- है (वर्ष 2016-17 और उससे पहले यह रु.1,000/- था) यह धारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है तथा शेयर पर खर्च रुपये और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हकदार बनाता है।

(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2018 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2019 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2020 का शेष	183,281,250	18,328.12

(बी) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति		31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	
	रखे गये शेयरों की संख्या	इक्रिटी शेयरों के धारकों की संख्या	रखे गये शेयरों की संख्या	इक्रिटी शेयरों के धारकों की संख्या
पूर्णतः प्रदत्त इक्रिटी शेयर				
भारत सरकार	160,829,297	87.75%	160,829,297	87.75%

(सी) चालू वर्ष तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए वापस खरीद का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
वापस खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	30,546,875	-	172,500	-
वापस खरीदे गये शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	-	-	10.00	-	1,000.00	-
वापस खरीदे गये कुल शेयरों का अंकित मूल्य	-	-	3,054.69	-	1,725.00	-
वापस खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	-	-	41,998.90	-	18,160.80	-
वापस खरीदे गये शेयरों से संबंधित प्रदत्त प्रतिफल	-	-	45,053.59	-	19,885.80	-
शेयर पूँजी कटौती	-	-	3,054.69	-	1,725.00	-
प्रयुक्त शेयर प्रीमियम	-	-	-	-	-	-
प्रयुक्त सामान्य प्रारक्षण	-	-	45,053.59	-	19,885.80	-
पूँजी शोधन प्रारक्षण में राशि का अंतरण	-	-	3,054.69	-	1,725.00	-

रु. 1,000/- प्रति अंकित मूल्य के शेयर को रु. 10/- के अंकित मूल्य में बाँटा गया जिससे इक्रिटी शेयर दि. 8 मई, 2017 से 100 गुना बढ़ गये।

कंपनी अधिनियम की धारा 68, 69 और 70 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान शेयरों की वापस-खरीद प्रक्रिया आरंभ कर पूरी कर ली।

(डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
जारी बोनस शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	91640625	244375	-	-
जारी बोनस शेयरों का मूल्य (रु. लाख में)	-	-	9164.06	2,443.75	-	-



(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
19 अन्य ईकटिटी		
सामान्य प्रारक्षण	223,135.54	183,135.54
पूँजी शोधन प्रारक्षण	-	-
प्रतिधारित अर्जन	19,219.31	25,390.94
वर्ष के अंत में शेष	242,354.85	208,526.48
ए. सामान्य प्रारक्षण		
वर्ष के आरंभ में शेष	183,135.54	160,135.54
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-
वापस खरीदे गये बट्टे खाते में डाला गया	-	-
मूल्यहास समायोजन	-	-
लाभ-हानि खाते की विवरणिका से अंतरण	40,000.00	23,000.00
जारी किये गये बोनस शेयर	-	-
वर्ष के अंत में शेष	223,135.54	183,135.54
सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरिम करने के लिए किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईकटिटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अतः सामान्य प्रारक्षण में शामिल मदों की क्रमशः लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
बी. प्रारक्षित पूँजी शोधन		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	-	-
जारी किये गये बोनस शेयरों की प्रयुक्ति	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
वापस खरीद के संदर्भ में शेयर पूँजी के नाममात्र मूल्यों में कमी को पूँजीगत पुनःप्राप्ति प्रारक्षण में रिकार्ड किया जाता है।		
सी. प्रतिधारित अर्जन		
वर्ष के आरंभ में शेष	25,390.94	17,174.33
भारतीय लेखा-मानक 115 अपनाने पर समायोजन*	-	17,736.54
वर्ष में हुआ लाभ	53,490.08	42,258.72
अंतिम लाभांश और उस पर कर	(3,689.95)	(16,107.64)
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-	-
अंतरिम लाभांश	(11,455.08)	(9,622.27)
अंतरिम लाभांश पर कर	(2,354.62)	(1,977.89)
सामान्य प्रारक्षण में अंतरण	(40,000.00)	(23,000.00)
अन्य विस्तृत आय (कर का निवल)	(2,162.06)	(1,070.85)
वर्ष के अंत में शेष	19,219.31	25,390.94
20 गैर-चालू पट्टा देयताएँ		
पट्टा देयताएँ	771.19	-
	771.19	-
टिप्पणी 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा-मानक 116 लागू करना		
21 अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएँ		
आस्थगित जमा	1,784.14	1833.09
अंतर्निहित उत्पन्न देयताएँ (आस्थगित देयताएँ)	2,756.24	2918.37
	4,540.38	4751.46
टिप्पणी 39 (16) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य उपाय		
उल्लेखनीय निर्णय :		
1) आस्थगित ऋण : आस्थगित ऋण राशियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष (01.04.1992 से आरंभ) के आस्थगित ऋण के मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाता है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अतः इसे उचित मूल्य पर लिया जाएगा। उचित मूल्य 8% की दर से अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इस 8% पूँजी की लागत के रूप में मानती है।		
2) अंतर्निहित व्युत्पन्न : एस डी आर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को अंतर्निहित व्युत्पन्न के रूप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजन रुपये मूल्य माना जाता है।		
22 गैर-चालू प्रावधान		
परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति बाध्यता	29.13	-
कर्मचारी लाभ	-	-
प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
उपदान	-	-
	29.13	-



(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
23 अन्य गैर-चालू देयताएँ		
ग्राहकों से अग्रिम \$		
रक्षा मंत्रालय	18,647.55	10,395.74
अन्य	40,052.71	949.20
आस्थगित आय*	2,287.44	2,430.41
आस्थगित राजस्व*	10,048.39	9,548.51
	71,036.09	23,323.86
* टिप्पणी सं.21 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
# टिप्पणी 39 (20) का संदर्भ लें : सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुदानें।		
\$ टिप्पणी 39 (21)(सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियाँ एवं देयताओं की आवाजाही का संदर्भ लें। साथ ही, लेखा नीति सं. 3 ए(vi) तथा 4.4 का भी संदर्भ लें।		
24 उधार		
(ए) माँग पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले ऋण		
(i) बैंकों से		
- सुरक्षित बैंक ओवरड्राफ्ट	216.63	181.55
- असुरक्षित	-	-
	216.63	181.55
कंपनी को रु.1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसके लिए कंपनी ने रु.1,800.00 लाख सुरक्षा के रूप में किये हैं।		
टिप्पणी 39 (2) का संदर्भ लें : वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं की ऑफसेटिंग - बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।		
25 देय ट्रेड		
देय ट्रेड - चालू :		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि	1,380.62	2,756.32
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ ऋणदाताओं को शेष	33,167.91	49,189.40
	34,548.53	51,945.72
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।		
(i) लेखांकन वर्ष के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
- मूलधन	1,339.65	2,521.35
- ब्याज	40.98	234.97
(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गई राशि के साथ दिया गया ब्याज		
(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	-	22.03
(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	40.98	234.97
(v) ऊपर की तिथि पर दिये गये ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखापरीक्षकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		
26 चालू पट्टा देयताएँ		
पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	106.10	-
	106.10	-
टिप्पणी 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 116 लागू करना।		
27 अन्य चालू वित्तीय देयताएँ		
आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता*	357.73	357.73
जमा	1,170.27	1,245.53
व्यय के लिए ऋणदाता	6,398.85	3,394.60
देय कर्मचारी लाभ	6,966.47	5,135.84
अन्य	320.21	675.72
पूँजीगत कार्य	1,341.09	1,535.03
	16,554.62	12,344.45
टिप्पणी 39(16) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
* टिप्पणी सं. 21 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		



(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
28 अन्य चालू देयताएँ		
ग्राहकों से अग्रिम#		
- रक्षा मंत्रालय	124,531.52	133,905.99
- अन्य	7,785.71	52,088.83
आस्थगित आय*	142.97	142.97
आस्थगित राजस्व*	2,384.69	2,289.79
सांविधिक प्रेषण	12,561.94	3,139.63
	147,406.83	191,567.21
टिप्पणी 39 (8) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण।		
# टिप्पणी सं.39(21)(सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियों तथा देयताओं की आवाजाही		
* टिप्पणी सं. 21 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		

(लाख ₹ में)

29 चालू प्रावधान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान	3,625.08	2,531.82
- उपचित छुट्टी	1,418.57	2,797.92
वारंटी	6,609.23	5,716.49
दुर्वह ठेका	926.47	1,417.36
सी एस आर एवं सतत् विकास	967.41	967.08
भावी प्रभार	9,200.02	11,397.96
अन्य	9,878.13	11,044.40
	32,624.91	35,873.03

प्रावधानों में गति

अन्य प्रावधान	कर्मचारी लाभ	वारंटी	दुर्वह ठेका	सी एस आर एवं सतत् विकास	भावी प्रभार	अन्य
31 मार्च, 2019 का शेष	5,329.74	5,716.49	1,417.36	967.08	11,397.96	11,044.40
मान्य अतिरिक्त प्रभार	5,043.65	2,228.41	192.66	1,498.67	3,081.08	12.46
भुगतान से आयी कमी/ भावी आर्थिक लाभ के लिए अन्य त्याग	(5,329.74)	(1,335.67)	(683.55)	(1,498.34)	(5,279.02)	(1,178.73)
31 मार्च, 2020 का शेष	5,043.65	6,609.23	926.47	967.41	9,200.02	9,878.13

वारंटी :

वारंटी अनुमान का निर्धारण, वारंटी दावा की प्रकृति, बारंबारिता तथा इनकी औसत लागत की ऐतिहासिक सूचना तथा उत्पाद की आपूर्ति 1 या 2 वर्ष के भीतर इसमें आने वाली विफलता को ठीक करने पर आने वाले भावी खर्च के प्रबंधन प्राकलन के आधार पर की जाती है।

दुर्वह ठेके :

दुर्वह ठेके संबंधी प्रावधान, कंपनी द्वारा बिक्री ठेके के कार्यान्वयन पर मूल्यांकित हानि को दर्शाता है। इस प्रकार की हानि ऐसे ठेकों के कार्यान्वयन के दौरान मूल्यांकन के समय कंपनी द्वारा मूल्यांकित कर दी जाती है।

सी एस आर एवं सतत् विकास

सी एस आर एवं सतत् विकास व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आने वाले व्यय के रूप में लिया जाता है।

भावी प्रभार :

भावी प्रभार संबंधी प्रावधान, पूर्व से प्रभावी क्रय संबंधी ठेके शर्तों के अंतर्गत सुपुर्द करने के लिए स्वीकृत अनुबंधी / पैकिंग सामग्री के समानांतर परिवर्द्धित अनुबंधी / पैकिंग सामग्री के लिए अनुमानित देयताओं और आपातकालीन स्थितियों में ब्रेकडाउन से बचने सेवा योग्यता के लिए उपयोगकर्ता के अनुरोध पर दूसरे स्थान को भेजे गये पुर्जों के मूल्य को दर्शाती है।



(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
30	आयकर		
30 ए	आस्थगित कर शेष		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	10,727.22	14,512.58
	आस्थगित कर देयताएँ	5,302.25	7,335.22
	कुल	5,424.97	7,177.36
	आस्थगित कर शेष का व्यौरा		
	आस्थगित कर देयताएँ		
	पूर्णस्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,757.18	1,632.41
	पट्टा देयताएँ	220.80	-
	प्रावधान	8,435.35	12,445.66
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	313.89	434.51
	उप-कुल	10,727.22	14,512.58
	आस्थगित कर देयताएँ		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,279.70	4,279.41
	आस्तियों के उपयोग का अधिकार	56.52	-
	अमूर्त आस्तियाँ	1,582.34	2,532.72
	निवेश का उचित मूल्य		
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	78.47	74.12
	- म्यूचुअल फण्ड	-	-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	305.22	448.97
	अन्य	-	-
	उप-कुल	5,302.25	7,335.22
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयता)	5,424.97	7,177.36

आस्थगित कर शेष का समाधान:

वर्ष 2018-19 के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
पूर्ण स्वामित्व भूमि	1,542.74	89.67	-	1,632.41
प्रावधान	23,840.02	(2,007.49)	(9,386.87)	12,445.66
आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	431.73	2.78	-	434.51
उप-कुल	25,814.49	(1,915.04)	(9,386.87)	14,512.58
आस्थगित कर देयताएँ :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,568.85	710.56	-	4,279.41
अमूर्त आस्तियाँ	2,322.70	210.02	-	2,532.72
निवेश का उचित मूल्य		-	-	-
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	72.76	1.36	-	74.12
- म्यूचुअल फण्ड	174.39	(174.39)	-	(0.00)
आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	419.81	29.16	-	448.97
अन्य	-	-	-	-
उप कुल	6,558.51	776.71	-	7,335.22
कुल	19,255.98	(2,691.75)	(9,386.87)	7,177.36



आस्थित कर शेष का समाधान:

वर्ष 2019-20 के लिए

(लाख ₹ में)

विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
आस्थित कर आस्तियों से संबंधित :				
पूर्ण स्वामित्व भूमि	1,632.41	124.77		1,757.18
पट्टा देयताएँ	-	220.80		220.80
प्रावधान	12,445.66	(4,010.31)		8,435.35
आस्थित जमा उचित मूल्य का समायोजन	434.51	(120.62)		313.89
उप कुल	14,512.58	(3,785.36)	-	10,727.22
आस्थित कर आस्तियों से संबंधित :				
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	4,279.41	(999.71)		3,279.70
आस्तियों के उपयोग का अधिकार		56.52		56.52
अमूर्त आस्तियाँ	2,532.72	(950.38)		1,582.34
निवेश का उचित मूल्य				-
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्रीटी शेयर	74.12	4.35		78.47
- म्यूचुअल फण्ड	(0.00)	-		-
आस्थित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	448.97	(143.75)		305.22
अन्य	-			-
उप कुल	7,335.22	(2,032.97)	-	5,302.25
कुल	7,177.36	(1,752.39)	-	5,424.97

(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
30 बी	चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएँ		
	चालू कर आस्तियाँ	3,532.70	4,538.01
	कुल चालू कर आस्तियाँ	3,532.70	4,538.01
	चालू कर देयताएँ	-	-
	कुल चालू कर देयताएँ	-	-
विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
30 सी	कर व्यय		
	i) लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	19,002.93	22,228.18
	पिछले वर्ष से संबंधित	-	(42.19)
	कुल	19,002.93	22,185.99
	आस्थित कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	1,752.39	2,691.75
	कुल	1,752.39	2,691.75
	ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	727.16	575.20
	कुल	727.16	575.20



वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकित लाभ का समाधान निम्न प्रकार है:

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी परिचालनों से प्राप्त कर पूर्व लाभ	74,245.40	67,136.46
कर देय आय की गणना में (देय कर) राशियों पर नहीं की जाने वाले व्यय की कटौती		
25.168% पर आयकर व्यय की गणना की गई है (वित्तीय वर्ष 2018-19 : 34.944%)	18,686.08	23,460.17
वर्ष के दौरान किये गये दान	0.13	0.87
सी एस आर गतिविधियों से संबंधित राशि	377.18	564.68
एम एस एम ई को बकाया ब्याज	3.02	12.89
अन्य	(871.00)	(1,484.92)
धारा 234A, 234B, 234C के तहत देय ब्याज	25.76	-
देय कर आय की गणना में कर व्यय राशि जिस पर भारांश कटौती उपलब्ध है।		
अनुसंधान एवं विकास व्यय पर भारत कटौती	-	(933.87)
वर्ष के दौरान 80G के तहत दान	(209.40)	-
आस्थगित कर का प्रभाव	1,752.39	2,691.75
पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन		
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2014-15 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	0.72
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2015-16 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	(3.41)
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2016-17 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	(39.50)
पूर्ववर्ती वर्ष के आस्थगित कर लेखा वर्ष 2017-18 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	264.00	-
आने वाले वर्षों (कर दरों में परिवर्तन) का आस्थगित कर से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में समायोजन पहचाना गया।	-	33.16
लाभ / हानि का आयकर संबंधी सामग्री का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया।	727.16	575.20
लाभ या हानि में पहचाना गया आयकर व्यय	20,755.32	24,877.74
अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	727.16	575.20
अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	727.16	575.20
विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
31 परिचालनों से प्राप्त राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
तैयार माल	280,485.00	266,467.48
पुर्जे	13,895.54	14,670.94
विविध	1,454.55	1,445.50
ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(16,461.63)	(14,870.87)
	279,373.46	267,713.05
सेवाओं की बिक्री		
मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	2,390.43	716.11
प्रशिक्षण	-	19.58
जॉब वर्क	5,243.09	4,880.40
विविध	12,233.34	9,838.39
ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(711.50)	(27.01)
	19,155.36	15,427.47
अन्य परिचालन राजस्व		
विनिर्माण ठेके	-	-
स्क्रेप की बिक्री	58.02	34.24
ग्राहक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	1,306.84	1,311.05
अन्य दावे	9,626.11	22,449.16
	10,990.97	23,794.45
कुल	309,519.79	306,934.97
- टिप्पणी 39 (5) का संदर्भ लें : विनिर्माण ठेके		
- रु. 23,351.89 लाख मूल्य के कुछ बिक्री लेन-देन पर राजस्व की पहचान में 'बिल अण्ड होल्ड' वाला सिद्धांत अपनाया गया है जबकि संबंधित बिक्री अनुबंध एफ ओ आर डेस्टिनेशन आधारित हैं। इस तरह की मान्यता बिल और होल्ड सेल्स के सिद्धांत के मापदंडों की पुष्टि करते हुए बनाई गई है। संबंधित अनुबंधों में संशोधन नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान सामान्य लॉकडाउन के चलते सामग्री की सुपुर्दगी न कर पाने की स्थिति में यह परिवर्तन आवश्यक था।		
- टिप्पणी 39 (21) का संदर्भ है : लेखा मानक 115 के तहत घोषणा		
- एल डी का तात्पर्य है परिसमापन क्षतियाँ		
उल्लेखनीय निर्णय:		
राजस्व:		
- कंपनी द्वारा कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता पद्धति के आधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है जहाँ समानांतर रूप से ग्राहक भी सेवाओं से लाभान्वित होता है।		
- कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है।		
- कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की अनुमानित नष्ट की पहचान तुरंत की जाती है।		



(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
32	अन्य आय		
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय		
	बैंक निक्षेप	4,312.57	3,621.53
	अन्य	1,080.83	1,070.53
		5,393.40	4,692.06
	अन्य गैर-परिचालित आय		
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया।	250.03	1,241.76
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसे देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया।	2,792.82	2,490.61
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	2,016.67	4,049.83
	विविध आय (निवल)	352.24	495.57
		5,411.76	8,277.77
	अन्य लब्धि एवं क्षतियाँ		
	निवल विदेशी मुद्रा लब्धि/ (हानि)	632.03	(271.36)
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि (हानि)	161.28	148.92
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	(0.62)	4.86
	लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	-	746.35
		792.69	628.77
	कुल	11,597.85	13,598.60
33	खपत सामग्री की लागत		
	खपत सामग्री की लागत		175,696.15
	प्रत्यक्ष व्यय		6,200.80
		103,606.79	181,896.95
34	तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन		
	अथ स्टॉक:		
	तैयार माल	40,606.29	626.02
	निर्माणाधीन कार्य	38,104.61	61,497.48
		78,710.90	62,123.50
	इति स्टॉक:		
	तैयार माल	515.41	40,606.29
	निर्माणाधीन कार्य	27,829.16	38,104.61
		28,344.57	78,710.90
	निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि	50,366.33	(16,587.40)
35	कर्मचारी लाभ व्यय		
	बोनस सहित वेतन तथा मजदूरी	44,006.59	44,907.32
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	7,258.69	6,215.23
	स्टॉफ कल्याण व्यय	2,137.79	2,298.33
	कुल	53,403.07	53,420.88
	टिप्पणी 39 (4) का संदर्भ लें : रोजगार लाभ दायित्व 39 (9) : पार्टों से संबंधित लेन-देन		
36	वित्त लागत		
	ब्याज व्यय	326.55	284.05
	अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
	कुल	465.57	423.07
	टिप्पणी 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा-मानक 116 को लागू करना		
37	मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	6,355.09	6,038.05
	आस्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यहास	176.42	-
	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	3,112.33	2,212.16
	कुल	9,643.84	8,250.21
	टिप्पणी 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा-मानक 116 को लागू करना		



(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
38 अन्य व्यय		
शॉप आपूर्तियाँ	415.67	441.30
बिजली तथा ईंधन	1,889.05	2,028.71
पानी का प्रभार	458.94	575.42
यात्राएँ	1,350.10	1,398.13
मरम्मत :		
भवन	1,320.08	1,413.39
सयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	993.52	990.73
फर्नीचर तथा उपस्कर	189.81	99.62
वाहन	14.53	11.55
अन्य	64.23	57.36
वाहन व्यय - पेट्रोल एवं डीजल	60.02	79.13
शिथिल औजार तथा उपस्कर	164.25	149.13
बीमा	416.29	590.46
दरें तथा कर	419.48	541.41
डाक, तार, टेलिक्स तथा टेलिफोन	234.43	143.34
मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	90.99	149.75
प्रचार-प्रसार	599.53	367.08
विज्ञापन	211.84	186.55
बैंक प्रभार	80.19	92.19
विधि व्यय	7.43	6.35
दान	0.50	5.00
बट्टा खाता - अन्य	170.60	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक : (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें)	13.40	13.35
सुरक्षा व्यवस्थाएँ	4,008.49	3,894.68
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा विकास	-	0.05
मनोरंजन	1.33	0.84
सौजन्यात्मक	-	151.52
निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	9.80	11.90
स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	1.20	1.20
सी एस आर तथा सतत् विकास व्यय	1,498.67	1,615.97
प्रतिस्थापन एवं अन्य प्रभार, वारंटी एवं बैच अस्वीकृतियाँ	892.74	726.28
निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	1,031.37	15.36
भविष्य प्रभार के लिए प्रावधान	-	-
दुर्वह ठेके के लिए प्रावधान	-	466.40
अन्य प्रावधान	-	-
विविध परिचालनीय व्यय		
सामग्री का परीक्षण	4,898.21	3,821.38
प्रूफ फायरिंग व्यय	757.10	206.79
मानव-शक्ति के नियोजन संबंधी प्रभार	1,085.64	1,002.39
सामग्री वहन प्रभार	848.89	766.41
किराये पर ली गई गाड़ियों का प्रभार	674.71	920.63
अन्य	4,513.61	3,051.65
कुल	29,386.64	25,993.40
निदेशकों का यात्रा व्यय शामिल	73.31	74.43
टिप्पणियाँ :		
i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है:		
विवरण		
सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए	10.00	10.00
कर लेखापरीक्षा के लिए	0.70	0.70
अन्य सेवाओं के लिए	2.70	2.65
लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	13.40	13.35
ii) टिप्पणी 29 का संदर्भ लें : चालू प्रावधान		
iii) टिप्पणी 39 (6) का संदर्भ लें : अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय		
iv) टिप्पणी 39 (9) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लोन-देन		
v) टिप्पणी 39 (22) का संदर्भ लें : भारतीय लेखा मानक 116 लागू करना		



टिप्पणियाँ 39 : सामान्य टिप्पणियाँ :

अनुपालन की विवरणिका :

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक) 2015 के नियम 3 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में अधिसूचित अनुसार) एवं अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

39(1) वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं को बराबर करना - मियादी जमा के प्रति ऋण का समायोजन

निम्न सारणी 31 मार्च, 2020 एवं 2019 तक के मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों को बराबर करने की स्थिति को दर्शाती है। निवल लाभ वाला कॉलम, बराबर किए जाने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने पर कंपनी के तुलन-पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

विवरण	तुलन पत्र पर ऑफसेटिंग किए जाने का प्रभाव		
	सकल राशि	तुलन पत्र में बराबर की गई सकल राशि	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल राशि
31 मार्च, 2020 तक			
सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	36,600.00	-	36,600.00
मियादी जमा के प्रति ऋण	-	-	-
31 मार्च, 2019 तक			
सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	44,700.00	(9,265.40)	35,434.60
रु. 10,400.00 लाख के मियादी जमा के प्रति ऋण	(9,265.40)	9,265.40	-

39(2) वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं को बराबर करना - बैंक ओवरड्राफ्ट के प्रति बैंक फ्लेक्सी एवं चालू खाते का समायोजन

निम्न सारणी 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 तक के मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों को बराबर करने की स्थिति को दर्शाती है। निवल लाभ वाला कॉलम बराबर किए जाने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने पर कंपनी के तुलन पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

विवरण	तुलन पत्र पर किए जाने का प्रभाव		
	सकल राशि	तुलन पत्र में बराबर की गई सकल राशि	तुलन पत्र में दर्शाई गई निवल राशि
31 मार्च, 2020 तक			
बैंक ओवरड्राफ्ट	(219.73)	3.10	(216.63)
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	3.10	(3.10)	-
31 मार्च, 2019			
बैंक ओवरड्राफ्ट	(1,170.55)	989.00	(181.55)
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	989.00	(989.00)	-

39(3) प्रति शेयर अर्जन

(i) निरंतर परिचालनों के लिए :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद लाभ	53,490.08	42,258.72
मूल :		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	183,281,250	183,281,250
ईक्रेडिटी शेयरों की भारत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (आई एन आर)	29.18	23.06
विलयित :		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्रेडिटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
बकाया ईक्रेडिटी शेयरों की भारत औसत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (आई एन आर)	29.18	23.06

टिप्पणी: ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है। विगत वर्ष के ईपीएस का समायोजन वर्ष के दौरान जारी बोनस के प्रति किया गया।

(ii) परिचालनों के जारी न रखने के लिए :

परिचालनों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(iii) परिचालनों को जारी रखने एवं जारी न रखने के लिए :

तालिका (i) का संदर्भ लें।

39(4) रोजगार लाभ दायित्व :

(i) रोजगार उपरांत दायित्व : उपदान

कंपनी द्वारा भारत के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान उपलब्ध कराया जाता है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह होंगे। सेवानिवृत्ति/पदच्युत कर्मचारी को देय उपदान की गणना, उसकी प्रति माह के मूल वेतन के 15 दिन के समानुपातिक आधार पर उसके कुल सेवा वर्षों को गुणित कर की जाती है। यह उपदान योजना एक निधिक योजना है और कंपनी द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त निधियों में अंशदान दिया जाता है। कंपनी के पास पूर्णतः निधिधारित देयता का प्रावधान नहीं है और अपेक्षित उपदान भुगतान के अनुमान के आधार पर एक निधारित अवधि के लिए अनुरक्षित किये जाने योग्य निधि लक्ष्य का अनुरक्षण किया जाता है।



उपदान

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	20,513.13	18,553.90
चालू सेवा लागत	637.75	640.80
ब्याज व्यय या लागत	1,529.52	1,414.62
पुनर्मापन		
(लब्धि)/हानि से जनांकिक अनुमान में परिवर्तन	19.40	135.80
(लब्धि)/हानि से वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	1,299.56	268.63
अनुभव (लब्धि)/हानि	420.63	1,241.62
लाभ भुगतान	(1,554.90)	(1,742.24)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	22,865.09	20,513.13

योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	17,981.32	12,819.93
ब्याज आय	1,431.41	1,169.66
नियोक्ता अंशदान	2,531.82	5,733.97
लाभ भुगतान	(1,554.90)	(1,742.24)
पुनर्मापन - आस्तियों पर वापसी (ब्याज आय छोड़कर)	(1,149.64)	
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19,240.01	17,981.32

अवधि के दौरान पहचाने गए कुल व्यय

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
लाभ एवं हानि विवरणिका में	735.86	885.76
अन्य व्यापक आय में	2,889.22	1,646.05
कुल	3,625.08	2,531.81

ऊपर प्रकटित कुल देयता निधिक तथा गैर-निधिक योजना से संबंधित है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	22,865.09	20,513.13
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19,240.01	17,981.32
निधि योजनाओं का घाटा	3,625.08	2,531.81

उल्लेखनीय वास्तविक अनुमान निम्नप्रकार रहे :

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
छूट दर	6.61%	7.75%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	2.77%	2.63%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
परिभाषित लाभ दायित्व	22,865.09	20,513.13
छूट दर (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,717.26	19,476.53
अपवृद्धि: -1%	24,138.19	21,657.14
वेतन वृद्धि दर (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	23,536.40	21,182.08
अपवृद्धि: -1%	22,170.27	19,807.01
संघर्षण दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	22,998.43	20,687.20
अपवृद्धि: -1%	22,722.32	20,325.10

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी प्राक्कलनों को स्थिर रखते हुए प्राक्कलन में परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक तौर पर, यह संभव नहीं होता है और कुछ प्राक्कलनों में परिवर्तन सहसंबंधित हैं। प्रमुख वास्तविक प्राक्कलनों के लिए निर्धारित लाभ बाध्यताओं की संवेदनशीलता की गणना करते समय (निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग समय की समाप्ति पर दर्शायी गयी इकाई ऋण पद्धति के साथ की जाती है) भी वही पद्धति अपनायी जाती है जो तुलन-पत्र में ली गई निर्धारित लाभ देयताओं की गणना के समय अपनायी जाती हो। संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रकार से पूर्व अवधि की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता।



योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
केंद्र सरकार सुरक्षा	4,727.89	4,418.59
राज्य सरकार सुरक्षा	8,170.96	7,636.42
एनसीडी/बॉण्ड्स	4,282.51	4,002.34
ईक्विटी	1,238.93	1,157.88
मियादी जमा	65.09	60.83
सीबीएलओ	551.07	515.02
ऋण	2.72	2.54
अन्य अनुमोदित सुरक्षा	200.82	187.68
	19,240.01	17,981.32

परिभाषित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलिसी खरीदी है। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निधि का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछले मूल्य निर्धारण अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के लिए संभावित नकद प्राप्ति निम्न प्रकार है

(लाख ₹ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	2-3 वर्षों के साथ	4-5 वर्षों के साथ	कुल
31 मार्च, 2020				
परिभाषित लाभ दायित्व-उपदान	2,617.24	5,577.82	6,182.36	14,377.42

जोखिम का सामना

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने कई जोखिमों का सामना किया है। इनमें से प्रमुख जोखिम का विवरण इस प्रकार है:

ब्याज दर जोखिम : गणित निर्धारित लाभ बाध्यताओं में सरकारी बांड के आधार पर रियायती दर का उपयोग किया जाता है। यदि बांड-लब्धियों में क्षति होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

वेतन में वृद्धि जोखिम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोखिम : यह जोखिम घाटे (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से है जिनमें मृत्यु दर, आहरण अपंगता तथा सेवानिवृत्तियाँ शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदण्ड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व देना होता है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम सेवा-समय वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

(ii) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि न्यास को भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज दर से अधिक ब्याज घोषित करना होता है। यदि न्यास द्वारा ब्याज की देयता में कोई कमी रहती है तो कंपनी को वह कमी पूरी करनी होगी। यह एक निर्धारित लाभ योजना है और कंपनी ने यह प्रोद्घुता मूल्य प्राप्त किया है और वर्ष के लिए अतिरिक्त देयताओं की आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक धारणाएँ	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
	(Funded)	(Funded)
रियायती दर	6.61%	7.50%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
भविष्य निधि पर ब्याज दर गारंटी	*	8.65%
बीडीएल भविष्य निधि न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर	*	8.67%

* घोषित किया जाना शेष।

(iii) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति :

अवकाश संबंधी बाध्यताओं में कंपनी के अर्जित अवकाश संबंधी देयताएँ शामिल हैं।

कंपनी, क्षतिपूर्क अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना का अनुरक्षण करती है। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित आस्तियों से निवल बाध्यताओं को पहचानती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	13896.43	12348.28
घटाव : योजना आस्तियाँ	12477.86	9550.37
निवल दायित्व	1418.57	2797.91
उल्लेखनीय अनुमान:		
छूट दर	6.61% P.A.	7.75% P.A.
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 साल	60 साल



(iv) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ए) दि.01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान पी एस एम बी - II	316.30	284.74
बी) दि. 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान पी एस एम बी - III	426.29	410.27
सी) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा (आर ई एम आई) योजना के लिए किये गये अंशदान	-	-

39(5) विनिर्माण ठेके :

निर्माण ठेकों की राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है।

ठेका राजस्व की पहचान पद्धति:

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है।

ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित ठेका लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आयी लागत के आधार पर किया जाता है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्ष के दौरान ठेके राजस्व की पहचान	-	-
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	41,436.11	41,158.14
पहचाना गया लाभ	4,176.39	4,454.38
बकाया प्रतिधारण धन की राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	3,335.21	3,335.21

39(6) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय :

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पादन विकास शामिल है।

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व व्यय में सम्मिलित रहने के कारण	7004.65	4991.36
पूँजीगत व्यय में सम्मिलित रहने के कारण (पूँजीगत आस्तियाँ)	382.01	353.58

39(7) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धता :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ		
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित बकाया पत्र		
(i) साख पत्र	844.45	360.08
(ii) प्रत्याभूतियाँ एवं प्रति-प्रत्याभूतियाँ	2,343.16	5,564.24
कुल		5,924.32
दावें / माँग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम		-
(ii) बिक्री कर	21,439.30	20,829.42
(iii) सेवा कर	4,239.31	1,177.75
(iv) आय कर	1,140.26	-
(v) अन्य	193.35	178.06
कुल	27,012.22	22,185.23
ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :		
(ए) निवेश पूँजी पर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि और उपलब्ध नहीं कराई गई हो		
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	5,904.04	1,375.42
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	71.98	-
(बी) वर्ष के अंत में सुपुर्दी के लिए शेष सामग्री की परिसमापन क्षतियों के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का हिसाब तब किया जाएगा जब संबंधित राजस्व लिया जाता है।	6,092.38	22,694.98
कुल	12,068.40	24,070.40

39(8) अल्पावधि में बंद की गयी परियोजनाएँ :

कंपनी ने ग्राहक से समय पूर्व समाप्त पाँच संविदाओं / माँग पत्र तथा एक एल ओ आई के लिए प्राप्त रु. 36243.36 लाख (31 मार्च, 2019 तक रु. 36450.36 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ताओं के खाते में से विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 1) के लिए 114.05 लाख (31 मार्च, 2019 तक 114.05 लाख), चालू आस्तियों (टिप्पणी 11-17) के लिए 13314.42 लाख (31 मार्च, 2019 तक 12694 लाख), जिसमें पिछले वर्ष के दौरान विक्रेताओं को दिया गया 620.02 लाख (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 1422.76 लाख) तथा सामग्री खाते में रु. 7855.89 लाख (31 मार्च, 2019 को 7880.32 लाख) जो कुल मिलाकर रु. 21284.36 लाख (31 मार्च, 2019 को रु. 20688.77 लाख) है। इन आस्तियों की प्राप्ति / किया गया खर्च कंपनी ने पुरस्ता आदेशों / एल ओ आई के आधार पर किया तथा ग्राहक द्वारा दी गई ऐसी निधि में से कंपनी को दीर्घावधि शेष अग्रिम और रुके पड़े



विशेष औजार तथा सामग्री से किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है। अतः किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी। आगे, इन समय पूर्व समाप्त माँग-पत्र / संविदाओं / एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर रु. 5866.37 लाख (31 मार्च, 2019 को 6072.67 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया। चूंकि सरकार / ग्राहक से इस राशि का निश्चित होना शेष है, कंपनी की लेखा-बही में किसी प्रकार का लाभ लेखांकित नहीं किया गया है।

39 (9) संबंधित पार्टी से लेन-देन

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के नाम

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) (01.03.2019 से)	श्री के दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) (31 अगस्त 2018 तक)
श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी (28.02.2019 तक)	श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) (01 सितंबर, 2018 से)
श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त)	श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) (01 जून, 2019 से)
श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (उत्पादन)	श्री के एस संपत, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति, स्वतंत्र निदेशक	श्री अजय नाथ, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सुषमा वी दबक, स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर, 2019 तक)	प्रो. अजय पाण्डेय, स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर, 2019 से)
श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव	

(लाख ₹ में)

आधारभूत प्रबंधन कार्मिक की प्रतिपूर्ति	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	201.53	264.51
रोजगार उपरांत लाभ	30.62	40.34
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आसीन शुल्क	9.80	11.90
कुल मुआवजा	241.95	316.75

39 (10) पूँजीगत प्रबंधन

ए) जोखिम प्रबंधन :

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयरधारकों से जुड़ी हैं तथा की ओवरड्राफ्ट राशि रु. 216.63 लाख (रु. 181.55 लाख 31.03.2019 तक) को छोड़कर कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है।

बी) लाभांश

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु.6.25 प्रति प्रदत्त शेयर है। (31 मार्च, 2019 को 5.25)	11,455.08	9,622.27
(ii) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अपेक्षणीय लाभांश : निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रु. 2.55 के लाभांश की सिफारिश की है। (31 मार्च, 2019 रु.1.67) प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।	4,673.67	3,060.80

रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :

निदेशकगण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

39 (11) शेष की सुनिश्चितता :

देनदार, लेनदार प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथा प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान समायोजन किये जाते हैं।

39 (12) बिक्रियों की अवधारणा :

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनके जोखिम पर रखा गया माल) रु. 1,61,566.40 लाख है। (2018-19 रु.1,52,530.70 लाख)।

39 (13) पंजीकृत प्रभार :

कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक के साथ बही ऋण पर रु. 41,010.00 लाख के फ्लोटिंग प्रभार का पंजीकरण किया है। (31 मार्च, 2019 तक 41010.00 लाख)

39 (14) परिचालन चक्र :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार, यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

39 (15) आकस्मिक आस्तियाँ :

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
आकस्मिक आस्तियाँ	-	-



विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति			31 मार्च, 2019 तक की स्थिति		
			लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
ए. वित्तीय आस्तियाँ								
ए) परिशोधित लागत पर माप								
i) नकद एवं नकद तुल्य	3	13	29,749.47	29,749.47	-	1,697.07	1,697.07	
ii) अन्य बैंकों में शेष	3	14	36,600.00	36,600.00	-	35,434.60	35,434.60	
iii) ऋण	3	8, 15	537.31	537.31	-	543.85	543.85	
iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	9, 16	242,019.68	242,019.68	-	131,871.36	131,871.36	
v) प्राप्य ट्रेड	3	12	33,836.80	33,836.80	-	58,720.51	58,720.51	
कुल योग			342,743.26	342,743.26	-	228,267.39	228,267.39	-
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित								
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखित के जरिए किया गया निवेश	3	7	53.60	-	390.43	53.60		371.74
ii) आस्थगित प्राप्य	3	9, 16	3233.28	-	4,762.83	3,423.48		5,043.78
कुल योग			3,286.88	-	5,153.26	3,477.08	-	5,415.52
कुल वित्तीय आस्तियाँ			346,030.14	342,743.26	5,153.26	231,744.47	228,267.39	5,415.52
बी. वित्तीय देयताएँ								
ए) परिशोधित लागत पर मापन								
i) देय ट्रेड	3	25	34,548.53	34,548.53	-	51,945.72	51,945.72	
ii) पट्टा देय	3	20, 26	877.29	877.29				
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	21, 27	17,981.03	17,981.03	-	13,819.81	13,819.81	
उप-कुल			53,406.85	53,406.85	-	65,765.53	65,765.53	-
बी) लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित								
i) एंबेडेड डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	21,27	-	-	3,113.97	-		3,276.10
उप-कुल			-	-	3,113.97	-	-	3,276.10
कुल वित्तीय देयताएँ			53,406.85	53,406.85	3,113.97	65,765.53	65,765.53	3,276.10

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नांकित तालिका आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रस्तुत करती है:

(लाख ₹ में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वित्तीय आस्तियाँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिए किया गया निवेश	3	390.43	371.74
ii) आस्थगित प्राप्य	3	4,762.83	5,043.78
वित्तीय देयताएँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) एंबेडेड डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	3,113.97	3,276.10

उचित मूल्य का पदानुक्रम :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है:

स्तर 1: समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात् दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शायी जाती हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाले और वस्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम से कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक उपकरण की पहचान की जाती है जो स्तर-2 में शामिल है।

स्तर 3 : आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं हो तो उसे स्तर 3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाजार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता।

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक :

वित्तीय लिखत के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त निर्धारित मूल्य निर्धारण तकनीक में शामिल है :

- कोट नहीं किये गये ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण तकनीक में शामिल है।
- 45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किये जाते हैं



निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर-3 की मदों में परिवर्तन को दर्शाती है।

(लाख ₹ में)

विवरण	ईक्यूटी शेयरों की प्रयुक्ति	आस्थगित प्राप्य	एंबेडेड डेरिवेटिव देयता
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	371.74	5,043.78	3,276.10
लाभ-हानि में पहचानी गई लब्धि / हानि	18.69	(280.95)	(162.13)
31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	390.43	4,762.83	3,113.97

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर 3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अपेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है:

विवरण	उचित मूल्य की स्थिति		उल्लेखनीय अपेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019		
कोट न किये गए ईक्यूटी शेयर	390.43	371.74	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य 1% की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु.3.90 लाख की वृद्धि होगी। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर और प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु. 3.90 लाख की अपवृद्धि होगी।
आस्थगित प्राप्य	4,762.83	5,043.78	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर में रु.1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 64.92 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य से 64.92 लाख की अपवृद्धि होगी।
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता	3,113.97	3,276.10	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर में एक रु.1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 66.77 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु. 1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में 66.77 लाख की अपवृद्धि होगी।

39 (17) वित्तीय जोखिम प्रबंधन :

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोखिम, परिसमापन जोखिम और ऋण जोखिम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण :

(ए) जमा जोखिम

ऋण जोखिम, नकद एवं नकद-तुल्य, प्रतिशोधित लागत पर लिखत का तथा बैंक में जमा व बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों को मिलने वाले ऋण पर किया जाता है।

(i) जमा जोखिम प्रबंधन

ए) नकद एवं नकद-तुल्य पर ऋण जोखिम सीमित होता है क्योंकि सामान्यतः कंपनी अपना निवेश बैंकों में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी) दावे/पुनःप्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन निम्नप्रकार से होता है :

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य प्ररूप लागू होता है :

(लाख ₹ में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी।	दावे/वापसी प्राप्य	5608.97	0.38%	(21.47)	5,587.50
- 12 महीने पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	537.31	-	-	537.31

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीने या इसके बराबर	6 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	259928.55	7441.08	267369.63
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	259928.55	7441.08	267369.63



(ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष :

(ए) वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए अनुमानित जमा हानि जहाँ सामान्य प्रारूप अपनाया गया।

(लाख ₹ में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे/वापसी प्राप्य	5238.62	0.41%	(21.47)	5,217.15
12 महीने पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	543.85	-	-	543.85

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीने या इसके बराबर	6 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	172737.97	11714.69	184452.66
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	172737.97	11714.69	184452.66

(iii) हानि भत्ते का समाधान :

(लाख ₹ में)

विवरण	ट्रेड प्राप्य एवं बिल नहीं किया गया राजस्व	दावे / प्राप्य वापसियाँ
31 मार्च, 2019 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)
जोड़/कमी	-	-
31 मार्च, 2019 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)

(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वित्तीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोखिम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थिति और साथ ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

बी) क्षति संबंधी जोखिम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है बकायों की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकद निधियों का होना, कंपनी खजाने द्वारा बैंकों में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नकद-प्राप्ति के आधार पर नकद-तुल्य पर नज़र रखी जाती है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है।

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1283.37	1318.45

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है।

31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएँ	106.10	118.48	441.21	211.50	877.29
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.11	466.73	940.72	1784.15
निक्षेप	1170.27	-	-	-	1170.27
व्यय के लिए ऋणदाता	6398.85	-	-	-	6398.85
कर्मचारी लाभ देय	6966.47	-	-	-	6966.47
अन्य	320.21	-	-	-	320.21
पूँजी कार्य	1341.09	-	-	-	1341.09
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	2107.82	3114.11



(लाख ₹ में)

31 मार्च, 2019 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.11	466.73	989.66	1833.10
निक्षेप	1245.53	-	-	-	1245.53
व्यय के लिए ऋणदाता	3394.60	-	-	-	3394.60
कर्मचारी लाभ देय	5135.84	-	-	-	5135.84
अन्य	675.72	-	-	-	675.72
पूँजी कार्य	1535.03	-	-	-	1535.03
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	2269.86	3276.15

सी) विपणन जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र से परिचालित करती है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखतः यू एस डी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ तथा एस ई के के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोखिम होती है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी जोखिम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (आई एन आर) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोखिम का माप (गणना), उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नकद-प्राप्ति की भविष्य दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। बिक्री ठेके के अनुसार, कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय पर परिवर्तन के लिए अर्ह है। अतः कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम की दृष्टि से सुरक्षित है।

विवरण	31 मार्च, 2020				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	4.43	0.27	-	0.04	-
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- प्राप्य	42.74	-	-	-	-
निवल प्रभाव	(38.31)	0.27	-	0.04	-

विवरण	31 मार्च, 2019				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	165.33	3.77	0.02	-	9.37
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- प्राप्य	-	-	-	-	-
निवल प्रभाव	165.33	3.77	0.02	-	9.37

(ii) संवेदनशीलता

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रेषण विनिमय ठेकाओं से होती है।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
संवेदनशीलता		
आई एन आर/यूएसडी 1% की बढ़ोत्तरी	(27.88)	115.80
आई एन आर/यूएसडी 1% की कमी	27.88	(115.80)
आई एन आर/यूरो 1% की बढ़ोत्तरी	0.23	2.96
आई एन आर/यूरो 1% की कमी	(0.23)	(2.96)
आई एन आर/जीबीपी 1% की बढ़ोत्तरी	-	0.01
आई एन आर/ जीबीपी 1% की कमी	-	(0.01)
आई एन आर/सीएचएफ 1% की बढ़ोत्तरी	0.03	-
आई एन आर/सीएचएफ 1% की कमी	(0.03)	-
आई एन आर/एसईके 1% की बढ़ोत्तरी	-	0.71
आई एन आर/एसईके 1% की कमी	-	(0.71)

39 (18) खण्ड सूचना:

चूंकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में है, अतः निगम मामले मंत्रालय के दि. 23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत भारतीय लेखामानक (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।



39 (19) विदेशी मुद्रा का प्रभाव :

विदेशी मुद्रा का प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के क्रम में 31 मार्च, 2019 तक (31 मार्च, 2018) के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाये गये) प्रमुख मुद्रावार प्रभाव निम्नवत है : (लाख ₹ में)

मुद्रा	देय		प्राप्य		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये की समान राशि
यू एस डी	4.43	336.78	42.74	3,124.48	0.25	18.70
	(165.33)	(11,579.62)	-	-	(0.79)	(55.10)
यूरो	0.27	22.95	-	-	9.52	801.39
	(3.77)	(296.39)	-	-	(3.57)	(280.63)
जीबीपी	-	-	-	-	-	-
	(0.02)	(1.46)	-	-	-	-
सी एच एफ	0.04	3.40	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
एस ई के	-	0.00	-	-	-	-
	(9.37)	(70.55)	-	-	-	-
कुल (₹)		363.13		3124.48		820.09
		(11,948.02)		-		(335.73)

39 (20) (ए) बीडीएल ने एम एन आर ई द्वारा दि. 7 जनवरी, 2015 को जारी 30/69/2013-14/nsm (Pt.) संख्यक दिशानिर्देशों के अनुसार 5 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित किया है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन (जे एन एन एस एम) के फेज-II/III के अंतर्गत वयाबिलिटी गैप फण्डिंग (वी जी एफ) से रक्षा मंत्रालय और अर्द्धसैनिक बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) की रक्षा संस्थापनाओं द्वारा 300 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड तथा ऑफ-ग्रिड सोलार पॉवर परियोजनाओं के लिए संशोधन व स्पष्टीकरण शामिल हैं। जे एन एन एस एम के अंतर्गत वी जी एफ, परियोजना प्राप्त कर इसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर आधारित होता है। यह वी जी एफ निधि संविदा के अनुसार परियोजना लागत पर निर्भर होती है। स्कीम में दी गयी शर्तों के अनुपालन में इसे आस्थगित राजस्व में दिखाया जा रहा है। अब तक बी डी एल लेखा-बही (भानूर) में वी जी एफ का मूल्य रु. 995.89 लाख है। सितंबर, 2017 से प्रति वर्ष 4% की दर से आस्थगित राजस्व - सोलार संयंत्र के अंतर्गत वी जी एफ मूल्य दर्शाया जा रहा है और चालू वर्ष के लिए समानुपातिक दर से रु. 39.83 लाख की राशि दर्शायी गयी।

(बी) इब्राहिमपट्टणम इकाई, हैदराबाद जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) योजना के तहत में 5 मेगावाट के सोलर प्लांट का काम चल रहा है। जे एन एन एस एम योजना के अनुसार, कंपनी सोलर प्लांट लगाने वायबिलिटी गैप फंड (VGF) के लिए अर्ह है। वी जी एफ फंड अनुबंध के अनुसार परियोजना लागत पर आधारित होता है। इस राशि को योजना की निर्धारित शर्तों के अनुपालन में आस्थगित राजस्व में दर्शाया जा रहा है। अब तक बी डी एल (इब्राहिमपट्टणम) की लेखा-बही में रु. 550.00 लाख की वी जी एफ की राशि दर्शायी गयी है। पूँजीकरण के बाद आस्थगित राजस्व को लिया जाएगा।

39 (21) भारतीय लेखामानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण : ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

A निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि

- अधिकतर अनुबंधों के संबंध में निष्पादन बाध्यता एक निश्चित समय पर संतुष्ट की जाती है जो प्राथमिकतः ग्राहक द्वारा आस्ति पर नियंत्रण पाने के समय निर्धारित की जाती है। जटिल प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन और कमिश्निंग से संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में निष्पादन बाध्यता 'कालांतर में' पहचानी जाती है।
- बिल अण्ड होल्ड व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन बाध्यता, ग्राहक द्वारा माल को स्वीकार कर अनुबंध के लिए माल के बेशर्त पर विनियोजन पर संतुष्ट की जाती है।
- सामान्यतः कंपनी के अनुबंधों में वित्तीय घटक और कोई प्राप्त अग्रिम और / या ग्राहक द्वारा दी गई राशि शामिल नहीं होती ताकि अनुबंध की दोनों पार्टियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
- परिवर्तनीय प्रतिफल में प्राथमिकतः विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर उपबंध और परिसमापन क्षतियों के तहत प्राप्य / प्रतिपूर्त की जाने वाली राशि शामिल होती है। इस संबंध में पहचान की गई राजस्व राशि को अनुबंध में विनिर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस राशि की पहचान अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व में की जाती है।
- कंपनी के टर्नओवर में प्रमुखतः मिसाइल एवं संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।
- प्रदत्त वारंटी में प्रमुखतः निष्पादन संबंधी वारंटी आती है।
- सामान्यतः कंपनी द्वारा ऐसे अनुबंधों के मामले में राजस्व की पहचान में 'इनपुट पद्धति' का उपयोग किया जाता है जिनकी निष्पादन बाध्यताएँ कालक्रम में संतुष्ट होती हैं। मान्यता प्राप्त करने राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए पूर्णता विधि का प्रतिशत अपनाया जाता है जहाँ राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए अनुबंधित मूल्य पर कुल अनुमानित लागत के प्रतिशत को लागू किया जाता है। कंपनी के अनुबंध (ए एम सी के अतिरिक्त) को समय की अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आम तौर पर विभिन्न प्रकृति की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे भवन-निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापन इसके चलते भौतिक रूप से कार्य की मात्रा (अर्थात् आउटपुट) को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि इनपुट पद्धति में इन विविध गतिविधियों के संबंध में होने वाली लागत का हिसाब किया जा सकता है और पूर्णतः विश्वसनीय के प्रतिशत तक पहुँचने के लिए होने वाली कुल अनुमानित लागत के साथ तुलना की जा सकती है। ए एस सी अनुबंधों के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति अपनायी जाती है जहाँ निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि के लिए 'कालांतर' मानदण्ड होता है।



- viii. निश्चित समय पर निष्पादन बाध्यता संतुष्ट होने के संदर्भ में, ग्राहक ने 'आस्ति पर नियंत्रण' प्राप्त किया कि नहीं - इसका निर्धारण करने निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है :
- अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
 - ग्राहक के पास आस्ति संबंधी वैधिक टाइटल हो
 - कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण कर दिया है
 - ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार किया है
 - कंपनी के पास आस्ति के लिए भुगतान करने का अधिकार है।
- ix. लेनदेन दर का निर्धारण ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर किया जाता है। बहु-बाध्यताओं के संबंध में लेनदेन दर का आबंटन संबंधित एकमेव बिक्री मूल्य पर निर्भर होता है जो हाल ही में बेचे गये इसी प्रकृति के सामान से संबंधित अनुबंध के आधार पर है।
- बी ग्राहकों के साथ अनुबंध के तहत मान्य राजस्व का ब्रेक-अप (लाख ₹ में)

विवरण	भारत सरकार	चैनल भागीदार (निर्यातों के लिए)	अन्य	कुल
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	259,759.83	16,132.59	3,481.04	279,373.46
सेवाओं की बिक्री	18,215.71	938.84	0.97	19,155.52
कुल	277,975.54	17,071.43	3,482.01	298,528.98
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	255,225.47	6,646.97	5,840.61	267,713.05
सेवाओं की बिक्री	15,325.59		101.88	15,427.47
कुल	270,551.06	6,646.97	5,942.49	283,140.52

सी अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देयताओं की आवाजाही

विवरण	अनुबंध आस्तियाँ		अनुबंध देयताएँ	
	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति
अथ शेष (ए)	131,860.15	149,974.11	196,046.39	211,470.15
जोड़				
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री के तहत	134,339.48	61,321.20		
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम			168,270.44	235,997.80
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मानी गयी लेनदेन दर में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)	24,368.68	32,949.51	74.74	772.79
कुल - (बी)	158,708.16	94,270.71	168,345.18	236,770.59
कटौतियाँ				
वर्ष के दौरान अथ शेष में से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			114008.92	52,369.90
वर्ष के दौरान चालू वर्ष के शेष में से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			57412.16	196,910.40
अनुबंध आस्तियों का ट्रेड प्राप्य में बदलाव	54894.83	86,073.38		
अनुबंध आस्तियों की हानि यदि कोई तो*				
अनुबंध देयताओं का पुरांकन यदि कोई हो तो				
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मान्य लेनदेन दर में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)	2140.65	26,311.29	3,250.76	2,914.05
कुल - (सी)	57,035.48	112,384.67	174,671.84	252,194.35
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	233,532.83	131,860.15	189,719.73	196,046.39

* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है और क्रमानुगत रूप से निष्पादन बाध्यता की समाप्ति पर इसका समायोजन किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के उपरांत प्राप्य शेष राशि को ट्रेड प्राप्य में वर्गीकृत किया जाता है।

अनुबंध में पूर्ण कर दी गयी निष्पादन बाध्यता के संबंध में इसी अनुबंध की अन्य निष्पादित बाध्यता के भुगतान के साथ जोड़े रखने के चलते ग्राहक द्वारा रोक रखी गयी राशि को अनुबंध आस्ति में वर्गीकृत किया जाता है।

डी शेष निष्पादन बाध्यताओं का मूल्य

ग्राहकों के साथ अनुबंध से मान्यता प्राप्त न किया गया राजस्व जो अंशतः संतुष्ट या असंतुष्ट

(लाख ₹ में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष में	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निष्पादित न किये गये आदेशों का मूल्य 31.03.2020*	741,292.00	298,800.00	217,992.00	158,400.00	66,100.00

* यह राशि रु. 6092.38 लाख की परिसमापन क्षति पर आधारित है।



ई अनुबंध मूल्य सहित लाभ-हानि लेखा में मान्य राजस्व का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ-हानि लेखा के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	279,373.46	267,713.05
सेवाओं की बिक्री	19,155.52	15,427.47
कुल (ए)	298,528.98	283,140.52
अनुबंध मूल्य में जोड़ / घटाव का समायोजन		
एफ ई परिवर्तन का दावा	(3,607.35)	(3,389.67)
प्राप्त प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस	-	-
आफर किया गया भुनाना, रिबेट	-	-
आफर की गई दर में कटौतियाँ	-	-
ग्राहकों द्वारा उगाही परिसमापन क्षतियाँ	17,173.13	14,897.88
अन्य यदि कोई हो तो	9,586.27	22,330.95
कुल समायोजन (बी)	23,152.05	33,839.16
अनुबंध मूल्य (ए+बी)	321,681.03	316,979.68

एफ वर्ष 2019-20 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	48,954.60	3,637.91	52,592.51
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	199,793.92	18,407.75	218,201.67
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	52,117.82	2,777.01	54,894.83
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	924.80	93.16	1,017.96
कुल - (बी)	252,836.54	21,277.92	274,114.47
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	109,444.99	7,157.07	116,602.06
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम देनदार की हानि (प्रावधान)*	159,992.00	11,429.08	171,421.08
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	4,624.02	223.02	4,847.04
कुल - (सी)	274,061.01	18,809.17	292,870.17
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)	27,730.13	6,106.67	33,836.80

वर्ष 2018-19 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	64,827.83	6,011.52	70,839.35
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	270,205.71	4,855.71	275,061.42
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	86,073.38	-	86,073.38
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	467.51	467.51
अन्य (यदि कोई हो तो)	21,617.38	-	21,617.38
कुल - (बी)	377,896.47	5,323.22	383,219.69
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	129,613.00	6,978.98	136,591.98
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम देनदार की हानि (प्रावधान)*	248,600.87	679.43	249,280.30
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	-	-	-
कुल - (सी)	15,555.83	38.42	15,594.25
कुल - (सी)	393,769.70	7,696.83	401,466.53
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)	48,954.60	3,637.91	52,592.51

जी भुगतान संबंधी ग्राहकों की शर्तें जिसमें अग्रिम और चरणवार भुगतान शामिल हैं और जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के लिए अलग-अलग होते हैं।

39(22) भारतीय लेखा मानक 116 का कार्यान्वयन

पट्टे :

- दि. 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने भारतीय लेखा-मानक 116 (पट्टे) को अपनाया है और इसे संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तारीख से सभी मौजूदा अनुबंधों पर लागू किया है।
- पट्टा देयता की गणना आरंभिक आवेदन की तिथि तक शेष पट्टा भुगतान के आधार पर की जाती है (01 अप्रैल, 2019)। परिसंपत्ति की सेवा समाप्ति दायित्व के प्रावधान के लिए विघटन लागत के अनुमान से होता है। आरओयू आस्ति की वहन राशि प्रारंभिक आवेदन और परिसंपत्ति सेवा-समाप्ति दायित्व, यदि कोई हो, तो उस तारीख पर देय देयता के बराबर राशि होती है।



भारतीय लेखा मानक 116 अपनाने का प्रभाव

31 मार्च, 2020 को समाप्त तुलन-पत्र (उद्धरण)	टिप्पण सं.	भारतीय लेखा मानक 116 अपनाये बिना 31 मार्च, 2020	वृद्धि / अपवृद्धि	रिपोर्ट किये अनुसार 31 मार्च, 2020
आस्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	78,597.08	(3,291.92)	75,305.16
आस्तियों के उपयोग का अधिकार	4	-	4,151.45	4,151.45
देय कर आस्तियाँ	30A	5,413.17	11.80	5,424.97
कुल आस्तियाँ		84,010.25	871.33	84,881.58
देयताएँ				
पट्टा देयताएँ	20, 26	-	877.29	877.29
प्रावधान	22	-	29.13	29.13
कुल देयताएँ		-	906.42	906.42
निवल आस्तियाँ		84,010.25	(35.09)	83,975.16
ईक्रीटी				
अन्य ईक्रीटी	19	242,389.94	(35.09)	242,354.85
कुल ईक्रीटी		242,389.94	(35.09)	242,354.85

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि (उद्धरण) का विवरण	टिप्पण सं.	भारतीय लेखा मानक 116 अपनाये बिना 31 मार्च, 2020	वृद्धि / अपवृद्धि	रिपोर्ट किये अनुसार 31 मार्च, 2020
व्यय				
वित्तीय लागत	36	388.98	76.59	465.57
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	37	9,504.47	139.37	9,643.84
अन्य व्यय	38	29,555.71	(169.07)	29,386.64
कुल व्यय		39,449.16	46.89	39,496.05
कर पूर्व लाभ		74,292.29	(46.89)	74,245.40
आस्थगित कर	30C	1,764.19	(11.80)	1,752.39
वर्ष के लिए लाभ - (हानि)		53,525.17	(35.09)	53,490.08

39(23) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। ऋणात्मक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं। प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते - जी नटेशन अण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली

भागीदार

(सदस्यता सं. 024842)

एस पिरमनायगम

निदेशक (वित्त)

डी आई एन 07117827

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 29.06.2020

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 29.06.2020

एन नागराजा

कंपनी सचिव

(सदस्यता सं. ए19015)



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

निगम पहचान संख्या (सी आई एन): L2429TG1970GOI00353

निगम कार्यालय: प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गची बाउली, हैदराबाद-500032.

पंजीकृत कार्यालय: कंचनबाग, हैदराबाद-50058.

दूरभाष: 040-23456145, फैक्स: 040-23456110

ई-मेल: investors@bdl-india.com; वेबसाइट: www.bdl-india.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्य गण की 50वीं वार्षिक आम सभा **सोमवार, दि. 28 सितंबर, 2020 को 15.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के जरिये** निम्नलिखित संव्यवहार संचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य संव्यवहार

- दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ तथा इन पर निदेशक मंडल सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर अंगीकृत करना।
- अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि कर दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
- रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री दिवाकर नायीनी (डी आई एन : 08207722) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते इनकी पुनःनियुक्ति एक निदेशक के रूप में करना।
- रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री अश्विनी कुमार (डी आई एन : 7483427) के स्थान पर स्वत-अर्हता के नाते इनकी पुनःनियुक्ति एक निदेशक के रूप में करना।

विशेष संव्यवहार

- श्री एन श्रीनिवासुलू (डी आई एन : 08744682) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

“संकल्प लिया जाता है कि दि. 20.3.2020 की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/03/2019-डी (बीडीएल) के क्रम में और कंपनी नियमावली (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ), 2014 तथा अन्य लागू नियम यदि हो (कुछ समय के लिए अन्य कोई सांविधिक संशोधन या अधिनियम सहित) तो उनके साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 152, 160, 196 तथा यदि कोई और लागू प्रावधान हो तो, और निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और सदस्यों द्वारा दी गयी स्वीकृति और साथ ही, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर श्री श्रीनिवासुलू नूका को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति किया जाता है और ये रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य होंगे।

- लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

“संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) और इसके तहत बने नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक मेसर्स नरसिंह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को रु. 1,50,000/- (आउट ऑफ पॉकेट एक्सापेंसेस छोड़कर) लागू कर सहित पारिश्रमिक देने कंपनी की सहमति ली जाती है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव

हैदराबाद

दि. 31 अगस्त, 2020

टिप्पणियाँ:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार सूचना में तय विशेष संव्यवहार संबंधी विवरण संलग्न है।
- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निगम मामले मंत्रालय (एम सी ए) ने दि. 8 अप्रैल, 2020 की सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 और दि. 13 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र सं. 17/020 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दि. 12 मई, 2020 की परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P / 2020/79 के साथ पठनीय दि. 5 मई, 2020 की परिपत्र सं. 20/2020 के तहत कंपनियों को अनुमति दी गई है कि सदस्यों को एक जगह एकत्रित न होते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के जरिये वार्षिक आमसभा का आयोजन किया जाए। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक आम सभा वीडियो कान्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के जरिये आयोजित की जा रही है।
- चूँकि यह वार्षिक आम सभा वी सी / ओ ए वी एम के जरिये आयोजित की जाएगी, अतः सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। साथ ही, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मैप भी इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं होंगे।



वार्षिक रिपोर्ट भेजने और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया

4. निगम मामले मंत्रालय तथा 'सेबी' के उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल आई डी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की नोटिस और वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध हैं।
5. जिन सदस्यों द्वारा अभी तक अपने ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं किये गये हों या जो सदस्य अपने ई-मेल आई डी में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे संबंधित डी पी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखनेवालों के लिए) या आर अण्ड टी ए / कंपनी (भौतिक रूप से शेयर रखने वालों के लिए) से संपर्क करें ताकि कंपनी द्वारा प्रेषित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, एन ई सी एस सूचनाएँ इत्यादि पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हें प्राप्त हो सकें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि शेयर संबंधी सभी पत्राचार हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें :
अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
एस ई बी आई पंजीकरण सं. INR000002532
पता : 205-208, अनारकली कांप्लेक्स
झंडेवालान एक्सीटेशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : +91 11 42541234, Facsimile : +91 11 41543474
ई-मेल : rta@alankit.com ; वेबसाइट: www.alankit.com
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य अपने सभी शेयर के लिए अकेले या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। व्यक्तिगत नाम पर शेयर रखने वाले सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि फार्म नं. एस एच-13 भरकर अपनी इच्छा से इस नामांकन सुविधा का उपयोग करें। अनुरोध पर आर टी ए से फार्म प्राप्त किया जा सकता है। डीमैटोरियलाइज्ड फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य नामांकन पंजीकरण के लिए संबंधित 'डी पी' से संपर्क करें।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मुद्दे के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंपनी को investors@bdl-india.in पर ई-मेल भेजें।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग / ओ ए वी एम के माध्यम से 50वीं ए जी एम में भाग लेने की प्रक्रिया :
9. एन एस डी एल ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 50वीं एजीएम में भाग लेने तथा 50वीं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
10. सदस्य ध्यान दें कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग / ओ ए वी एम में First come-first-served आधार पर कम से कम 1,000 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारण करने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। इनके लिए First come-first-served आधार लागू नहीं होगा।
11. सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या सदस्य अपने ई-वोटिंग लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करते हुए और कंपनी के एजीएम के लिए दी गई 'ई वी ई एन' लिंक पर क्लिक कर <https://www.evoting.nsdl.com> पर एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई एजीएम की लाइव वेबकैस्ट देख सकते हैं। सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या भूल गए हैं, सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
12. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और First come-first-served आधार पर आने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
13. सदस्यों को सुझाया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हों। साथ ही, सदस्यों को कैमरा का इस्तेमाल करना होगा और बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिये अच्छी स्पीडवाले इंटरनेट का इस्तेमाल करें।
14. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिये मोबाइल या टैबलेट्स या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा आ सकती है। अतः सिफारिश की जाती है कि ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए एक सुस्थिर WIFI या LAN CONNECTION का उपयोग करें।
15. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या इसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे NSDL से evoting@nsdl.co.in या 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर, श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एन एस डी एल से amitv@nsdl.co.in / 022-24994360 पर या श्री सागर घोसलकर, सहायक प्रबंधक - एन एस डी एल से sagar.ghosalkar@nsdl.co.in / 022-24994553 पर संपर्क कर सकते हैं।
16. वीडियो कान्फ्रेंसिंग / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की पुनःप्राप्ति के उद्देश्य से गिना जाएगा।
आगामी 50वीं एजीएम में वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में प्रश्न पूछने / स्पष्टीकरण माँगने की प्रक्रिया :
17. सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न / अपनी राय investors@bdl-india.in पर समय रहते हुए भेजें। गुरुवार, दि. 24 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले तक प्राप्त प्रश्न पर ही ए जी एम के दौरान विचार किया जाएगा।
18. एजीएम के दौरान प्रश्न पूछने / अपने विचार रखने के इच्छुक सदस्य मंगलवार दि. 22 सितंबर, 2020 सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, दि. 24 सितंबर, 2020 शाम 5.00 बजे के दौरान investors@bdl-india.in पर ई-मेल भेजकर अपना नाम पंजीकृत करवाएँ। इस ई-मेल में अपना नाम, फोलियो नंबर / डीमैट खाता संख्या, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और समस्या / प्रश्न का उल्लेख अवश्य करें। उक्त तारीख और समय के भीतर कंपनी को प्राप्त प्रश्न पर ही विचार किया जाएगा और एजीएम के दौरान इन्हीं का उत्तर दिया जाएगा।



19. कंपनी, एजीएम के लिए उपलब्ध समय के आधार पर प्रश्नों की संख्या और बोलने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार रखती है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया

20. खुदरा व्यक्तिगत निवेशक, संस्थागत निवेशक सहित कंपनी के सभी शेयरधारकों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से होने वाली एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

21. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) प्रावधान, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में सदस्यों को एन एस डी एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अर्थात् सदस्यों द्वारा वार्षिक आम सभा के स्थान से इतर स्थान से (रिमोट ई-वोटिंग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इस सूचना में शामिल मद्दों पर मतदान देने की सुविधा सुलभ करायी जाती है।

ए) यह रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, दि. 24 सितंबर, 2020 (सुबह 9 बजे) को शुरू होगी और रविवार, दि. 27 सितंबर, 2020 (शाम 5.00 बजे) को बंद होगी। इस अवधि के बीच कंपनी के ऐसे सभी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनके पास सोमवार, दि. 21 सितंबर, 2020 की अंतिम तिथि तक भौतिक / डी-मेटिरियालाइज्ड रूप में कंपनी के शेयर हों, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान दे सकते हैं। वोटिंग के बाद एन एस डी एल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार एक सदस्य द्वारा मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अंतिम तिथि तक जो सदस्य नहीं हैं, वे समझें कि यह नोटिस मात्र सूचनार्थ भेजी जा रही है।

बी) सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी सोमवार, दि. 21 सितंबर, 2020 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के अंश के अनुपात में होगा।

सी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यम से उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं। पर, वे फिर से वोट नहीं डाल सकते हैं।

डी) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों को लेता है और कंपनी द्वारा 50वीं एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2020 पर शेयर रखता है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password" या "Physical User Reset Password?" का इस्तेमाल कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

ई) कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता व सही ढंग से इसकी संवीक्षा करने मेसर्स सी वी रेड्डी अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

एफ) अध्यक्ष, एजीएम में मतदान की जाने वाली सभी मद्दों पर चर्चा के उपरांत संवीक्षक के सहयोग से उन सभी सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सहायता से मतदान की अनुमति देंगे जो एजीएम में मौजूद हैं लेकिन रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाकर अपने वोट नहीं डाले हैं।

जी) वार्षिक आम सभा में वोटिंग समाप्त होने के 48 घण्टे के भीतर परिणाम घोषित किये जाएँगे। अध्यक्ष या अध्यक्ष की ओर से लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणाम संवीक्षक रिपोर्ट सहित कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in और एन एस डी एल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किये जाने के तुरंत बाद दर्शाए जाएँगे। परिणाम तुरंत बी एस ई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेज दिये जाएँगे।

एच) ई-वोटिंग के लिए निर्देश :

एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के दो चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं :

- चरण-1 एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली <http://www.evoting.nsdl.com> पर लॉग-इन करें।
- एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यू आर एल - <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप कर ब्राउसर खोलें।
- ई-वोटिंग प्रणाली का होम-पेज खुल जाने के बाद लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक सेक्शन' के नीचे होगा।
- अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। अब आपको अपना प्रयोगकर्ता आई डी, पासवर्ड और स्क्रीन में दिखायी देने वाला जाँच कोड एंटर करना होगा। इसके विकल्प में यदि आप एन एस डी एल की ई-सेवाएँ आई डी ई ए एस के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आई डी ई ए एस से <https://eservices.nsdl.com> पर लॉग-इन हो सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल के साथ एन एस डी एल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के उपरांत ई-वोटिंग पर क्लिक करें और दूसरे चरण यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान देने के चरण पर जा सकते हैं।

• आपके प्रयोगकर्ता आई डी संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :

शेयर रखने की पद्धति (यानी डीमैट एन एस डी एल या सी डी एल या भौतिक रूप से) के अनुरूप - आपका प्रयोगकर्ता आई डी इस प्रकार होगा :

ए) एन एस डी एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए अगर आपकी डीपी आईडी IN300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300*** 12 ***** होगी।
बी) सी डी एस एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	6 डिजिट की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** होगी।
सी) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ई वी ई एन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ई वी ई एन नंबर 113082 है तो आपकी प्रयोगकर्ता आई डी 113082001*** होगी।



- आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
 - ए) यदि आपने पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कर लिया है, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड से लॉग-इन कर अपना वोट डाल सकते हैं।
 - बी) यदि आप पहली बार एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पहले से सूचित किया गया प्रारंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त करना होगा। एक बार जब आप अपना प्रारंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपना प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा। उसके बाद सिस्टम से अनुदेश मिलेंगे कि अपना पासवर्ड बदलें।
 - सी) प्रारंभिक पासवर्ड कैसे पुनःप्राप्त करें?
 - (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाता या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका प्रारंभिक पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। एन एस डी एल से आपके मेल पर भेजा गया ई-मेल देखें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानि .Pdf फ़ाइल खोलें। .Pdf फ़ाइल को खोलने के लिए पासवर्ड एन एस डी एल खाते के लिए आपकी 8 डिजिट ग्राहक आईडी है, जो भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए सीडीएसएल खाते या फ़ोलियो नंबर के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक है। .Pdf फ़ाइल में आपकी 'प्रयोगकर्ता आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' शामिल हैं।
 - (ii) यदि आपकी ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया अपनाएँ :
 - » यदि शेयर भौतिक मोड में होते हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), 'आधार' (स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) investors@bdl-india.in या rta@alankit.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।
 - » यदि शेयर डीमैट मोड में होते हैं तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-मेल आई डी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाएँ। और आगे, डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 डिजिट की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-डिजिट की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), 'आधार' (स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) investors@bdl-india.in या rta@alankit.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।
 - » वैकल्पिक रूप से सदस्य प्वाइंट (1) या (2) में बताए गए विवरण देते हुए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल से अनुरोध भेज सकते हैं।
- यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त न किया हो या प्रारंभिक पासवर्ड भूल गये हों तो ऐसी स्थिति में :
 - ए) "Forgot User Details / Password" पर क्लिक करें। (यदि आप एन एस डी एल या सी डी एस एल के साथ डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं।) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प मौजूद है।
 - बी) www.evoting.nsdl.com पर 'Physical User Reset Password?' का विकल्प (यदि आप भौतिक रूप से शेयर रखते हैं।) मौजूद है।
 - सी) यदि आप उक्त दोनों पद्धतियों से अपना पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाये तो अपना डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर / पी एन नंबर, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें।
 - डी) सदस्य एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली में 'ओ टी पी' आधारित लॉग-इन के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं।
- पासवर्ड एंटर करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए 'Terms and Conditions' के 'Agree' पर टिक करें।
- अब 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करें।
- 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम-पेज खुलेगा।

चरण-2 एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें :

- चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉग-इन होने के बाद, आपको ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। अब 'एक्टिव वोटिंग साइकिल' पर क्लिक करें।
- 'एक्टिव वोटिंग साइकिल' पर क्लिक करने के बाद, आपको सभी कंपनियों के ईवीईन दिखेंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके वोटिंग साइकिल की स्थिति सक्रिय है।
- जिस कंपनी को आप वोट डालना चाहते हैं उस कंपनी के ई वी ई एन चुनें।
- अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाए आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने वोट का चयन करें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "SUBMIT" और "CONFIRM" पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, "VOTE CAST SUCCESSFULLY" संदेश आएगा।
- पुष्टीकरण पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आई) वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया हो, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।

जे) संस्थागत शेयरधारक / कॉर्पोरेट सदस्यों (व्यक्ति, एच यू एफ, एन आर आई आदि के अलावा अन्य) से अनुरोध है कि वे वोट डालने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के नमूने हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ / जे पी जी फॉर्मट) investors@bdl-india.in पर कंपनी को भेजें और साथ ही, इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in और rta@alankit.com को भी भेजें।

के) बड़ी संख्या से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी को न बताएँ और इसकी गोपनीयता बनाये रखें। पासवर्ड को सही करते-करते लगातार पाँच बार गलत पासवर्ड दर्ज करने पर ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन होने की सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड पुनः ठीक करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password?" या "Physical User Reset Password" विकल्प देखने होंगे।

एल) ई-वोटिंग के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) या www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल की मदद ले सकते हैं या टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं या फिर evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।



लाभांश संबंधी जानकारी

22. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका मंगलवार दि. 22 सितंबर, 2020 से सोमवार दि. 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।
23. निदेशक मंडल ने रु.10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु.2.55/- के लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में इसकी घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्तियों को यह देय होगा :
- जिनके नाम सोमवार दि. 21 सितंबर, 2020 के कार्यालयीन समय की समाप्त तक नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सी डी एस एल) द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली शेयरधारक लाभार्थियों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक के रूप में दर्ज हों।
 - सोमवार दि. 21 सितंबर, 2020 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के पास वैध रूप से शेयरों के हस्तांतरण किये जाने पर सदस्यों के रूप में नाम दर्ज होने पर।
24. कंपनी जहाँ भी संभव हो, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से और अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद शेयर के संबंध में लाभांश का भुगतान सोमवार दि. 21 सितंबर, 2020 के संव्यवहार समय की समाप्ति तक इस उद्देश्य के लिए डिपॉजिटरी (एन एस डी एल एवं सी डी एस एल) द्वारा दिये गये लाभार्थी मालकियत की सूची के आधार पर किया जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी, लाभांश का भुगतान, सदस्यों द्वारा अपने संबंधित डिपॉजिटरी अकाउंट के प्रति दिये गये बैंक विवरणानुसार ही करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन करने के लिए किये जाने वाले सीधे अनुरोध पर कंपनी या इसके रजिस्ट्रार इस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन संबंधी सुझाव सदस्यों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दिये जाते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट खोलने के बाद जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में परिवर्तन किया है और लाभांश, डिपॉजिटरी अकाउंट खोलते समय निर्दिष्ट अकाउंट से अन्य अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे सोमवार दि. 21 सितंबर, 2020 से पहले अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के द्वारा अपने बैंक अकाउंट विवरण में परिवर्तन / सुधार (9 डिजिट वाले बैंक कोड सहित) करवा लें।
25. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी, भुगतान न किये गये लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष तक भुगतान न की गई राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' ('निधि') में जमा कर देने के लिए बाध्य है। आगे, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 यथा संशोधित ('आई ई पी एफ नियमावली') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार लगातार सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जिन शेयर के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया हो, उन शेयरों को निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट में अंतरित किया जाता है। अतः कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश ले लें / दावा करें।
26. इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता के जनादेश को अद्यतन करने की प्रक्रिया:

भौतिक रूप से शेयरधारण	शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए निम्नश दस्तारवेज सहित कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को विधिवत रूप से हस्ताकक्षरित एक अनुरोध पत्र भेजें : क) रद्द किए गए मूल चेक लीफ जिस पर पहले शेयरधारक का नाम स्पष्ट रूप से दिखायी दे। ख) बैंक पासबुक / विवरण के खाते के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि और मूल रद्द किया गया चेक (मूल रद्द किए गए चेक पर नाम या इनीशियल न होने की स्थिति में)।
डीमैट शेयरधारण	डीमैट होल्डिंग कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बतायी दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

27. यदि कंपनी बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के चलते किसी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी डाक सेवाओं के सामान्य हो जाने के बाद डाक से लाभांश वारंट भेज देगी।
28. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 में दि. 1 अप्रैल, 2020 के प्रभाव से पुनःस्थापित परिवर्तन के अनुसरण में किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तदनुसार, उक्ति अनुबंधों के अनुपालन में कंपनी लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की आवश्यक कटौती (टी डी एस) करने के बाद करेगी। प्रत्येक शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा पात्र दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण एवं कंपनी द्वारा उनके अंगीकरण के आधार पर कर की कटौती की दर में परिवर्तन किया जाएगा।

ए) सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ स्थित डी-मैट अकाउंट तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के पास मंगलवार दि 22 सितंबर, 2020 से सोमवार दि. 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) पंजिका बंद होने तक निम्न विवरण पूर्ण और / या अद्यतन हैं।

कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित विवरण यदि आपने कंपनी के साथ पहले ही पंजीकृत कर लिया था, लागू टी डी एस प्रावधान के लिए कंपनी के पास उपलब्ध सदस्यों का रजिस्टर / डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्व के रजिस्टर को आधार माना जाएगा।

- वैध पैन (पी ए एन) नंबर।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आवासीय स्थिति या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निवासी या गैर-निवासी।
- शेयरधारकों की श्रेणी : म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) श्रेणी I और II, ए आई एफ श्रेणी III, सरकार (केंद्र / राज्य सरकार), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) / विदेशी संस्थागत निवेशक (FII): विदेशी कंपनी, FPI / FII: अन्य (व्यक्तिगत, फर्म, ट्रस्ट, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति आदि), व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP), व्यक्तियों का संघ (AOP), व्यक्तियों का निकाय (BOI) या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, ट्रस्ट, घरेलू कंपनी, विदेशी कंपनी आदि।
- ई-मेल पता।
- आवासीय पता।



बी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में घोषित लाभांश और भुगतान की गई राशि पर वैध 'पैन' होने की स्थिति में निवासी शेयरधारकों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत 7.5% की दर से टीडीएस काटा जाना है। यदि वैध 'पैन' पंजीकृत न होने की स्थिति में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एए के तहत 20% की दर से टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। हालाँकि, कुल वितरित लाभांश रु. 5,000 से कम होने पर आवासीय शेयरधारकों को वितरित / किये जाने वाले लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित सामान्य लाभांश को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए उक्त सीमा की प्रयोज्यता निर्धारित करने का आधार माना जाएगा। जहाँ शेयरधारक वैध फॉर्म 15G (व्यक्तियों के लिए, कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है) या फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु के कुल आय पर कोई कर देयता नहीं; ऐसे व्यक्ति के लिए) प्रस्तुत करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो तो
1	जिन व्यक्तियों पर कोई कर देयता नहीं है और फार्म 15जी / 15एच फार्म प्रस्तुत करने की सभी शर्तें पूरा करते हैं।	यथा लागू फार्म 15जी / 15एच में घोषणा
2	म्यूचुअल फंड (धारा 196 (iv))	वैध 'सेबी' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति। आय कर अधिनियम में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 'शून्य' टी डी एस
3	बीमा कंपनियाँ (धारा 194)	वैध 'आई आर डी ए' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
4	केंद्रीय / राज्य सरकार / आर बी आई / किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित, जिनकी आय समय से लागू है (धारा 196)	धारा 1996 के तहत कवरेज के लिए दस्तावेजी सबूत
5	श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश कोष (Sec.197A)	वैध 'सेबी' पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
6	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	आय कर विभाग द्वारा नियम 2 - आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-बी के तहत मान्य अनुमोदन की स्व-सत्यापित प्रति।
7	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	ए. आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-ए के नियम-3 के तहत आयुक्त से प्राप्त वैध आदेश की स्व-सत्यापित प्रति। बी. ईपीएफ अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के तहत स्थापित किए जा रहे फंड के समर्थन में वैध दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति।
8	स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड (दि. 29 मई, 2017 की परिपत्र सं. 18/2017)	आय कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-सी के नियम-2 के तहत आयुक्त से प्राप्त वैध अनुमोदन की स्व-सत्यापित प्रति।
9	नेशनल पेंशन स्कीम	धारा 197ए (आई ई) के तहत कोई टी डी एस नहीं।

सी) गैर-आवासीय शेयरधारकों के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के तहत 20% (लागू अधिभार और उपकर सहित) की दर से टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अनुसार गैर-आवासीय शेयरधारक को यदि उनके लिए अधिक लाभदायक होने पर भारत और शेयरधारक के कर निवास देश के बीच दोहरे कर से बचाव संधि के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए अर्थात् कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-आवासीय शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आर्बिट्रि पैन (पी ए एन) की स्व-सत्यापित प्रति;
- शेयरधारक जहाँ के निवासी हैं, उस देश के कर अधिकारियों से प्राप्त वैध कर निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- फॉर्म 10F में स्व-घोषणा; तथा
- संलग्न प्रारूप में स्व-घोषणा।

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो तो
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई) / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ पी आई)	वैध एफ पी आई / एफ आई आई पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रति।
2	किसी विदेशी बैंक की विदेशी शाखा	आय कर प्राधिकरण द्वारा धारा 195 (3) के तहत 'शून्य' कटौती के संबंध में जारी वैध प्रमाण-पत्र। यह पुष्टि करते हुए स्व-घोषणा कि आय अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की गई है न कि विदेशी बैंक की ओर से।

डी) वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी वैध कम / शून्य दर कटौती प्रमाणपत्र में उल्लिखित दर पर टीडीएस कटौती योग्य है।

ई) तदनुसार, हमें उचित टीडीएस / रोक लगाने की दर निर्धारित करने अनुरोध है कि आप ये विवरण और दस्तावेज सोमवार दि. 21 सितंबर, 2020 से पहले उपलब्ध कराएँ। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज rta@alankit.com या investors@bdl-india.in पर ई-मेल से भेज दें।

एफ) आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवरण / दस्तावेज के प्राप्त होने की स्थिति में लाभांश पर कर अधिक दर पर काटा जाता है, तब भी अर्ह होने पर आय का रिटर्न दाखिल करने और दावा करने के लिए अंशधारक के पास विकल्प होगा। इस तरह के करों में कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

जी) हम लाभांश का भुगतान किये जाने के बाद आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर टीडीएस प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी भेजने की व्यवस्था करेंगे।

एच) टीडीएस दर लागू करना कंपनी के देय परिश्रम और सत्यापन के अधीन है, जो बुक क्लोजर की तारीख पर सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की कटौती आदि की जाँच के अनुसार होगी। अधूरी या अस्पष्ट जानकारी, या यदि वैध दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी अधिकतम लागू दर पर कर घटाने की व्यवस्था करेगी।



- आई) किसी भी आयकर माँग, (ब्याज, जुर्माना, सहित) की स्थिति में, किसी भी गलत बयानी से उत्पन्न होने वाली, अशुद्धि या सूचना का चूक / सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे। साथ ही, सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी मूल्यांकन / अपीलीय कार्यवाही में सहयोग देने के बाध्य होंगे।
- जे) टीडीएस के संबंध में ऊपर दी गई सूचना केवल सदस्यों की जानकारी के लिए है न कि कर कानूनों के अनुपालन पर पूर्ण या व्यापक मार्गदर्शन के लिए। शेयरधारक अपने कर सलाहकार / सलाहकार के साथ अपने व्यक्तिगत तथ्य और परिस्थितियों पर लागू कर प्रावधान और कर-कानून के अनुपालन के संबंध में परामर्श करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अन्य

29. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा पैन (PAN) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने डीमैट खाता रखने वाले डिजिटल प्रतिभागियों को अपना 'पैन' जमा करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी को अपना पैन प्रस्तुत करेंगे। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 'सेबी' ने निम्नलिखित मामलों में भी पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। (i) मृत अंशधारक (ओं) के नाम हटाने (ii) शेयरों का कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) को हस्तांतरित करने और (iii) शेयरों का हस्तांतरण।
30. सूचीबद्ध विनियमों के नियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के मामले में छोड़कर 1 अप्रैल, 2019 से डीमैटरियलाइज्ड रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने शेयरधारण को डीमैट रूप में परिवर्तित करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
31. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के तहत अनिवार्य नियुक्ति / पुनःनियुक्ति की माँग रखने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस सूचना का अंग है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में व्याख्यात्मक विवरण / कथन

मद सं. 5

श्री श्रीनिवासुलू नूका को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दि. 20.3.2020 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. DDP-M 0001 (11)/03/2019-D (BDL) के तहत संस्था के अंतर्निर्णयों के नियम 101 की शर्तों के अधीन इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् दि. 01 जुलाई, 2020) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति, तक या अगले आदेश जो भी पहले आये, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की और निदेशक मंडल ने दि. 29 जून, 2020 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में दि. 01 जुलाई, 2020 से इनकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया। निदेशक (वित्त) के रूप में श्री श्रीनिवासुलू नूका की नियुक्ति को विनियमित करने की निबंधन और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँगे। श्री श्रीनिवासुलू रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य होंगे।

योग्याताएँ, विशेषज्ञता सहित इनका परिचय अनुलग्नक में दिया गया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में दी गई प्रस्तावित सामान्य संकल्प जारी करने की भी सिफारिश की है। श्री श्रीनिवासुलू अपनी इस नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर ध्यान देते हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

मद सं. 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के अनुसार कंपनी के लिए लागू उत्पादों की रिकॉर्ड की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। निदेशक मंडल ने दि. 29 जून, 2020 को संपन्न अपनी 260वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन देते हुए लागू कर के साथ-साथ रु.1,50,000/- प्रति वर्ष के पारिश्रमिक की भी सिफारिश की।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशक मंडल इस सूचना के साथ संलग्न संकल्प की मद संख्या 6 को कंपनी के सदस्यों के समक्ष साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 6 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं, न रुचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव

हैदराबाद

31 अगस्त, 2020



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

निगम पहचान संख्या (सी आई एन) : L24292TG1970GOI001353

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गम्भी बाउली, हैदराबाद-500032.

पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-50058.

दूरभाष : 040-23456145, फैक्स : 040-23456110

ई-मेल : investors@bdl-india.in; वेबसाइट : www.bdl-india.in

सामान्य बैठकों पर विनियम और साचिविक मानक-2 के विनियम 36 (3) के अनुसार वार्षिक आम सभा में पुनःनियुक्ति / नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम	श्री एन पी दिवाकर	श्री अश्वनी कुमार	श्री एन श्रीनिवासूलू
डी आई एन	08207722	07483427	08744682
जन्म-तिथि	दि. 1 अगस्त, 1962	दि. 08 जुलाई, 1963	दि. 26 जनवरी, 1964
निदेशक मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	दि. 1 सितंबर, 2018	दि. 09 मार्च, 2016	दि. 01 जुलाई, 2020
योग्यताएँ	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. की उपाधि।	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय से मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक की उपाधि तथा चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय कराधान में स्नातकोत्तर की उपाधि।	वाणिज्य विषय में स्नातक और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से वित्त विषय में एम बी ए की उपाधि प्राप्त।
विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र में विशेषज्ञता	इन्हें 'पृथ्वी', 'आकाश', 'ए टी जी एम' जैसे विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों में लगभग 28 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है। साथ ही, इन्होंने 'पृथ्वी', 'आकाश' मिसाइल प्रणालियों को विकास स्तर से उत्पादन स्तर तक लाने के लिए डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम किया।	इन्होंने आयकर आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। दि. 08 जनवरी, 2016 से रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त वित्त सलाहकार एवं सयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किये गये।	श्री श्रीनिवासूलू को वित्त से संबंधित विविध क्षेत्रों में 30 वर्ष का समृद्ध अनुभव प्राप्त है, जिसमें 24 वर्ष बीडीएल में कार्य किये।
नियुक्ति या पुनःनियुक्ति के निबंधन और शर्तें	दि. 30 जुलाई, 2018 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. एच-62011/1/2016-डी (बीडीएल) के क्रम में दि. 01 सितंबर, 2018 से इनकी नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें दि. 30 मई, 2018 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. एच-62011/1/2016-डी (बीडीएल) के तहत निर्धारित हैं।	दि. 0 मार्च, 2016 की पत्र सं. 14 (8)/2016/आई एफ डी पी-II के तहत ये दि. 9 मार्च, 2016 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किये गये।	इनकी नियुक्ति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 20.3.2020 की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/03/2019-डी (बीडीएल) के क्रम में दि. 01 जुलाई, 2020 से की गई। इनकी नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें दि. 28 जुलाई, 2020 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/03/2019-डी (बीडीएल) के तहत निर्धारित हैं।
पिछले पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2019-20)	₹ 45,09,130	-	-
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकत्व (विदेशी कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ और अनुसूची-8 की कंपनियों को छोड़ कर)	शून्य	शून्य	शून्य
समितियों में सदस्यता / अन्य लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता*	1) बी डी एल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य। 2) बी डी एल की हितधारक संबंध समिति के सदस्य।	-	बी डी एल की हितधारक संबंध समिति के सदस्य।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	6 में से 6 बैठक	6 में से 4 बैठक	-
कंपनी में धारित कुल शेयर			
ए) स्वयं के लिए	शून्य	शून्य	शून्य
बी) लाभ आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
* टिप्पणी : 'सेबी' (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 26 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।			



Self Declaration Format

Date: _____

To

Bharat Dynamics Limited,
Corporate office, Plot No.38-39,
TSFC Building (Near ICICI Towers),
Financial District, Gachibowli, Hyderabad,
Telangana(State) - 500032.

Dear Sir/Madam,

Re: Self declaration Financial Year (FY) 2020-21 with respect to availment of tax treaty benefits in relation to receipt of dividend income from Bharat Dynamics Limited.

With reference to the captioned subject and in relation to the appropriate deduction of taxes on the dividend payable to me / us by Bharat Dynamics Limited ("the Company"), I / We hereby declare as

- I / We, <<full name of the shareholder>>, having Permanent Account Number (PAN) under the Indian Income tax Act, 1961 ('the Act') <<mention PAN>>, and holding <<mention number of shares held>> number of shares of the Company as on the record date. I / We, am / are a tax resident of <<country name>>. A copy of the valid tax residency certificate for the period 1 April 2020 to 31 March 2021, is attached herewith.
- I / We am / are tax resident of the <<country name>> as defined under Article _____ of the tax treaty between India and _____ ('the applicable tax treaty'). I / We, am / are eligible to be governed by the provisions of the applicable tax treaty and meet all the necessary conditions to avail the benefits under the applicable tax treaty.
- I / We do not have any Permanent Establishment ('PE') or fixed base in India as construed under relevant Articles of the applicable tax treaty nor do we have any PE or business connection in India as construed under the relevant provisions of the Act.
- As required to claim the benefits of the lower tax rate under the applicable tax treaty in relation to the dividend income to be received by me / us from the Company, I / We, specifically confirm that I / We am / are the beneficial owner of the above referred equity shares of the Company and the dividend income receivable from the Company in relation to the said shares.
- I / We further declare that I / we have the right to use and enjoy the dividend received / receivable from the above shares and such right is not constrained by any contractual and / or legal obligation to pass on such dividend to another person.
- I / We specifically confirm that my affairs / affairs of <<full name of the shareholder>> were arranged such that the main purpose or the principal purpose there of was to obtain tax benefits available under the applicable tax treaty.
- Further, our claim for relief under the tax treaty is not restricted by application of Limitation of Benefit clause, if any, thereunder.

I / We confirm that the above is true to the best of our knowledge and I / We shall be solely responsible for any adverse income-tax consideration that may arise in India on the dividend income to be received from the Company.

<< Entity Name >>

Place:

Name: _____

(Signature)



NOTES



NOTES

बी डी एल प्रगति पथ

- 2020** स्वर्ण जयंती वर्ष
- 2019** एम आर सैम की भारतीय वायुसेना को सुपुर्दगी
- 2018** प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव तथा कंपनी का सूचीबद्ध।
- 2017** एल आर सैम की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना को
- 2016** शेयरों की वापस-खरीद पूर्ण
- 2015** भारतीय थल-सेना को आकाश अस्त्र-प्रणाली की सुपुर्दगी
- 2014** बी डी एल द्वारा भारत सरकार को अब तक का सर्वाधिक लाभांश प्रदत्त
- 2013** विशाखापट्टणम स्थित बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन
- 2011** राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में बी डी एल की इकाई के लिए शिलान्यास
- 2010** बी डी एल की तीसरी इकाई का विशाखापट्टणम में शिलान्यास
- 2008** लंबी दूरी के सैम तथा भारी टॉरपिडो के लिए उत्पादन एजेंसी बनना
- 2007** टैंकरोधी डिकॉय प्रणाली का उत्पादन
- 2004** सामरिक मिसाइल के नौसेना संस्करण का उत्पादन
- 2003** दूसरी पीढ़ी से आगे के ए टी जी एम का उत्पादन
- 2001** हल्के भार वाले टॉरपिडो का उत्पादन
- 2000** मिनीरत्न - 1 कंपनी के रूप में श्रेणीकृत
- 1994** सामरिक मिसाइल उत्पादन
- 1992** अनुसूची-बी में उन्नयन
- 1989** सामरिक ए टी जी एम का उत्पादन
- 1986** अनुसूची-सी में उन्नयन
- 1985** दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन
- 1983** आई जी एम डी पी के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी घोषित
- 1971** पहली पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पादन
- 1970** रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित




कंचनबाग इकाई



भानूर इकाई



विशाखापट्टणम इकाई



भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)
(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)

निगम कार्यालय : प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास) फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032. तेलंगाना, भारत।
ई-मेल : investors@bdl-india.in वेबसाइट : www.bdl-india.in